# भारत में बंधुआ मज़दूर

महाश्वेता देवी
निर्मल घोष

हिन्दी अनुवाद
आनन्दस्वरूप वर्मा

हिदी अनुवाद

राधाकृष्ण प्रकाशन
नई दिल्ली

प्रथम हिदी सस्करण 1981

मूल्य
30 रुपय

प्रकाशक
राधाकृष्ण प्रकाशन
2 असारी रोड दरियागज
नई दिल्ली 110002

मुद्रक
भारती प्रिटस
दिल्ली 110032

बधुआ मजदूर का मामला आज भी एकदम जीवत और सशक्त है। आज भी बेतहाशा प्रचार और धूमधाम के साथ देश मे जब किसी परियोजना का उदघाटन किया जा रहा होता है—किसी जगल म दश की किसी मुलायम या कठोर धरती क हिस्स पर काई अभागा परिवार चुपचाप गुलामी की जजीर म कसता जा रहा होता है। यह राग काफी पुराना है और आज भी काफी मजबूत राग है।

किसी भी कानून अथवा अध्यादेश ने बधुआ मजदूरा की मदद नहीं की। राष्ट्रीय श्रम सस्थान ने यह साबित कर दिया है कि दश म लगभग 23 लाख बधुआ मजदूर है। जब तक बधुआ मजदूरा म चेतना नही पैदा हाती और वे एकजुट होकर खडे नही हो जाते, कोई भी उह आजाद जिदगी बितान का हक नही दगा।

## क्रम

# प्रस्तावना

हमन इस पुस्तक का टिप्पणिया और सदर्भो स बोझिल नही बनाया है। हम उनक प्रति आभार व्यक्त करते है जिनकी पुस्तका और लेखा स हमन मदद ली।

महाश्वेता देवी
निमल घोष

# भूमिका

अंग्रेजो द्वारा लागू की गयी भूमि बन्दोबस्त प्रथा ने भारत मे बधुआ मजदूर प्रणाली के लिए आधार प्रदान किया।

इससे पहले तक जमीन को जोतने वाला जमीन का मालिक भी था। जमीन की मिल्कियत पर राजाओ और उनके जागीरदारो का कोई दावा नही था। उन्हे वही मिलता था जो उनका वाजिब हक बनता था और यह कुल उपज का एक प्रतिशत होता था। हिन्दू राजाओ के शासन-काल मे यह हिस्सा कुल पैदावार के बारहवे हिस्से से छठे हिस्से तक घटता-बढता रहा। मुगल शासन काल मे यह हिस्सा बढकर एक तिहाई तक हो गया।

शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के लडखडाते दिनो मे शाही शुल्क वसूलने के लिए जिम्मेदार अधिकारी अर्थात तहसीलदार लोग और भी ज्यादा आक्रामक हो गये। ये लोग एक ऐसी अर्द्ध सामती व्यवस्था चाहते थे जिसमे इनके पास एक जागीरदार अथवा गवर्नर की शक्ति और अधिकार हो और जो शहशाह के प्रति बहुत मामूली ढग से उत्तरदायी हो। इन तथाकथित राजाओ या गवर्नरो ने अपने नये अधिकारो को पूरी तरह अमल मे लाते हुए करो की दर बढा दी और इसे फसल का आधा भाग कर दिया। यह कमरतोड भार और भी ज्यादा हो गया जब इतिहास के महत्वपूर्ण सक्रमण-काल मे भारत के रगमच पर अंग्रेजो ने प्रवेश किया।

करो की वसूली के लिए जो तरीके अपनाये गये वे बेहद अमानवीय थे।

फिर भी सदियो पुराना ग्रामीण समाज तथा आदमी और जमीन के बीच का परम्परागत रिश्ता कायम रहा। अभी भी करो का भुगतान नकद के रूप मे बहुत कम होता था—यह फसल के रूप मे ही होता था। कर के रूप मे फसल की कितनी मात्रा ली जाये, इसे एकत्रित फसल के आधार पर तय किया जाता था।

अंग्रेजो ने इस स्थापित परम्परा को अपनी खुद की प्रणाली से कैसे बदला? कैसे उन्होने जमीन को आसानी से बेचने लायक माल का रूप दे दिया और

स्वतन्त्र मजदूरा म सलिहर मजदूरा और बधुआ मजदूरा को जन्म दिया। इस प्रक्रिया को समझने के लिए भारत म ब्रिटिश शासन काल स पूव के समाज और भूमि प्रणाली का अध्ययन किया जाना चाहिए।

अग्रेजो क आगमन से पूव भारत क गाव एक-दूसर स काफी दूरी पर फैले हुए थे। प्रत्येक गाव आत्मनिभर था। जमीन आर हस्तकला स उत्पादित चीजा का, गाव की जनता ही पूरी तरह इस्तेमाल करती थी। गाव का अपन समाज पर शासन था। गाय पचायत जमीन सम्बन्धी विवादा तथा सामाजिक सघर्षो को हल करन की व्यवस्था गाँव करता था। यह विभिन्न व्यवसाया म लोगा को लगाता था तथा उत्पादन के समान वितरण की व्यवस्था भी करता था। वस्तुत किसी तरह के बाहरी हस्तक्षेप या मध्यस्थता की कोइ जरूरत ही नहीं थी।

उनका रहन सहन का स्तर साधारण था। व केवल खेती करना जानत थे। खेती स सम्बन्धित चढाव उतार के साथ ही वे डूबत उबरत थ। यदि फसल नहा हुई तो उनका रहन-सहन का स्तर फौरन गिर जाता था। अकाल, बाढ, सूखा तथा अन्य विपदाआ में दुख उठाना तो हर आदमी का बदा था। लोहार, बढई कुम्हार आदि कारीगरो की स्थिति, एक हद तक कुछ बेहतर थी क्योकि सकट क समय वे गाव छोडकर राजा समान कहीं बाहर जा सकत थ।

इसलिए यह कहना सही होगा कि निम्नांकित बातें भारत के ग्रामीण समाज का आधार थीं जमीन तथा लोगा का उसे जोतने का अधिकार और कृषि तथा हस्तशिल्प का सयोग। उन दिना के हमारे गावा म श्रम का यह वितरण एक अकाटय नियम था।

इसस पहले ही बताया ह कि किसान ही जमीन क स्वामी थ। जनक सहिताआ म लिखा गया है कि जमीन का असली स्वामी राजा था। फिर भी एक बार जोतन के लिए जमीन तयार कर लेन क बाद यह मिल्कियत किसान के हाथ म चली गयी। राजा क आधिराज्य और किसान क स्वामित्व क बीच कोइ विवाद नही था। युद्ध-क्षेत्र म हुए फसलो के अनुसार राजा और राजत्व म परिवतन होता रहा, लेकिन किसानो की मिल्कियत कभी भी प्रभावित नहा हुइ। सिर्फ कर किसी दूसरे की तिजोरी मे जाने लगा। राजा आर किसान के बीच कोई बिचौलिया भी नही था। भूमि प्रशासन ठीक से चलाने के लिए राजा गावा म मुखिया नियुक्त करता था। इन मुखियाआ के इस्तेमाल के लिए अनाज तथा इधन की व्यवस्था रयत करती थी।

कौटिल्य के 'अथशास्त्र' म कहा गया है कि भूमि पर समस्त अधिकार राजा म निहित हैं। जिस जमीन को वह जोतन के लिए तैयार करना है उसे कृष्य भूमि कहत हैं। इस ग्रन्थ मे उस जमीन की उपज स रयत को आजन्म लाभ उठान का अधिकार है जिस पर वह खेती करता है। इसम यह भी माना गया है कि खेती

में अयोग्य सभी भूमि पर रैयत का पुश्तनी हक है। अगर खेती न की जा रही हो, उसी हालत म राजा खेती के याग्य और अयाग्य सभी भूमि का वापस ले सकता ह और रैयत का वेदखल कर सकता है। यह एक सुविचारित धारणा है कि बगाल मे एक पुश्त से दूसरी पुश्त तक व्यक्तिगत आधार पर जमीन की मिल्कियत की प्रथा का प्रचलन था। अन्य प्राता म भूमि सम्बन्धी अधिकार समग्र रूप मे परिवार की इकाई म निहित थे। वशानुक्रम सम्बन्धी अपन विख्यात सिद्धात म विज्ञानेश्वर ने इसका उल्लेख किया था। जा भी हो, ये दाना प्रथाएँ प्राचीन थी।

उल्लेखनीय बात यह थी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि के उत्पादन का ही लाभ उठा सकता था। जहा तक जमीन का मामला है इसे अन्य वस्तुआ की तरह बेचा या खरीदा नही जा सकता था। बुनियादी तौर से किसी कृषि प्रधान समाज म आत्मनिर्भर किसान भू-स्वामी और उत्पादक दोना था। समूचे अत सम्बन्धा का यही सार था और इस आधारशिला पर ही प्राचीन भारत की सामती व्यवस्था का उदय हुआ था।

अपनी निम्न अर्थव्यवस्था और जमीन की सामूहिक मिल्कियत वाले ग्रामीण परिवेश म भू-स्वामी-बटाईदार सम्बन्धा अथवा भू-स्वामी खेतिहर मजदूर सम्बन्धा जसा अतवर्गीय गतिविज्ञान विकसित नहीं हो सका। जमीन का कोई अभाव नही था और किसी तरह का व्यक्तिगत स्वामित्व भी नही था। इस हैसियत से जमीन जोतने वाला की सख्या मे वद्धि भी ऐसा मामला नही था जिसमे कोई परशानी पदा हो। किसी को स्वावलम्बी किसान मानन पर भी काइ प्रतिबध नहीं था। काइ क्या साधारण मज़दूर बनना चाहेगा जब वह आसानी स मालिक उत्पादक हो सकता हो? उन दिनो हल चलान के लिए बलो की भी कमी नही थी।

मुस्लिम सम्राटा के शासन-काल के दौरान काई परिवतन नही हुआ। उन्होंने अमीरो के पद बनाये जिन्ह अच्छी तरह सीमाकित क्षेत्रा का स्थानीय नियत्रण सौपा गया। फिर भी उनका ग्रामीणा और किसाना से सीधा सम्बन्ध नहीं था। सम्राट के लिए करा की वसूली तक ही उनकी भूमिका सीमित थी। इस काम मे उन्हे गाव के मुखिया की मदद मिलती थी। इस प्रकार वशानुगत जमीदारी प्रणाली म रूपातरित हाते राजवश को करो का भुगतान करने की प्रथा की सभावना नही थी। मुगल शासन काल म भी ऐसा कोई अभिजात वग नही था जा भूमि के स्वामित्व पर आधारित हो।

मुगल शासन काल मे भू राजस्व के भुगतान को सचालित करन वाले सिद्धात के तीन महत्वपूण पहलुआ का उल्लेख करना बेहद जरूरी है। प्रथम हिन्दू राजाआ का अपने क्षेत्र पर पूण नियत्रण था। दूसर, मुगल सरकार अपने लिए कर वसूलने वालो का हमेशा नकद के रूप मे वेतन नही देती थी। इसकी

बजाय कर वसूलने वालो को उनके लिए निर्धारित क्षेत्रो मे कर की वसूली की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी जाती थी। नतीजा यह होता था कि सरकारी स्तर पर छानबीन करने के बावजूद इन अधिकारियो को कर वसूलने मे एक तरह से खुली छूट प्राप्त थी। तीसरे कुछ मामलो मे ये अधिकारी गाँव के मुखिया पर भरोसा नहीं करते थे और सरकारी खजाने मे जमा करने के लिए किसानो से सीधे कर वसूलते थे।

इन तीन कारणो से कर-वसूली के बारे मे तमाम रिवाजो से अलग जाने की स्थिति मिलती है। फिर भी जमीन की मिल्कियत राज्य अथवा जमीदारो के हाथ मे नहीं जाती थी। खेत को जोतने और अनाज पैदा करने वाले अभी भी पहले की ही तरह इन खेतो के मालिक थे। उन दिनो मे जिन्हे जमींदार के नाम से जाना जाता था वे दरअसल कर वसूल करने वाले एजेंट थे। दमन और यत्रणा का अस्तित्व था। कवि मुकुदराम चक्रवर्ती लिखित 'चण्डीमगल' मे सिकदारो पोतदारो आदि जैसे मुगल अधिकारियो द्वारा अवर्णनीय यातना दिये जाने के अनेक प्रसग मिलते है। यहाँ तक कि घूस देना भी काम नहीं करता था। सिपाहियो द्वारा एक के बाद एक मकानो पर छापा मारा जाता था और बजर जमीन को खेतिहर जमीन के रूप मे दर्ज किया जाता था। वे जालसाज कर खेतो की तिरछी पैमाइश करते थे ताकि जमीन का क्षेत्रफल अधिक दिखा कर जमीन का जाली खाता तैयार कर सकें। इस स्थिति पर कवि मुकुद ने लगभग बिलखते हुए लिखा— किसानो की दुहाइ पर कोई नहीं करता सुनवाइ। केन्द्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के काफी दूर होने के कारण स्थानीय अधिकारियो के लिए निदयी और दमनकारी होना आसान था। स्पष्ट था कि कर वसूलने की यह प्रणाली दुख और यातना को जन्म दे रही थी। और गौर करने की बात है कि कवि मुकुदराम जिस काल का बयान कर रहे थे वह मुगल सत्ता का शिखर काल था।

मुगल साम्राज्य के विघटन के साथ इस प्रणाली का सचमुच ध्वस होने लगा। केन्द्र मे एक कमजोर सरकार के होने का लाभ उठा कर कर-वसूली के सभी तीनो वर्गो ने अपने-अपने इलाको मे नकद और अनाज दोनो रूपो मे भुगतान किये जानेवाले कर की राशि मे मनमाने ढग से वृद्धि कर दी। इसके फलस्वरूप किसानो को भयकर यत्रणा का शिकार होना पडा। फ्रांस्वा बर्नियर के यात्रा-वृतान्त के पन्नो को पलटने से कोई भी देख सकता है कि कारीगरो और छोटे व्यापारियो को भी नहीं बख्शा गया। ऊपर से एक नयी मुसीबत यह खडी हो गयी कि इतने दिनो से—अफगान राजाओ के शासन काल से ही विकसित सिंचाई व्यवस्था अब लडखडाने लगी। इसने खेती की बुनियाद पर ही मरणातक प्रहार किया। एक तरफ तो लुटेरे सूबेदारो जागीरदारो, जमीदारो तथा अन्य अफसरो की फौज थी

और दूसरी तरफ पानी का अभाव था। किसाना को कुछ भी नही सूझ रहा था। कुछ स्थाना पर तो किसानो ने विद्रोह कर दिया।

काफी समय तक गाव की सामाजिक व्यवस्था ने विदेशी हमला से अपनी हिफाजत की। बदकिस्मती से इसके पास इतनी ताकत नही थी कि वह अपेक्षाकृत उच्च स्तर की सामाजिक शक्ति का मुकाबला कर सके। यह प्राचीन, स्थिर और जड व्यवस्था उस प्रगति की राह मे एक जबरदस्त बीमारी बन गयी जिसकी शुरुआत नवोदित बुजुआ वग के हाथ हुई थी, जो शीघ्र ही प्रभुत्व स्थापित करने लगा था। उन दिना व्यापार पर आधारित बुजुआ वग अभी भ्रूणावस्था म था और काफी कमजोर तथा असगठित था। देश की प्रगति का खाका तैयार करने म यह प्रभावकारी भूमिका नही निभा सका। यही वह कारण है जिसमे भारत म सामती व्तवस्था अपना पूण विकसित रूप नही पा सकी।

इसके फलस्वरूप अग्रेजो ने बगाल और बिहार पर विजय पाने के फौरन बाद ग्रामीण समाज की जड पर प्रहार किया। अग्रेजा की बुद्धि ने तुरत वास्त विकता को भाप लिया। इगलड का माल बेचने तथा किसाना के उद्याग धधा को कच्चे माल की शाश्वत कमी को पूरा करने के लिए सबसे पहले इन किसाना को गुलाम बनान की जरूरत थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जरूरी था कि किसानो को उनके चिरपरिचित माहौल अर्थात गावा से बाहर खीचा जाये। अग्रेजा के सत्ता मे आने से पूव अग्रेज सादागरा का अकेले गावा मे अपने माल की फेरी लगाने मे असफलता का ही सामना करना पडा था। इन आत्म निभर गावा म विदेशी सामान के खरीदार एकदम नही थे। शहरा और शहरा के आसपास के इलाका म ही खरीददार तैयार किय जा सकत थ। ब्रिटिश शासन की जडें भारत की मिट्टी म तब तक गहराई तक नही पठ सकी जब तक उन्होंने ग्रामीण समाज का ताड नही दिया।

और उन्हाने यही किया।

सत्ता मे आते ही अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने दो तरीके अप नाये। पहला तरीका एक नयी कर प्रणाली की शुरुआत था। दूसरा तरीका था कर भुगतान के रूप म फसल की जगह नकद राशि लेना। इन दो तरीका स उन्हाने जमीन की व्यक्तिगत मिल्कियत का माग प्रशस्त किया—एक ऐसी प्रणाली को जन्म दिया जो उनके अपने देश मे प्रचलन मे थी। इस प्रकार उन्हाने प्राचीन व्यवस्था का ध्वस पूरी तरह कर दिया और नयी व्यवस्था की शुरुआत की।

अग्रेज शासका ने एलान किया कि जमीन्दार गुमाश्ता और गाव के मुखिया के रूप म पुकारा जाने वाला वग ही जमीन का असली मालिक है। मुगल शासका की शब्दावली म 'जमीन्दार' का अथ एजेंट था। अब यह अथ हमेशा के लिए

दफना दिया गया। जमीदारो ने अब किसानो से अपनी ताकत भर वसूलना शुरू किया। साथ ही उन्होने तीन अन्य हथियारो का इस्तेमाल किया—जमीन की बिक्री जमीन का वितरण और गिरवी के रूप म जमीन रखना। इन तरीको म दमन करने वाले नये वर्गों का जन्म हुआ—गाँटीदार पट्टनीदार, दरपट्टनीदार और ताल्लुकदार।

उन्होने अग्रेजो द्वारा शुरू की गयी प्रणाली को किसानो के शुरू हलके के नीचे ठेल दिया। फलस्वरूप किसानो को जमीन पर से अपना पुश्तैनी हक सदा के लिए छोडना पडा।

भारतीय रगमच पर अग्रेजो के प्रकट होने तक महान मुगल साम्राज्य का प्रकाश धुधला पडने लगा था। किसान पहले ही उन सारी चीजो से वचित होने लगे थे जो उनके पास अपनी सम्पत्ति के रूप म थी। अग्रेजो ने इस सामान्य अवस्था मान लिया और उन्होने भी उसी क्रूर अत्याचार और लूटपाट का रास्ता अख्तियार किया।

मुगल शासन-काल के अतिम दिनो म तो कर वसूलने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जाना आम बात थी। धूर्त अग्रेजो का मस्तिष्क इस मामले म मुगलो से भी ज्यादा उर्वर था।

देय करो के भुगतान न किये जाने पर किसानो की जमीनें बेच देने की एक प्रणाली लागू की गयी थी। जब भ्रष्टाचार और अर्थलिप्सा का बोलबाला था और गरीब किसान अपना खून पसीना बहाकर जो कुछ पैदा करते थे उसकी आधी से भी कम मात्रा उनके पास बच रहती थी। यह गणित बहुत सरल था।

1764 65 के अत म जब मुगल साम्राज्य अतिम साँस ले रहा था और बगाल म नवाबी प्रणाली एक दिशा ले चुकी थी बगाल म भूमि कर 8 14 000 पौड था। 1765 म बगाल बिहार और उडीसा के दीवान के रूप म ईस्ट इडिया कम्पनी के अधिकार जमाने के बाद 1765 66 के गणना वर्ष म कुल 14 70 000 पौड राजस्व की वसूली हुई थी। 1793 म स्थायी बदोबस्त के लागू होने के बाद यह राशि 30 91 000 पौड हो गयी थी। और यह महज सरकारी आँकडा था।

इसके अलावा अलग अलग लोगो को मिले व्यक्तिगत पुरस्कार और असीम लूट का किस्सा ही और था।

किसानो को बेहद दरिद्रता की स्थिति तक पहुँचाने के बाद भी अग्रेज नरम नही पडे। उन्होने चावल की जखीरेबाजी शुरू की। इस काम को कम्पनी के एजेन्ट करते थे। उन्हे पता था कि अनाज की कमी होते ही मुनाफा बढना लाजिमी है।

अतत बुरे दिन आ गये। किसानो को जिन्हे फसल पैदा करना आता था

बेवकूफ नही बनाया जा सका। उन्हे अपनी उस सीमित भूमिका का एहसास हो गया जो फसल कटने के साथ ही समाप्त हो जाती थी। खेती से हुई फसल पर जिसे वे कमरतोड महनत के बाद पैदा करते थे, अब उनका किसी तरह का दावा नहीं था।

वे खेती के प्रति उदासीन हो गये। इससे खाद्य स्थिति और भी खराब हो गयी। अनाज की जखीरबाजी करके और कीमतो मे बेतहाशा वृद्धि करके ब्रिटिश सौदागरो न बेशुमार मुनाफा कमाया, लेकिन इसका जो अवश्यभावी नतीजा था वह भी सामने आ गया।

बगाली कैलेंडर के अनुसार 1176 का वर्ष बहुत अशुभ साबित हुआ। लेकिन अग्रेजी कैलेडर का वर्ष 1770 जो बगाली कैलेंडर के उस वर्ष से मेल खाता था, देश मे घुस आये इन नये लुटेरो के लिए भरपूर समृद्धि का वर्ष था।

1176 का यह साल औरो का तथा इतिहास को बखूबी याद है। यह जबरदस्त अकाल का वर्ष था—ऐसा अकाल जिसे मनुष्य ने तैयार किया था।

बगाल, बिहार और उडीसा को मिला कर बनाये गये सूबे की एक तिहाई आबादी के मुह से खान के लिए जो चीख निकली वह क्रमश धीमी होती हुई सदा-सदा के लिए खामोश हो गयी।

खेतीबाडी का काम ठप पडा था, पर अग्रेज सौदागर शासक अभी भी कर वसूलने निकलते थे। अत्याचार, यत्रणा, बलात्कार और लूटपाट ही इनके हथियार थे। इसमे उन्हे सफलता मिली। 1768 ई० मे, अकाल से दो वर्ष पूर्व बगाल म कुल 1,52,40,856 रुपए कर के रूप म वसूले गये। 1771 ई० मे, अकाल के एक वर्ष बाद यह राशि 1,57,26,576 रुपए हो गयी।

साल दर-साल कम्पनी के खजाने मे ज्यादा से ज्यादा कर जमा होने लगा। कुछ अधिकारियो द्वारा व्यक्तिगत तौर पर अपनी जेबे भरने के लिए गैर कानूनी ढग से करो की वसूली की गयी और इस प्रक्रिया म तरह-तरह के अत्याचार भी किये गये जिसके फलस्वरूप एक असगठन की स्थिति पैदा हो गयी। नतीजा यह हुआ कि कम्पनी अपनी करारोपण प्रणाली को सुचारु रूप से न चला सकी।

1772 ई० म इसने 'पँचसाला बदोबस्त' नामक प्रणाली शुरू की। अकाल के प्रभावो ने इस प्रयास को विफल कर दिया। इससे पूर्व एकसाला बदोबस्त को पहले ही अपनाया जा चुका था। बाद मे, 'दससाला बदोबस्त' भी करारोपण की नियमित प्रणाली को समर्थन नही दे सका।

एकदम हताश होकर लार्ड कानवालिस ने अन्तिम समाधान का सहारा लिया।

और यह था स्थायी बदोबस्त।

इस कदम क जरिए कर वसूलन वाला को भू-स्वामी बनान का घातक काम किया गया। इसस पहल स्वत ही जमीन क स्वामी थ और उनस कर की वसूली का काम कम्पनी क एजेंट करत थ। अब स्थिति उलटी हा गयी था। नय भू स्वामिया का उन किसाना स कर वसूलन का अधिकार दिया गया जा अब तक स्वतत्र थ और जा अब इन भू-स्वामिया की प्रजा बना दिए गय थ।

स्थायी बन्दोबस्त स पहल भूमि का उचित तरीक स सर्वेक्षण नहीं किया गया था। दूसरा लाभ जमीदारा न उठाया और खती क लिए अयाग्य भूमि, चरा गाहा बजर भूमि कर मुक्त भूमि तथा हर भर जगली इलाका पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार समूची स्थिति म एक बहुत बडा परिवतन आ गया।

नय शासका न अपन गुट क देश म अपनाय जा रह भू-स्वामित्व क सवाधिक रूप को शुरू करन की कोशिश की थी। 1793 ई० म पहल बगाल क सूब म और बाद म उत्तरी मद्रास म उन्हान अपनी याजना का कार्यान्वित किया। इसका मकसद था कर वसूली का दृढ करना तथा अपना गुट का शासन कायम करना। स्थायी बन्दोबस्त क तहत घाषित किया गया कि जमीदार लोग वसूले गय कर का 10/11वाँ हिस्सा सरकार का देंग और 1/11 वाँ हिस्सा खुद रख लेंगे। असली लाभ सरकार को न कि जमीदार और किसान का मिलता था। वजह बडी साफ थी।

उस समय जमीदारा को 30 लाख पौंड सरकार को दना था—यह राशि पहले की तुलना म किसी भी राशि स बहुत ज्यादा थी। पुरान जमीदार परिवार जिनके किसाना स बड घनिष्ठ सम्बन्ध थे इस राशि का नहीं वसूल सक। उन लिए किसी पर अत्याचार करन और सतान की बात अपन आप म एक अभिशा थी। इसलिए सरकार न फसला किया कि उनक स्थान पर कुछ एस व्यापारिय का रखा जाय जा खून चूसन और अत्याचार करन म माहिर हा। सरकार का सतुष्ट करने और वभव की अपनी लिप्सा को पूरा करन क लिए उन्हान आतक का ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जो इतिहास म वमिसाल ह।

यह कुलीन जमीदारा का एक नया वग था जिस स्थायी बदोबस्त न जान बूझ कर तैयार किया था। फिर भी स्थायी बदोबस्त सरकार का प्रारभिक लक्ष्य नही पूरा कर सका। बाद म रुपए का मूल्य गिर गया। सरकार को वही कर मिले जा आमतौर स मिलते थ। लेकिन जमीदारो ने और अधिक कर वसूलन शुरू किय। फलस्वरूप सरकार का एकचौथाई भाग मिला जबकि जमीदारा ने अपने लिए तीन चौथाई हिस्सा रख लिया।

लट के बटवारे की बात जाहिर हान पर साम्राज्यवादी खम म स्थायी बन्दोबस्त क खिलाफ आवाज उठने लगी। इस आलाचनाआ को पढने स ऐसा लगता है कि ईस्ट इडिया कम्पनी न भारत की भूमि समस्या क बार म अनजान होन क

कारण असावधानीवश किसानो पर कर का बोझ डाल दिया। असलियत यह है कि इन आलोचनाओ का निशाना था राजस्व मे आयी गिरावट—यह ऐसा तथ्य था जिसे बडी कुशलता के साथ छिपा रखा गया था।

फिर भी दूसरा मकसद पूरा नही हुआ। नये ज़मीदारा ने अग्रेजी शासन का मजबूत बनाने और टिकाय रखने की ज़िम्मेदारी अपन ऊपर ल ली। अग्रेजा न जिस वग को जन्म दिया था, उसन शासका के हित के साथ अपन हित को बडे करीब से पहचाना। आगे चलकर लाड बेंटिक न स्वीकार किया कि स्थायी बदोबस्त न जन विद्रोह या क्राति के खिलाफ हुआ पक्ति के रूप म जमीदारा का एक काफी बडा वग पदा किया। जमीदारो को जिनका जनता पर काफी प्रभाव था, अग्रेजी शासन को मजबूत बनाने म सफलता मिली, क्योकि यह शासन उनके स्वार्थो को पूरा करता था।

बेंटिक की यह धारणा आगे चल कर सही साबित हुई। जमीदारा के विभिन्न सगठनो, मसलन जमीदार महासघ, जमीदार एसोसिएशन आदि ने औपचारिक बठका के जरिए अग्रेजी हुकूमत के प्रति अपनी वफादारी का एलान किया। बग जमीदार समिति ने 1925 ई० म वायसराय को विशिष्ट सेवा का प्रमाण पत्र पेश किया जिसमे समिति के सदस्या न वायसराय से कहा था कि वह इनके समथन और सहयोग पर भरोसा कर सकते है। 1938 ई० म निखिल भारत जमीदार सम्मेलन के अध्यक्ष मैमनसिह के महाराजा ने इसी तरह की टिप्पणी मे कहा था कि जमीदार वग के रूप म अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उन्हें सरकार के हाथ मजबूत करने होगे।

चाटुकारा के एक वग का स्थापित करने मे कम्पनी को कामयाबी मिल गयी। फिर भी उनके आर्थिक मामलो म अभी भी बहुत गडबड घाटाला था। इस तथ्य ने उन लोगो का अन्य देशो मे स्थायी बदोबस्त को लागू न करन के लिए प्ररित किया। जमीदारी प्रणाली क साथ किये गय प्रयोग से उन्हें यह सबक हासिल हुआ कि करा की प्रत्यक्ष वसूली करनी होगी। बिना किसी बिचौलिये की मदद लिय किसानो का शोषण करना बेहतर है।

उन्होंने दक्षिण भारत म रयतवाडी प्रणाली स्थापित की जिसम सरकार सीधे किसानो से निबटती थी। लेकिन तो भी यह स्थायी कदम नही था इसम सशोधना की गुजाइश थी। परिणामस्वरूप सरकार समय-समय पर नये सिर स भूमि का सर्वेक्षण और करा म वृद्धि कर सकी। जमीदारा अथवा अन्य बिचौलिया की मदद के बिना सरकार करो की समूची राशि खुद अपन लिए वसूल सकी। इस दिशा मे सरकार का प्रयास और आसान हो गया, क्योकि गाव की सामाजिक व्यवस्था का अस्तित्व पहले ही समाप्त हो चुका था। दक्षिण भारत क लिए भी यह बात सही थी। 1818 ई० म मद्रास राजस्व बाड द्वारा जारी एक

स्मरण पत्र म प्रस्तुत आलोचना म कहा गया था कि ग्रामीणा को एक व्यापनिक लाभ पहुँचाने क उद्देश्य स विदशी सरकार न पुरातन ग्रामीण परम्पराओ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ये वही परम्पराएँ थी जिन्हान गांवा म जनतत्र को बनाये रखा था।

सैकडा वर्षो म जो जमीन गांवो की सामूहिक सम्पत्ति थी उसका नये कृषि कानूना न विघटन कर दिया। इस आशय क आश्वासन दिय गय कि जमीन क बारे म सरकार के दावे सीमित रहेंगे। वास्तविक अर्थो म एसा नही था।

रयता की जमीन का निरन्तर पुनमूल्यांकन किया जा रहा था और नये कर थोप जा रहे थ। किसाना को जबरन जमीन म भरती कर दिया जाता था—ठीक उसे ही जैसे मुसलमान राजाओ क शासन-काल म होता था और यह प्रक्रिया खासतौर स उन जमीना पर लागू की जा रही थी जिन पर करो का नकली तौर पर बढा रखा गया था। इस मुसीबत स बचने क लिए भागन की कोई जगह नही थी। जो किसान खेता म भागते थे उन्हें जबरदस्ती घसीटकर काम पर लगा दिया जाता था। फसल कटने तक दावा क बारे म हर तरह का वहम को स्थगित रखा जाता था। किसाना क हिस्से म उस बीज और बल ही पडते थ। जिन किसानों के पास यह भी नही था उन्हें सरकार द्वारा यह दिया जाता था। ऐसा करना सरकार क हित म था।

रयतवाडी प्रणाली के तहत किसाना को जमीन के मालिक क रूप म स्वीकार किया जाता था। जमीदारी वग की रचना का कोइ प्रयास नही किया गया। तो भी यथाथ मे होता यह था कि कोरपाविला प्रणाली क जरिए सूदखोर को जमीन की मिल्कियत मिलने लगी और रैयतवाडी प्रणाली के अतगत पत्न वाल क्षत्रा म जमादारा की तादाद तेजी से बढने लगी। आकडा म पता चलता है कि 1901 ई० से 1912 ई० के बाच मद्रास मे एस भूस्वामियो की सख्या, जो किसान नही थ प्रति हजार भू-स्वामी पर 19 से बढकर 49 हो गयी। किसान भूस्वामियो की सख्या 484 स घटकर 381 रह गयी। किसान रयता की सख्या प्रति हजार पर 1>1 से बढकर 225 हो गयी।

उक्त अवधि की जनगणना रिपाट म अन्य सूबा के बारे मे भी ऐसी ही तसवीर उभरती है। पजाब म भूमि-करा पर निभर रहनवाला की सख्या 1911 ई० म 6 26 000 थी जो 1921 म बढकर 10 08 000 हो गयी। सयुक्त प्रात मे 1819 म 1921 ई० के बीच इस तरह की आबादी मे 46 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी। इस अवधि मे कर पर निभर लोगो की सख्या म 52 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

उत्तर और उत्तर-पश्चिम म अग्रेजा ने महलवारी प्रणाली शुरू की। यह स्थायी बदोबस्त और रयतवाडी प्रणाली क बीच का रास्ता था। महलवारी

प्रणाली ने ग्राम-समाज अथवा कबीले का भूमि के सामूहिक स्वामी की मान्यता दी। लेकिन यह महज एक स्वाग था, क्योंकि कबीले के सदस्या को सौपी जाने वाली जमीन का अलग-अलग सर्वेक्षण आर पैमाइश की जाती थी। मिसाल के तौर पर पजाब की बात लें। गाव का मुखिया ही कर वसूलने और भुगतान करने के लिए जिम्मेदार था। फिर भी कर की वसूली प्रत्येक किसान से अलग अलग की जाती थी।

स्थायी बदोबस्त रैयतवाडी और महलवारी ही वे तीन हथियार थे जिनसे अग्रेज शासकों ने भारत की एक एक इच जमीन को हडपना शुरू किया। उन्होने जमीन से किसानो को हटा कर जमीदारा को बसाया। सूदखोर महाजन किसानो की पीठ पर सवार हो गय जिनके पास कुछ भी नही था। कोरफाविली प्रणाली ने उन्हे एसे लोगो की प्रजा बना दिया जो खुद भी प्रजा थे। अब जमीन उनकी नहीं थी। कारफाविली प्रणाली के लगातार बढ़ते उपायो ने जमीदारो तथा पचास अन्य बिचौलियो को जन्म दे दिया था। इन बिचौलियो का जमीदारो और किसानो के बीच जिन्हें कोरफा रैयत के स्तर तक नीचे ला दिया गया था घुसा दिया गया।

और फिर भी किसानो की जिन्दगी चलती रही। बस अब वे अपनी पीठ पर एक पिरामिडी ढाचा ढो रह थे जिसने उनका खून चूस लिया था। जमीन की अब उन्हें मात्र जानकारी थी जिसके साथ उनका आत्मिक सम्बन्ध बना हुआ था, पर अब जमीन पर उनका कोई हक न था। एक बार फिर कवि मुकदराम के गीता के शब्द सच लगने लगे — किसानो की पुकार कौन सुनता है? उन्होने सब कुछ खो दिया—यहा तक कि हल, बल और बीज भी। जमीन खो कर अब व भूमिहीन खेतिहर मजदूर बन गये थ। और एसे लोगो की सख्या बढती गयी। 1882 इ० की जनगणना म इनकी सख्या 70 20,000 थी। 1921 ई० की जनगणना मे यह सख्या बढकर 2 10,00 000 हो गयी। 1931 ई० मे इनकी सख्या 3 30 00,000 तक पहुँच गयी। इन आकडा की व्याख्या से अथ लगाया गया कि उन दिना किसानो का एक तिहाई हिस्सा खेतिहर मजदूर था। 1941 ई० म व कुल आबादी का 50 प्रतिशत थे।

यह हुआ कैसे? जिस जमीन से किसी अभाव अथवा जरूरत की पूर्ति न हो वह अलाभकर है। छोटे किसान और बटाइदार जो ऐसी जमीन जोतते थे दिना-दिन और भी गरीब तथा दरिद्र मजदूर होते गये। दोनो वर्गो के बीच ज्यादा फक हो—ऐसी बात नही थी। 1930 की मद्रास बकिंग रिपाट मे बताया गया था कि कोरफाविली किसानो और खेतिहर मजदूरा के बीच का फक दीखता नही था। कारफाविली को इस समयदारी के आधार पर कमजोर कर दिया गया था कि करो का भुगतान नकद रूप मे होगा। जमीन का वितरण बन्दोदारी के आधार

पर किया गया था। फिर भी भू-स्वामियो ने रयत का 40 प्रतिशत स 60 प्रतिशत और 80 प्रतिशत तक फसल स भी वचित होन का मजबूर किया। इस प्रकार जल्दी ही रयत का दिवाला पिट गया आर जमीदारा म साधना का कज लना पडा। इस राशि की अदायगी का मतलब कटाई क समय फसल का अपना हिस्सा जमीदार क अनाज गादाम म जमा करना होता था। और इस प्रकार उनका किस्मत खराब हाती गयी।

उन दिना एक किसान का अपने परिवार का दनिक खच चलान क लिए 5 एकड या 15 बीघा जमीन तथा अपन खुद क हल-बल की जरूरत पडती था। फ्लाउड कमीशन की रिपाट म बताया गया था कि सती म लग परिवारा म स तीन चौथाई क पास 15 बीघा स कम जमीन थी। लगभग 57 2 प्रतिशत परिवारा क पास 9 बीघा स भी कम जमीन थी। दक्न क गाँव म मौका मुआयना करन म पता चला कि जिस वप फसल अच्छी होती थी उस वप भी 81 प्रतिशत किसाना के पास पर्याप्त खाद्य नही हाता था। व सूदखार महाजना स अपने जीवन यापन के लिए सूद पर पस लत थ। दिन ब दिन कज का बाझ बढता गया। फिर अचानक एक दिन उ होन पाया कि व अपनी जमीन खो चुक ह आर भूमिहीन मजदूरा की श्रणी म आ गय है।

एक पुरानी कहावत है कि दान कर धन ना घट। यह सूत्र विचार की नकल लगता था। सूदखार महाजन जितना ही पसा कज क रूप म दत थ उतनी ही उनकी समृद्धि बढती थी। किसान लोग किंवदन्तियो क उन चूह क समान थ जो सापा क घुसने के लिए ही बिल बना रह थ। उनकी फरियाद कौन सुने ? कोई नही—एकदम कोइ नही।

खेतिहर मजदूरा का किस दर स पसे दिय जात थे ? 1842 ई० म एक मजदूर का प्रतिदिन एक आना मिलता था। तब एक रुपये म 40 सेर चावल मिलता था। 1922 ई० मे चावल एक रुपय म 5 सर की दर स बचा जाता था जबकि एक मजदूर का दनिक मजदूरी 4 से 6 आना थी। 1842 से 1922 ई० के 80 वर्षों क दौरान मजदूरी मे 4 से 6 गुनी वृद्धि हुई, जबकि चावल के मूल्य म 8 गुनी बढोतरी हुई। फलस्वरूप वास्तविक मजदूरी मे 25 से 50 प्रतिशत की गिरावट आयी। 1842 ई० म कोई मजदूर एक आना म दस सेर चावल खरीद पाता था जबकि 1922 ई०म वह 5 से 6 आना मे लगभग डढ सेर चावल खरीद पाता था।

खेतिहर मजदूर का काम मौसमी होता है। अधिकाश स्थाना म खेत बोने और काटने का काम वष म एक बार हाता था। मजदूरा के पास कज लेने के अलावा और कोइ चारा नही था। लाखो लोग कवल कज क बल पर अपनी गाडी चलात थ। कज क साथ-साथ उनकी जिन्दगी म अपमान न भी प्रवेश किया।

स्वतत्र मजदूरो का एक बडा हिस्सा बधुआ मजदूर बन गया। उन्हें फिर कभी मानवीय मर्यादा नही मिल सकी।

कर्ज देकर गुलाम बनाने की नीति आदिवासियो के मामले मे काफी पहले शुरू हो गयी थी। 1855 56 म जो सथाल विद्रोह यानी हूल हुआ था उसका मुख्य कारण यह था कि जमीदारो और सूदखोर महाजनो ने सथालो को बधुआ मजदूर बनाने की कोशिश की थी। उन दिनो के कलकत्ता गजट म यह उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार सथालो के भोलेपन का नाजायज फायदा उठा कर सूदखोर महाजन उनसे 50 प्रतिशत से 500 प्रतिशत तक सूद वसूलते थे। कर्ज के एवज मे मजदूरो को गुलामी के पट्टे पर दस्तखत करना पडता था। हटर लिखित इतिहास मे जबरन गुलाम बनाये जाने की घटनाओ के स्पष्ट सदर्भ मिलते है। इस काम मे जमीदारो और महाजनो को सरकार की पूरी मदद मिलती थी। सिधू और कानू के नेतत्व म किये गये 'हूल' तथा प्रतिरोध की अन्य घटनाओ के पीछे—जो अग्रेजी राज के दौरान घटित हुई—इसी शर्मनाक शोषण का हाथ था।

अपनी पुस्तक 'भारत की भूमि समस्या' म प्रोफेसर राधाकुमुद मुखर्जी ने लिखा है कि स्थायी खेतिहर मजदूर भारतीय अर्थव्यवस्था म सबसे निचले स्तर पर आते थ। नकद के रूप मे पारिश्रमिक पाने की घटनाएँ इक्का दुक्का ही थी। इन खेतिहर मजदूरो के बीच गुलामी के कई रूप देखने को मिलते ह। कुछ तो विशुद्ध गुलाम थे और कुछ गुलाम जैसे थे—फर्क बहुत मामूली था। जमीदारो मालगुजारो तथा इस तरह के अन्य वर्गो ने कर्ज के घातक जाल के जरिए अपने गुलामो को पशु बनाने का सिलसिला चला रखा था। भारत के कई हिस्सो म यह प्रथा आज भी जारी है। यह निकृष्ट प्रथा बाप के बाद बेटे के द्वारा चलायी जाती थी। महाराष्ट्र की दुबिया और कालिया जातियो गुलामो म बेहतर नही ह। इनमे से अधिकाश पीढी दर पीढी अपने मालिक की गुलामी करते रहे ह। मद्रास के दक्षिण पश्चिम मे एझावा, चेरुमा, पुली और होलिया पाये जाते ह जो वास्तव म गुलाम ह।

मद्रास के पूर्व म समुद्र से घिरी नदियो की तटवर्ती जमीन पर ब्राह्मणो की मिल्कियत है। स्वाभाविक तौर पर मजदूरो परिआ और परिआलो का अधिकाश हिस्सा अछूत भी है। काफी पहले अपने पुरखो द्वारा लिये गय कर्ज को अदा न कर पाने के कारण परिआलो के बीच पीढी दर पीढी गुलामी चलती रही है।

इस तरह के कर्ज कभी चुकता नही हो सकते और यह बोझ एक के बाद एक अगली पीढी पर खिसकता गया। जरूरत पडने पर मालिक इनकी जमीन बेच सकता है लेकिन ये गुलाम लोग एक मुश्त सौदे का हिस्सा है और इस प्रकार वे खरीदार की सम्पत्ति बन जाते है। इस तरह के गुलामो की सूची म बिहार

कमिया है जो वेहद निचले वग क है और कज की जजीर म जकडे हुए है। अपने कज से आशिक छुटकारा पाने के लिए उनके मालिक एसे काम उनस ल सकते है जिनका वयान भी नही किया जा सकता।

इस तरह के कर्जों के बारे म अब हम बताएँगे।

( 2 )

अब हम छाट किसाना और खेतिहर मजदूरा द्वारा लिय गये कज का विश्ल पण करेगे। हमने पहले ही इनकी आर्थिक अवस्था भारतीय अथ यवस्था म इनकी स्थिति इनके स्थान तथा कज लेने के कारणा पर प्रकाश डाला है।

छोटा किसान अपन परिवार का भरण पोषण करन के लिए अपनी जमीन से पर्याप्त उत्पादन पान म असमथ है। इसी के साथ करा, वीज पर आन वाली लागत शान्या और दाहकम पर होन वाले खर्चा का वोझ भी उ हे वेनना पडता ह—दवाआ पर होन वाले खच की तो वात ही अलग है। सूदखोर महाजन स पस की भीख मागे विना वे रह ही नही सकते।

किसी खास समय म मजदूरा की आय तथा चावल के निर्धारित मूल्य की तुलना की जानी चाहिए। जाच से यह पता चलेगा कि मजदूरा का एक दिन भा पट भरना नही नसीव होता था। छोटे किसाना की तरह—जो अमानत क रूप म अपनी जमीन गिरवी रखत थे—उ हे भी कज लना पडता था। जल्दी ही कज वढत वढत इतना हो जाता था कि उ हें अपनी जमीन वेच देनी पडती थी और व भी खेतिहर मजदूरा की दुखद श्रेणी म आ जात थ। छाटे किसाना के विनाश का अथ सूदखोर महाजना को लाभ था।

सादमन कमीशन रिपाट का कहना है कि किसाना का अधिकाश हिस्सा महाजना और जमीन इस्तमाल करन वाला क कज स वधा था। किसाना और खेतिहर मजदूरा की दयनीय अवस्था के लिए अग्रेजा क अलावा और कोई जिम्म दार नहा है। इन पर कज का जसे जसे वाझ वढता था ब्रिटिश शासक द्वारा की गयी प्रगति की रफ्तार और तज हो जाती। निरतर आन वाली रिपोर्टों म खासतौर स पिछले 50 वर्षों की अवधि म कज के निरतर वढत वाझ, हताशा म वेची गयी और गिरवी रखी गयी जमीना का जिक्र 1911 ई० म सर एडवड मक्लागन न अपन वयान म किया है।

1911 और 1938 क वीच की अवधि के आँकडा पर यदि एक निगाह डालें ता वात वहुत साफ हो जाती है।

| वर्ष | कज का बोझ (रुपये मे) |
|---|---|
| 1911 | 300 करोट |
| 1924 | 600 करोट |
| 1930 | 900 करोड |
| 1935 | 1200 करोड |
| 1938 | 1800 करोड |

इस बात स कोई इकार नही कर सकता कि गावो मे गरीबी का कारण कज का यह बोझ ही है। कुछ सर्वेक्षणो से पता चला कि अधिकाश मामला म किसाना ने मवेशी खरीदने, खेतो के लिए लागत पूजी जुटाने और करा के भुगतान के लिए कज का सहारा लिया। कज का 1/5वे से भी कम हिस्सा सामाजिक धार्मिक कार्यो के लिए खच होना था। आज की हालत भी पहले से भिन्न नही है। अभी हाल के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि उपकरणा तथा बीजा की खरीद के लिए तथा करा का भुगतान करने के लिए किसान लोग प्राप्त ऋण का 47 5 प्रतिशत खच करते थे। केवल लगभग 33 7 प्रतिशत राशि को सामाजिक दायित्व पूरा करने पर खच किया जाता था।

किसाना की निरतर बढती कजदारी के असली कारणा का बडी कुशलतापूवक छिपाया जाता था। कहा जाता था कि किसान अपनी चादर देखकर पैर नही फलात। किसी कगाल का महल के सपने दखन की क्या जरूरत ? सामाजिक और धार्मिक अवसरा पर वे क्यो इतना पैसा बहाते है ?

पहले, पसे का प्रमुख स्रोत गाव का महाजन होता था। अग्रेजा के आने से पूव, किसान व्यक्तिगत गारटी पर उनसे कज ले सकते थे। इससे वे निरुपाय नही होते थ, क्योकि महाजन को भी गाव के ही कायदे कानूना का पालन करत हुए रहना पडता था। गाव का समाज किसी का इस बात की इजाजत नही देता था कि कज चुकता न होने पर उसकी जमीन हडप ली जाये। अग्रेजा ने इन सारे नियमो को बदल दिया और सूदखोर महाजन गावो के मालिक बन बैठे। अग्रेजी शासन क प्रारभिक दिना म ये महाजन बस फसल लेने के बाद किसानो को छोड देते थ — उनकी जमीन नही छूते थे। लेकिन अग्रेजी राज ने दृपापूवक इन महाजनो के अधिकार बढा दिये और कानून, पुलिस तथा ब्रिटिश सरकार के भरपूर समथन से उन्हे जमीन पर कब्जा करने का अधिकार मिल गया। सूदखोर महाजना को अब सारी फसल जब्त करने का अधिकार मिल गया। और यह सब करने के बाद भी कज को ज्यो का त्यो दिखाया जाता था। मूल और सूद मे कौन क्या है — किसे यह पूछने का साहस था ?

महाजन के कोठार मे जो अनाज चला जाता था उसम स ही फिर किसान

को अपना पट चलाने क लिए कज मिलता था। और इस प्रकार कर्ज पर कज बढता जाता था। किसा लाक कवि न एक बार कहा था कि अगर आकाश का कागज बना दिया जाय समुद्र का दावात और घास का कलम तो भी उसकी कविता पूरी नही हागी। गाँवा म कजदारी का वृतात लिखने क लिए आकाश समुद्र और घास की कलम भी पर्याप्त नही साबित होगी।

हर बार इस कथा का अत कज चुकता करन क लिए हताश हाकर जमीन बेचन और स्वतत्र किसाना क बटाइदार अथवा खतिहर मजदूर बनन म हाता था। इस प्रकार गाँव क महाजन छाटे माटे पूजीपति और किसान उनक मजदूर बन गय।

कम्पनी द्वारा सचालित सरकार न खुद अपन स्वार्थों क लिए महाजना का बढावा दिया।

1799 ई० म सातव विनियमन—कुख्यात हैफ्टम ला—की घोषणा हुई। इस कानून ने जमीदारा और महाजना का रयता तथा किसाना म जमीन खाली करवाने के अधिकार द दिय। इसक अलावा किसाना पर पाबदी लगा दी गयी कि व एक जमीदार को छोडकर दूसरे क पास जाने क लिए अपना इलाका नहा छोड सकत। साथ ही व कही और काम भी नही कर सकत।

1812 ई० म पाचव विनियमन – पजन ला – का लागू किया गया। इस कानून के जरिए जमीदार पहल से ही करा की दर तय कर सकता था और फिर खती क लिए लाइसेंस का वितरण करता था। इस लाइसस का कभी भी वापस लिया जा सकता था। फसल जब्त करन का अधिकार पहल ही 1793 ई० स दिया जा चुका था।

मुगल शासन काल म करा की दर को मनमान ढग स नहा बदला जा सकता था। लकिन विशष स्थितिया म अतिरिक्त अबवाब (उपकर) लगान की इजाजत थी। 1859 ई० के बगाल कर कानून क मुताबिक निर्धारित कर का जमीदार किसी भी बहान से बढा सकत थे। समूचा दश उन खूखार लुटरे व्यक्तिया का शिकारगाह बन गया।

कई मामला म य सूदखोर महाजन खुद ही जमीदार या बिचौलिय बन गय। फलस्वरूप एक ही तरह के लोगा न—जिह चाहे जमीदार कहिय या ताल्लुकेदार पट्टनीदार गटीदार या महाजन—लूटमार का सुनियोजित कायक्रम शुरू कर दिया। करा के अलावा किसानो को उस समय घूस भी देनी पडती थी जब उनस दर स कर जमा करन आदि जसी छाटी मोटी चूक हा जाती थी। अनेक छोटे मोटे अधिकारी भी थे जि ह खुश रखना पडता था। जमीदार का एकाउटट उसका कास्टेबल उसका कारि दा—इन सबकी हथेली गरम करनी पडती थी। घूसखारी को एक प्यारा सा नाम दे दिया गया था—इम धोती

खरीदना' कहते थे। लेकिन कवि मुकुंदराम इस पर अफसोस ज़ाहिर करते हैं कि 'धानी खरीदने से भी किसानों को सुरक्षा नहीं मिल पाती थी। फसल जब्त होने और यहां तक कि जमीन से बेदखल होने का खतरा हमेशा सर पर मँडराता रहता था। अदालतों से कोई मदद नहीं मिलती थी। वे ज़मींदारों के बैठकखाने की तरह थीं।

जो स्थिति तब थी वही आज भी है। जमींदारों, बिचौलियों और महाजनों की फरमाइश पूरी करने के बाद गरीब किसान के पास कुछ भी नहीं बचता था और उसे फिर कर्ज का सहारा लेना पड़ता था। एक कहानी है कि किसी ऊदबिलाव ने एक मछली पकड़ी और उसे बांटने का काम जंगली बिल्ली को दे दिया। नतीजा यह हुआ कि मछली को पकड़ने के लिए ऊदबिलाव को फिर पानी में गोता लगाना पड़ा।

निश्चय ही यह बड़ी निराशाजनक स्थिति थी। फसल के रूप में दिए गए कर्ज़ पर 150 प्रतिशत और नकद के रूप में दिए गए कर्ज़ पर 200 प्रतिशत सूद लगता था। और कर्ज की यह थाली अगली पीढ़ी के सिर पड़ती थी। जहां तक कानून की बात है– वह हमेशा धनिकों की मदद करता था।

क्या किसानों ने इस क्रूर भाग्य के सामने हथियार डाल दिए थे? नहीं, कई स्थानों पर उन्होंने विद्रोह किया। उनके अन्दर न तो वर्ग-चेतना थी, न संगठन था और न कुशल नेतृत्व ही था जिससे वे विजयी हो सकते। बेशक उन्होंने अपने दुश्मन की शिनाख्त कर ली थी। उन्होंने सरकार इसके शक्तिशाली संगठन जमींदारों और महाजनों के नकाबपोश चेहरे की असलियत को समझ लिया था। इस लड़ाई में उन्होंने अंग्रेज़ी कोठियों पर हमला किया और अस्तित्व की उनकी लड़ाई को एक राजनीतिक महत्त्व मिला। इसके कई उदाहरण हैं—तीतूमीर के नेतृत्व में बारासात का वहाबी विद्रोह, फरीदपुर का फराज़ी विद्रोह, 1832 33 में मानाम में कृषि विद्रोह, 1831-32 का कोल विद्रोह, 1855 56 का संथाल विद्रोह, नील बागानों के मज़दूरों का विद्रोह, पाबना-बोगुड़ा का किसान विद्रोह, दक्कन का किसान विद्रोह, मालाबार में मोपला किसानों का विद्रोह। क्या इन घटनाओं को भूला जा सकता है? हज़ारों किसानों के खून से रंगी धरती पर आज अनाज के खेत, व्यस्त सड़कें, शहर, दूकान और बाज़ार फैले हैं। लेकिन उन विद्रोहों की सच्चाई को मोमबत्ती की लौ की तरह फूंक कर बुझाया नहीं जा सकता। यह कभी संभव नहीं है।

अपने समय के विख्यात कुछ साम्राज्यवादी सोच वाले इतिहासकारों ने किसानों के विद्रोह का काफी लम्बा चौड़ा आवरण चढ़ाकर उसे जनता के सामने पेश किया। उनका कहना था कि वे तो साम्प्रदायिक दंगे, डकैतियां आदि थीं। आज की भाषा में इन्हें सवर्णों का समाज विरोधी उपद्रव अथवा आतंकवादी नाम

म सुनते ह। अग्रेजो के दमन के खिलाफ सघप करने वाले वह पहले विद्रोही नेता थ। यह घटना 1780 ई० मे भागलपुर मे घटित हुई। उन्होंने अपनी सेना का निर्माण किया और पाच वप तक लडते रह। उन्हाने ही छापामार युद्ध के जरिए भागलपुर के कलक्टर क्लीवलेंड का सफाया किया। 1855 56 के विद्रोह पर उनके सघप का जबरदस्त प्रभाव पडा था। तिलका माझी का नाम पुराने दस्तावेजा म पाया जा सकता ह हालांकि इतिहास के शोधकर्त्ताओ का उनके नाम का उल्लेख करना गवारा नही है।

सन 1855-56 के सथाल विद्रोह की मुख्य माग थी कि खेती योग्य तैयार की गयी जमीन पर अधिकार को उनकी माग की सुनवाई की जाय। साथ ही जमीदारा, महाजना और सरकारी अफसरा तथा पुलिस को उनके इलाके म प्रवेश की इजाजत न दी जाय। कमिया या गुलामी की कुख्यात प्रथा को खत्म किया जाने। दूसरे शब्दा मे कह तो यह आजादी की लडाई थी। खती गवा, हूलगेया हो' (हम सचमुच लडेंग) की रणभेरी के साथ उन्हाने सघप को आगे बढाया। सथाला ने घने जगला का साफ करके जमीन का खेतीबाडी करने और रहने के योग्य बनाया था। उन्हाने इसमे फसलें पदा की। व्यापारिया और सूदखोर महाजना ने उनके भोलेपन, ईमानदारी तथा सीधेपन का बडी क्रूरता के साथ फायदा उठाया। फसल की कटाई के समय वे अपनी खाली बैलगाडिया लेकर पहुँचे और उनम फसल भरने लगे। बदले म इन धूर्तो ने उन लोगा को थोडा सा नमक तम्बाकू तथा शीरा दे दिया—कभी कभी कुछ सिक्के भी द दिये। इस प्रकार जमीदारा, पुलिस और यूरोपीय जिला मजिस्ट्रेटा के पूरे समथन से फसल पर उनका कब्जा हो गया।

बरसात के मौसम म गरीब सथाल भूखा मरत थे। सूदखोर महाजना ने उन्ह कज लेने को मजबूर किया और कज सम्बधी रुक्का पर उनक अगूठे के निशान ल लिय। अगर एक दिन सथाल महाजन से उधार लिये अनाज को खाता था ता अगले दिन वह और उसका परिवार पूरी तरह उस महाजन की गुलामी की जजीरा म कद मिलता था। 33 प्रतिशत चक्रवद्धि ब्याज की दर से देखते देखते कुछ रुपय सैकडा रुपयो मे बदल जात थे। एक दिन वह सथाल मर जाता है और उसका बेटा अपने बाप के अतिम सस्कार के लिए फिर पैसे उधार लेता है। कज देने हुए महाजन की बाछे खिल जाती है। लोककथाओ का जादुई तोता राजकुमार को हीरे मोती और मणि लेने के लिए उकसाता था। सूदखोर महाजन ने भी भोले भाले सथाला के साथ यही किया जिन्ह यह कभी आभास न हो सका कि व जो कज आज ले रहे हैं वह भविष्य के गभ म अपनी पीढिया के लिए भी एक अदृश्य जजीर बनने जा रहा है। महाजन की इस धमकी से कि वह उन्ह जेल भेज देगा सथाल काप उठत थे। वे खुले आकाश और विस्तत क्षितिज के प्राणी

ई० म वगाल काश्तकारी कानून पारित हुआ। इस कानून ने जमीन के अधाधुध जन किये जाने तथा किसाना का जमीन से नेदखल करने पर रोक लगा दी।

इसके कुछ ही समय बाद दक्खन मे मोपला लोगा का विद्रोह हुआ। दरअसल यह 1873 मे ही शुरू हुआ था और 1921 तक चलता रहा। मोपला लोगा ने— जो धम स मुसलमान थे – दमन की तीना शक्तिया अर्थात अग्रेजा जमीदारा और सूदखार महाजना के खिलाफ हथियार उठाया। यह विद्रोह तेज होता गया और फिर इसने खिलाफत विद्रोह का रूप ले लिया। दुश्मन ने भी अपनी ताकत वटारी। अग्रेजा की सेना और पुलिस का जमीदारो और सूदखार महाजनो की निजी सेना ने मदद पहुँचायी जिसम बाकायदा वतन प्राप्त करने वाले सैनिक थे। वे मालुवानाड और एरनाम म उतरे। वडी बरहमी से उन्हाने मोपला लोगा का कत्लेआम किया। उनके अत्याचार आतक के पर्याय वन गये।

वावजूद इसके मोपलाआ ने सघप जारी रखा। उन्हाने एलान किया कि उनकी धरती आजाद है और अली मुजालिआर को उन्हाने अपना स्वतन्त्र राजा वनाया। लेकिन अग्रेज वेहद मजवूत थ। उनके पास आधुनिक हथियार थे। उनसे निपटने के लिए छापामार युद्ध ही एकमात्र तरीका था। 48 वष के दौरान मोपलाआ ने पाच बार विद्रोह किया।

पाचवें विद्रोह के वाद उन्हे हथियार डालन पडे। अग्रेजा ने सकडा विद्रोहिया को गोली से उडा दिया और विद्रोह के प्रमुख नेताआ का सावजनिक स्थान पर फासी पर लटका दिया।

लेकिन ये विद्रोह आशिक रूप मे सफल रह क्याकि इन विद्राहा के कारण ही अग्रेज शासका ने 'महाजन कानून' पारित किया।

जो जाने कुरबान गयी उनकी तुलना म य जो छाट मोटे काम हुए उनके लिए जरूरत मे ज्यादा कीमत अदा करनी पडी। दमन अभी भी बरकरार था। महज कानून पारित करने का मतलव कुछ नही होता। कानूना का अमल म भी लाया जाना चाहिए था। यह कभी नही हुआ।

लेकिन विपत्ति अभी भी घात लगाकर बैठी थी। इन गरीब अपट लागा का धोखा देने के लिए जाली कागजात की मदद लेना बहुत आसान था। अदालतें जमीदारा की मदद के लिए हमेशा तयार रहती थी। कानून का अमल म लाने के लिए नियुक्त अफसरा का घूस देकर भ्रष्ट कर दिया जाता था। 1928 ई० के मनी आयाग न वडी कटुता के साथ लिखा कि लाग अपनी किस्मत पर बहुत निभर रहते है और अपनी जमीन वचाने के लिए सूदखार महाजना के आग भीख मागत है। इसम कहा गया था कि इस प्रकार महाजना का शिकजा दिना दिन कसता जाता है।

आयाग ने सच्चाइ का बयान नही किया। इसने यह नही बताया कि इस

काम म सरकार उनकी मदद करती ह।

1931 मे सेंट्रल बक जाच समिति की रिपाट ने उन्ही दो तथ्या का दुहराया जिसके बार म हम पहले से जानते है। पहली बात तो यह कि ब्रिटिश शासन-काल क प्रारंभिक दिनो म किसाना को इसलिए सरकार के दमन का शिकार होना पडा क्याकि व कर का भुगतान नही कर सके थ। दूसरे, बाद म उन्होंने अपनी जमीन बच दी और खेतिहर मजदूर अथवा बधुआ मजदूर बन गये।

इस प्रकार किसाना की जमीना पर उन लोगो की मिल्कियत हो गयी जा खेती नहीं करते थ। *भावात्मक सम्बध समाप्त हा गया। वग विभेद* और भी खुलकर सामने आ गया तथा खेती-बाडी के काम मे कमी आयी।

यहाँ तक कि आज भी अतर्राष्ट्रीय मौद्रिक असतुलन, उत्पादो के मूल्य म गिरावट, द्वितीय विश्व-युद्ध के प्रभाव तथा व्यापक अकाल के कारण खेती का काम बडे सकटपूण दौर से गुजर रहा है।

उत्पादना की कीमत गिरने के साथ ही किसाना की भी स्वतत्र क्रय शक्ति म कमी आयी।

आंकडा से पता चलता है कि अथव्यवस्था मे भयकर सकट शुरू होने से पूव सन् 1928 29 म कृषीय उत्पादन का आसत मूल्य फसल कटने के समय 1034 करोड रुपय के बराबर था। 1933 34 म इसम कमी आयी और यह 473 करोड रुपय रह गया। कीमतें तो गिर गयी लेकिन टैक्सा म कोई कमी नही हुई। 1928 29 म भूमि कर क रूप म कुल राशि 33 करोड 10 लाख रुपय थी। 1932 33 म भी यह राशि 33 करोड ही बनी रही। 1933 34 के दौरान अनत किसाना का अपनी जमीन स हाथ धाना पडा। व करा का भुगतान नही कर सके जबकि यह राशि कम हा गयी थी और 30 करोड रुपय पर आकर रुक गयी थी।

1934 ई० म बगाल पटसन जाच समिति की रिपोट म बताया गया था कि बगाल म 1920 21 स लकर 1929 30 तक बिक्री योग्य उत्पादना का औसत मूल्य 72 करोड 40 लाख रुपय था। 1932 33 म यह कम होकर 32 करोड 70 लाख रुपय हा गया। दूसरी तरफ वित्तीय दयनाएँ 27 करोड 90 लाख रुपय स बढकर 28 करोड 30 लाख रुपये तक पहुँच गयी। यदि हम विश्लेषण करें ता पता चलगा कि किसाना की स्वतत्र क्रय शक्ति 44 करोड 50 लाख रुपय स घटकर चार करोड चालीस लाख रुपय हो गयी।

और इस तथ्य का बराबर अनदेखा किया गया है कि जमीन का एक बहुत बडा हिस्सा बेकार पडा रहा।

मद्रास प्रात म करा का भुगतान न करने क फलस्वरूप 71 430 किसाना का अपनी जमीन स हाथ धाना पडा। साथ ही लगान करा की वसूली क लिए

2,56,284 वारट भी जारी किये गये।

कृषि-योग्य भूमि का दायरा निरतर कम होता गया क्योकि अधिकाश व लाग, जिनके हाथ म जमीन पहुँची थी खेती-बाडी का काम नही करते थ। यह एक वहुत भयकर षड्यन्त्र था। जमीन के कम हिस्से को खेती के लिए इस्तेमाल करने मे उन लोगा को ज्यादा फायदा दिखायी देता था। इस प्रकार वे उत्पादना की आपूर्ति का नियन्त्रित कर सकते थे और निधन जनता को ज्यादा से ज्यादा कज लेने के लिए प्रेरित कर सकते थे। आम जनता के खून से तैयार समद्धि की इस मदिरा ने नय भू स्वामिया का मदहोश कर दिया था।

1933 34 मे कुल 23 करोड 30 लाख एक्ड जमीन म खेती-बाडी हाती थी। 1934 35 के दस्तावेजा को देखने से पता चलता है कि इस क्षेत्रफल मे कमी आयी और यह 22 करोड 60 लाख एक्ड हो गया। अनाज के उत्पादन-याग्य भूमि के क्षेत्रफल म 55 लाख 89 हजार एक्ड की कमी आयी थी। किसाना की पीडा असीम थी। वावजूद इसके किसी ने भी उनके कष्ट पर ध्यान नही दिया।

बचारे मुकुन्दराम! उनका स्वर नक्कारखाने मे तूती की आवाज बनकर रह गया। सच्चाई तो यह थी कि किसी ने उन किसाना के बारे म सोचने का कष्ट ही नही किया।

1934 ई० से किसाना की आर्थिक अवस्था मे तेजी से गिरावट आयी और व कज के सागर मे डूब गये। वे भूख की भट्ठी मे तप रह थे और भूख को इससे काई सरोकार नही कि वह किसी अमीर आदमी के पास है या गरीब के पास।

1931 से 1937 के बीच कज की राशि 67 करोड 50 लाख पौंड से बढ कर 134 करोड पौड हो गयी।

सबसे बडी विडम्बना तो यह थी कि हमार राष्ट्रीय नेताआ ने आजादी की लडाई पहले ही से शुरू कर रखी थी। व अपने कट्टर दुश्मन अर्थात अग्रेजा के बारे म खूब चचाएँ करते थे लेकिन कभी भी जमीदारो और महाजना का नाम नही लिया जिन्होने पूरी अथव्यवस्था का दीवालिया बना दिया था।

अग्रेज के चेहरे पर एक कुटिल मुसकान थी क्योकि उसे पता था कि वह हमार समाज मे आत्म विनाश के बीज बो चुका है।

द्वितीय विश्व-युद्ध की शुरुआत और बमा मे जापानी फौज के पहुँचने के साथ ही वह घटिया चावल भी मिलना बद हो गया जिसका विदेशो से आयात किया जाता था। इसक बाद ही हमारी कृषि की दुव्यवस्था की तसवीर सबके सामने आयी। इस घटिया चावल का गरीब लोग खरीद सकते थे लेकिन इसका आयात बद हाने के साथ ही अनाज का भयकर सकट पैदा हुआ। कीमता मे भी तेजी वद्धि शुरू हुई। उन दिनो के गीता मे पता चलता है कि वहा कितनी

स्थिति थी।

अंग्रेजो न अनाज की सप्लाइ की कोई व्यवस्था नहीं की थी। इसके विपरीत सनिक साज सामाना की सप्लाई के काम म तनिक भी बाधा नही पडी और वस्तुत किसानो की लूट से अर्जित धन से ही यह काम होता रहा। इसका नतीजा यह हुआ कि देश भयकर मुद्रास्फीति की चपेट म आ गया। जखीरेबाजो ने इस स्थिति का पूरा-पूरा लाभ उठाया और जबरदस्त मुनाफा कमाया।

इस प्रकार 1943 ई० के मानव निर्मित अकाल का जन्म हुआ।

सरकारी आकडो के अनुसार अनाज की सप्लाई म 14 लाख टन की कमी हुई। उन्ही आकडो क अनुसार अकेले बगाल म 35 लाख लोग मौत क शिकार हुए। अकाल के बाद महामारी का हमला हुआ। इसमे और 12 लाख लोग मार गय। बडी कुशलतापूवक उत्पन्न किये गये इस अकाल म महाजनो और काला बाजारियो को 150 करोड रुपये का मुनाफा हुआ।

इस अकाल को हमारे इतिहास विषयक अभिलेखागारो म 'पचास के अकाल के रूप म एक खाना मिल गया क्योकि 1943 का वर्ष और बगाली कलेंडर का वर्ष 1350 एक ही था। यह अकाल और 1770 का अकाल एक युगातरकारी घटना थी।

1943 के अकाल ने लगभग 75 प्रतिशत किसानो की कमर तोड दी। इनमे स प्रत्येक के पास 5 एकड स भी कम जमीन थी जिससे उस किसान और उसक परिवार के सदस्यो क भरण पोषण क लायक भी अनाज नही पदा हो सकता था। यह स्थिति और भी भयकर हो गयी थी क्योकि जो भी चावल उपलब्ध था उसे मई माह के आत आत जखीरबाजो ने छिपा कर रख दिया था। इस दुष्टता पूर्ण काय म सरकारी अधिकारी व्यापारी काला-बाजारी और जमीदार— सभी शामिल थ।

अकाल के शिकार सबसे पहले गरीब किसान हुए और फिर छोटे किसानो की बारी आयी। इन सबको अपनी जोतो से हाथ धोना पडा। अप्रल 1943 स अप्रल 1944—यानी अकाल के एक वर्ष के आंकडो को देखने से कई दिलचस्प तथ्यो का पता चलता ह। इनसे बगाल के 15 90 000 किसानो की किस्मत की जानकारी मिलती ह

खेती म लगे परिवार

| | |
|---|---|
| जिन्हें अपनी जमीन से हाथ धोना पडा | 2,60,000 |
| जिन्हें अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचना पडा | 6,60,000 |
| जिन्हे अपनी फसल गिरवी रखनी पडी | 6 70 000 |

अकाल के दौरान 7 10 000 एकड जमीन पर मिल्कियत की फरबदल हुई। इसम स केवल 20,000 एकड जमीन जमीदारो और महाजनो के हाथ

लगी। लगभग 4,20 000 एकड ऐस लोगा के हाथ म पहुची जो खेती नही करत थे। साथ ही किसाना पर कज का बोझ अभूतपूव ढग से बढ गया। अनुमान के अनुसार 1943 म कृषि मे लगे लगभग 43 प्रतिशत परिवार कज म डूबे हुए थ। 1944 म यह सख्या 66 प्रतिशत तक पहुँच गयी। इससे पहल भूमिहीन खेतिहर मज़दूरा की इतनी बडी तादाद देश म कभी नही देखने म आयी थी। हम उन्हें अब भी किसान ही कहेंगे क्योकि वे ही ऐस लोग थे जो जानत थ कि किस प्रकार बजर धरती को लहलहात खेता म बदला जा सकता है।

किसाना पर कज की राशि कितनी मामूली-सी थी। पर इस मामूली-सी रकम के एवज म व गुलाम बन जात थे और इस तरह के कुछ उदाहरण हमारे सामने है

उदाहरण—1

एक किसान न कभी दो मन चावल उधार लिया जिसे वह लौटा नही सका और उसे बधुआ मज़दूर बनना पडा।

उदाहरण—2

एक किसान 'क' के परदादा ने अपने भू-स्वामी से 17 सेर जौ उधार लिया था। परदादा और उसके बेटे अर्थात क' के बाप का बधुआ मज़दूर के रूप म जिन्दगी बितानी पडी। क' को भी अपने मालिक का गुलाम होकर रहना पडा। क' के परिवार ने 1978 तक भू स्वामी को 2600 रुपये का भुगतान किया था। भू-स्वामी का कहना था कि अभी 300 रुपय उनकी तरफ बकाया पडे है।

उदाहरण—3

उदयपुर मे जीवा नामक एक अनाथ का उसके चाचा न 80 रुपय का कज चुकता न करने के कारण ज़मीदार को बेच दिया। अब जीवा तब तक गुलाम बना रहेगा जब तक वह मर नही जाता।

उदाहरण—4

मध्य प्रदेश मे सतना म, बाबू के चाचा ने उसे 150 रुपय म बेच दिया।

उदाहरण—5

तमिलनाडु के दक्षिणी आरकॉट जिले म अरमुगल के पिता ने 100 रुपय चुकता न कर पाने के कारण अपने बेटे को ज़मीदार के हाथा बच दिया।

हम उस नौ आन को भी नही भूलना चाहिए जिसन किसी का जीवन भर क

लिए गुलाम बना दिया। दशमलव प्रणाली शुरु हाने से पहले पलामू जिले में एक आदिवासी ने जमीदार महाजन से वह राशि उधार ली थी। 1976 तक यह कर्ज उतर नहीं सका था और यह अभी भी बना रहेगा।

एक बधुआ मजदूर अपने मालिक से क्या पाता है? मामूली सा वेतन और थोडा खाना। अगर वह चाहे तो मालिक उसे आजादी द सकता है। लेकिन क्या वह कभी ऐसा चाहता है?

बधुआ मजदूर कभी गाव छोडकर नहीं जा सकता। अपने श्रम और अपने उत्पादन को वह खुद कभी नहीं बेच सकता। कभी तो वह अकेले और कभी अपने पूरे परिवार के साथ गुलाम बना रहता है। 1921 ई० मे बम्बई जनगणना आयोग ने गुजरात के हाली लोगों के बारे म एक रिपोट दी थी। अमरीका म गृह युद्ध से पूव के बागानो मे काम करने वाले गुलामों की तरह ही हाली लाग भी पूरी तरह गुलाम की जिन्दगी बिताते थे।

( 3 )

1931 ई० म भारत म 30 लाख बधुआ मजदूर थे। खेती बाडी से सम्बंधित कुल आबादी का यह 3 प्रतिशत हिस्सा था। भूमिहीन किसानो की सख्या के बारे मे अध्ययन करने से पता चलता है कि आजादी के बाद बधुआ मजदूरो की सख्या म किस तरह और क्या वद्धि हुई?

सदभ वष 1931

1 खेतिहर मजदूरो की कुल सख्या—4 करोड 20 लाख
2 बधुआ मजदूरो की सख्या—30 लाख
3 मामूली वेतन पर काम करने वाले मजदूरो की सख्या —3 करोड 50 लाख
4 दैनिक दिहाडी पर काम करने वाले मजदूरो की सख्या—40 लाख

1 ने मुकाबले 2 4 का प्रतिशत 37 8
1891 म यह प्रतिशत 13

खेतिहर मजदूर मालिकों और महाजनो से उधार लेंगे—यह तो स्वाभाविक है। इस प्रकार व गुलाम बनेंगे यह भी बहुत स्वाभाविक है। यह घणित कारोबार जारी रहेगा यह भी स्वाभाविक है।

इस प्रकार प्राथमिकता की भावना हमारे अन्दर इस तरह काम करती है। हमें तलाश जिस चीज की जरूरत है वह है रगीन टेलिविजन। बधुआ मजदूर का कंकाल जसा शरीर रगीन दिखाया जाय तो थोडा बेहतर लगेगा और धूप म चमकती पकी फसल से भरे गाव की पष्ठभूमि हो तो क्या कहने।

खेतिहर मजदूरो की एक विशाल फौज है। गरीब किसानो की सख्या भी कम नही है। 1931 मे उनकी सख्या 3 करोड 70 लाख थी।

आबादी का केवल 33 3 प्रतिशत हिस्सा खेती बाडी मे लगा था। जमीन सीमित थी। इसलिए उन्हे जमीदारो और महाजनो पर निर्भर रहना पडता था। कैसी विडम्बना है, शेर पर बकरे की निर्भरता ! अपनी मामूली आय से वे कर्ज चुकता नही कर पाते थे। वे जमीन से हाथ धोकर साधारण मजदूर बन गये। लेकिन काम भी पर्याप्त नही था। उनके पास काम की गारन्टी नही थी और आज भी नही है। 1931 मे 4 करोड 20 लाख खेतिहर मजदूरो मे से 3 करोड 50 लाख बेरोजगार थे। एक बहुत बडे हिस्से को बाजार दर से काफी कम मजदूरी पर काम करना पडता था।

दैनिक दिहाडी पर काम करने वाले मजदूरो का एक हिस्सा, जिनकी तादाद 40 लाख थी, चाय कॉफी और रबर बागानो मे काम करने गया। 1929 मे इस श्रेणी के 10 71 000 मजदूर थे। आधे से अधिक लगभग 5 57 487 व्यक्ति असम के चाय बागानो मे लगे हुए थे। बगाल के बागानो मे 1 96 899 और मद्रास के विभिन्न बागानो मे 1 02,700 मजदूर काम कर रहे थे। 1946 मे ब्रिटिश राज के अतिम दिनो मे यह सख्या बढ कर 10 91 461 हो गयी थी।

चाय और काफी बागानो मे काम करने वाले मजदूर नाममात्र के लिए स्वतन्त्र थे। वास्तविक अर्थों मे उनके हिस्से मे गुलामी ही थी। उन्हे काम देते समय मालिक उनसे स्टाम्प पर अगूठे के निशान लगवाता था। ठेकेदार मजदूरो को लालच देकर बागानो मे काम दिलाने ले जाते थे और फिर उन्हे बंधुआ बना लेते थे। उनकी दुख भरी कहानिया द सजीवनी और द बगाली मे प्रकाशित होती थी। द्वारकानाथ गागुली ने इन अखबारो को कई प्रत्यक्षदर्शी रिपोर्टें भेजी थी। यूरोपियो द्वारा महिला मजदूरो पर किये गये अत्याचारो की की कहानी कुख्यात टेक काड' के जरिए काफी प्रचारित हुई। बाद मे इस काड का विवरण *'भारत मे न्याय की हत्या' शीर्षक मे प्रकाशित हुआ।*

खेतिहर मजदूरो मे से अधिकाश लोग आदिवासियो और हरिजनो के बीच मे आये थे। 1930 मे की गयी इनकी गणना इस प्रकार थी

| | |
|---|---|
| सयुक्त प्रात | 1 करोड 20 लाख |
| बगाल | 1 करोड 15 लाख |
| मध्य प्रात | 33 लाख |
| मद्रास | 65 लाख |
| बिहार और उडीसा | 50 लाख |
| पजाब | 28 लाख |

| | |
|---|---|
| असम | 10 लाख |
| बम्बई | 15 लाख |

खेतिहर आबादी के मुकाबले उनका प्रतिशत इस प्रकार था

| | |
|---|---|
| बम्बई | 57 प्रतिशत |
| सयुक्त प्रात | 21 8 प्रतिशत |
| बगाल | 33 प्रतिशत |
| मध्य प्रात | 52 प्रतिशत |
| मद्रास | 54 प्रतिशत |
| बिहार और उडीसा | 35 प्रतिशत |
| पजाब | 14 5 प्रतिशत |
| असम | 25 प्रतिशत |

1931 म खेतिहर मजदूरा की सख्या खेती-बाडी म लगी आबादी का 70 प्रतिशत थी। जो आदिवासी नही थे वे मुख्यतया अनुसूचित जाति के तथा गरीब मुसलमान थे। सवण हिन्दू तथा रईस मुसलमान पढे लिखे थ। उन्हे टक्स कलक्टरी तथा जमीन के बदोबस्त से सबधित अन्य नौकरिया म लगाया गया था। उन्हे भली भाँति पता था कि अपढ किसाना से जमीन हडपने क लिए कानून की खामिया का कैसे इस्तेमाल किया जाये। कब्जा की गयी जमीन को अमीरा म बाँट दिया जाता था। इस प्रकार जाति और वग का सूक्ष्म भेद धीरे धीरे एक हो गया। एक उदाहरण प्रस्तुत है।

उत्तर प्रदेश म जमीदारी प्रथा के समाप्त किय जाने से पूव पुरानी कर प्रणाली के आधार पर जमीन को 37 क्षेत्रा म बाँटा गया था। पहले सेहाना सरदार' नाम से ज्ञात एक ग्रुप के प्रमुख नेता के ऊपर कर वसूलने की जिम्मेदारी थी। उसके मातहत अनेक सहायक सेहाना होते थे। व अपने प्रमुख के अधीन रहकर कर की वसूली और जमीन क निर्धारण का काम करत थे। वे सभी राजपूत और ब्राह्मण थे। वे अनुसूचित जाति के उन लागा की जमीन पर कब्जा कर लेते थे जो कर देने मे असमथ होत थे। जब्त की गयी सारी जमीन को अपन वग के लोगा के बीच बाट देत थे। इस प्रकार अधिकाश जमीन पर राजपूत और ब्राह्मणा की मिल्कियत कायम हो गयी।

पूरे साल के लिए खेतिहर मजदूरा क पास काम नही होता है। यहाँ तक कि सीजन शुरू होने पर भी सभी का काम नही मिलता। कुछ का इस शत पर काम मिलता है कि वेतन क रूप म वे केवल खाना पा सकेंगे। कुछ को कज लेन के कारण बधुआ मजदूर बना लिया जाता है। उनके पास कोई और चारा नही है। बधुआ मजदूरा का कम-से कम खाना तो मिलता था—यह बात अलग है कि क्या खायगे।

जहा तक खाने की बात है, इसका विवरण बहुत घृणाजनक ह। मध्य भारत म हलवाहा को खाने का वही मिलता ह जो उनके धर्मपरायण हिन्दू मालिक पवित्र समझते है। वे अपने मजदूरो को वह अनाज देते ह जो गाय और भैंस पचा न पाने के कारण गोबर के साथ बाहर निकाल देती ह। इस अनाज को धोया जाता है और फिर हलवाहा द्वारा खाया जाता है। यह कोई कल्पित बात नहीं है और बहुत पुरानी बात भी नहीं है।

इस प्रकार एक राज्य से दूसरे राज्य तक वधुआ मजदूरो की सख्या बढते जाने का कारण साम्राज्यवादी भूमि-बदोबस्त प्रणाली है।

वधुआ मजदूर का मामला आज भी एकदम जीवन्त और सशक्त है। आज भी बेतहाशा प्रचार और धूमधाम के साथ देश म जब किसी परियोजना का उद्घाटन किया जा रहा होता है – किसी जगल म देश की किसी मुलायम या कठोर धरती के हिस्से पर कोइ अभागा परिवार चुपचाप गुलामी की जजीर म कसता जा रहा होता है। यह रोग काफी पुराना है पर आज भी काफी मजबूत रोग है।

अलग अलग स्थानो मे वधुआ मजदूरो को अलग-अलग नामो से जाना जाता है। वे गुजरात मे हाली, दक्षिण मद्रास म इझवा, चेरुमा पुली और होलिया मद्रास म पूर्वी नदी घाटी म परियाल तमिलनाडु म पन्नियल और पचिराम, आध्र प्रदेश म गस्सिगुल्ला, हैदराबाद म भगेला, अयोध्या म सनवक, मध्य भारत म हरवाहा, बिहार म सकिया, कमिया, सेवकिया और जनौर के नाम से जाने जाते ह। उडीसा मे उन्हें गोटी बरमसिया, नागा मुलिया और डडा मुलिया कहा जाता है। जम्मू-कश्मीर म इन्हे माझी, नन और लमरी कहा जाता है। करल म बगार और राजस्थान मे सगरी नाम से जाने जाते है। महाराष्ट्र म वेट या वगार है। उत्तर प्रदेश मे सट, खडिन आर सजियत ह। सरकारी तौर पर पश्चिम बगाल म एक भी वधुआ मजदूर नही है। लेकिन भतुआ, वारोमसिया, महिन्दर और वागल लोग वधुआ मजदूर के सिवा और कुछ नहीं है।

कर्नाटक मे ये जुथा नाम से ह।

इसके अलावा और भी कुछ ह जिनके बीच ज्यादा अतर नही है।

हम बाद मे उस पर विचार करेंगे।

# 1

15 अगस्त 1947 के अविस्मरणीय दिन से पहले के 45 वर्षों में कृषि के काम आने वाली जमीन में 14 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि आबादी में 37 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन में केवल 12 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। चूंकि उत्पादन में वृद्धि आबादी में वृद्धि की तुलना में कम थी, प्रति व्यक्ति कृषि-उत्पादकता में गिरावट आयी। हमें विरासत के रूप में एक रुग्ण कृषि-अर्थव्यवस्था मिली थी और यह बड़ी अफसोस की बात थी, क्योंकि 1951 की जनगणना में जानकारी दी गयी थी कि आबादी का 70 प्रतिशत हिस्सा कृषि पर निर्भर है।

आजादी के 30 वर्ष से भी अधिक समय और कुछेक पंच-वर्षीय योजनाओं के बाद भी हम आज भी कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति का दावा नहीं कर सकते। जनसंख्या में वृद्धि और बढ़ती कीमतों ने सारी प्रगति को बराबर कर दिया है। अंग्रेजों के औपनिवेशिक हितों ने भारतीय उद्योगों को चौपट कर दिया और साथ ही इन्हें ऐसी सीमा में बंद कर दिया जिससे ये अतिक्रमण नहीं कर सके। इन स्थितियों का असर हमारी कृषि पर भी पड़ा और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तो इस बात पर है कि आजादी के बाद भी इन कमियों को दूर करने की कोई कोशिश नहीं की गयी। यूरोप का इतिहास हमें बताता है कि जब तक कृषि के क्षेत्र में अतिरिक्त पैदावार नहीं होगी तब तक बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण के लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। कृषि का ठोस आधार बनाये बिना खाद्य पदार्थों और बुनियादी कच्चे माल की सप्लाई भी संभव नहीं है। तेजी से औद्योगीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ये अनिवार्य शर्तें हैं।

प्रथम पंच-वर्षीय योजना के दौरान सिद्धांत रूप में यह बात मान ली गयी थी कि सिंचाई और बिजली के साथ साथ कृषि को वरीयता दी जायेगी। कृषि की ओर से लापरवाही बरतना संभव नहीं था, क्योंकि अतिरिक्त खाद्य पदार्थों और कच्चे माल के अभाव में औद्योगीकरण का प्रयास धराशायी हो जाता।

इसलिए प्रथम पंच वर्षीय योजना में कृषि का ही राग अलापा जाना ।

कृषि एव ग्रामीण विकास के लिए 35 करोड 40 लाख रुपये निर्धारित किय गये। कुल बजट का यह 14 9 प्रतिशत हिस्सा था। सिंचाई और बिजली क लिए 64 करोड 70 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गयी जो बजट का 27 2 प्रतिशत थी।

दूसरी योजना म हमारी प्राथमिकता बदल गयी, जबकि ऐसा करने का उचित समय नहीं था। कृषि और ग्रामीण विकास क लिए कुल बजट का 11 8 प्रतिशत तथा उद्योग एव खनिज व धातु क लिए 18 5 प्रतिशत अश निर्धारित किया गया।

दूसरी योजना म कृषि क क्षेत्र म उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं किया गया। तीसरी योजना म भी उत्पादन पूव निर्धारित लक्ष्य म (जो 10 म 10 5 करोड टन था) बहुत कम रहा।

1952 53 स 1964 65 तक क बारह वर्षों क आंकडो से—जिन्हे खाद्य मत्रालय न प्रकाशित किया है—पता चलता है कि कृषि क क्षेत्र म सम्मिलित वार्षिक विकास दर केवल 3 प्रतिशत रही। इसम स खेती-योग्य भूमि म 1 21 प्रतिशत तथा उत्पादन म 1 77 प्रतिशत की वद्धि हुई। शुरू की तीनो पच-वर्षीय योजनाओ क दौरान कृषि उत्पादन के फलस्वरूप कुल लाभ 2 1 प्रतिशत हुआ। प्रथम योजना के दौरान इसम 1 2 प्रतिशत और द्वितीय योजना के दौरान 3 प्रतिशत की वद्धि हुई। तीसरी योजना क समाप्त होन तक इसम 2 प्रतिशत का ह्रास हो चुका था।

चौथी और पाँचवी योजना क अत तक यह ह्रास रोका नहीं जा सका। इसका कारण यह था कि अंग्रेजो द्वारा थोपी गयी पुरानी साम्राज्यवादी भूमि प्रणाली म कोई तब्दीली नहीं की गयी और इस कारण को हमेशा नजरअदाज किया गया। जब तक यह पूरा नहीं होता तब तक न तो उत्पादन म वद्धि की जा सकती है और न किसानो की दशा म कोई सुधार किया जा सकता है।

जब हम अर्थ-व्यवस्था के कृषीय क्षेत्र म उत्पादकता और विकास की बात करते है तो निश्चय ही हम किसानो के जीवन स्तर को सही अर्थों म बेहतर बनाने की दुर्ग्राह्य अवधारणा को भी इसम शामिल करते ह। इस अवधारणा को वे लोग नही पसद करते जो आज भी दमन की पुरानी परपरा निभान म पूरी ताकत के साथ लगे हुए है।

प्रोफेसर कोसाम्बी न ठीक ही कहा है कि यदि आधुनिक भारत के गाँवो की यात्रा की जाय तो उन वस्तुओ—मसलन पुरान उपकरण, बलगाडियाँ, झोपडे और भूख स पीडित चेहरे—को देखा जा सकता है जो ईसा पूव 150 और 200 ईसवी के कुषाण साम्राज्य की मूर्तियो की शक्ल मे अमर हो चुकी हैं।

कितनी सदियां बीत गयी लेकिन हमारे किसान आज भी उसी तरह की

जिन्दगी गुजार रहे है। निश्चय ही सामाजिक अन्याय का यह एक जबरदस्त उदाहरण है।

आजादी से पूर्व और आजादी के बाद भी काग्रेस शासन ने किसानो की पीडा पर कई बार विचार किया। दिसम्बर 1947 मे काग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष ने कुमारप्पा समिति का गठन किया जिसका काम भूमि-सुधार के मामलो की छानबीन करना था और इस सर्वेक्षण के बाद उसे उपयुक्त सिफारिशे करनी थी। जुलाई 1949 मे प्रस्तुत की गयी अपनी रिपोर्ट मे इस समिति ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था मे जब तक पूरी तरह सुधार नही किया जाता तब तक समस्या का स्थायी समाधान सभव नही है। ऐसा करने के लिए बिचौलिया को खत्म करना होगा और जमीन को किसानो के हाथ मे सौपना होगा। इसके साथ ही विधवाओ, नाबालिगो और अपग व्यक्तियो को छोडकर अन्य किसी भी मामले मे भूमि पट्टेदारी की प्रथा पर रोक लगानी होगी। इसने यह भी उल्लेख किया था कि भूमिहीन किसानो को कुछ अधिकार भी देने होगे। एक सुझाव दिया गया था कि जो लोग लगातार छह वर्ष से किसी जमीन को जोत-बो रहे हो उन्हे अपने आप ही उस जमीन पर स्वामित्व कायम करने का अधिकार मिल जाना चाहिए। अन्य मामलो मे जो असली मालिक है वे यदि चाहे तो जमीन पर अपने दावे फिर कायम कर सकते है बशर्ते इसे वे एक निर्धारित समय मे पूरा कर लें। रिपोर्ट मे अनेक एहतियाती उपायो को भी शामिल किया गया था ताकि जमीदार लोग कोई अनुचित लाभ न उठा लें

(क) जिन लोगो ने न्यूनतम परिमाण मे भी शारीरिक श्रम किया है और खेत जोतने-बोने मे खुद भी हिस्सा लिया है उन्हे वास्तविक किसान माना जायगा।

(ख) जमीन के असली मालिक अपने दावे जमीन के उसी हिस्से पर कर सकते है जो उनकी जोत को आर्थिक दृष्टि से उपयोगी बना सके।

रिपोर्ट मे उल्लिखित अन्य सिफारिशो मे कहा गया था कि किसान काश्तकारो को एरिया लैंड ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित मूल्य पर जमीन खरीदने का अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही जमीन से बेदखल किये जाने के सिलसिले को भी फौरन रोक दिया जाना चाहिए। सभी वर्गो के किसानो को ऊँचे करो तथा गैर-कानूनी मागो से हिफाजत देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। करो का निर्धारण नकद के रूप मे किया जाना चाहिए और इसके लिए उचित दरें भी तय कर देनी चाहिए। अत मे खेत की एक सीमा निश्चित करने की भी सिफारिश की गयी थी जिसे अधिकतम उस जमीन के क्षेत्रफल का तीन गुना माना गया था जो आर्थिक दृष्टि से सुदृढ जमीन थी।

इन सिफारिशो मे तीन तरह की गतिविधियो को शामिल किया गया था—व्यक्तिगत खेती, सहकारी खेती और सरकारी खेती। कृषि योग्य बनायी गयी

भूमि के बारे मे प्रस्तुत सुझावा म कहा गया था कि ऐसे मामला म भूमिहीन मजदूरा का बड़े खेत जनाने का अवसर दिया जाना चाहिए भले ही इस काम म लाभ हो या नुकसान।

इस सुधार समिति न एक ऐसी कृषि प्रणाली के बारे मे सोचा था जिसम किसाना का ततत्व होगा। अपेक्षाकृत बडी लाभोमुख पृष्ठभूमि के मुकाबले मालिका और मजदूरा के बीच सबध कायम करने की कोई कोशिश नहा की गयी।

य सिफारिशे ज्यो की-त्यो बनी रही—इनका अस्तित्व कागजा तक ही सीमित रहा। प्रथम पच वर्षीय योजना म सरकारी तौर पर तयार की गयी भूमि नीति न समिति द्वारा पेश किय गय सुधारा के मुख्य पहलुआ की उपेक्षा की। इसका एक पहलू हम किसाना की परिभाषा म देख सकत ह जिसम कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर श्रम का एक न्यूनतम परिमाण खच करता है, उसी अवस्था मे उसे किसान माना जा सकता है। जहा तक जमीन की मिल्कियत का सवाल है इसन खेती करन वाले मालिका और खेती न करन वाल मालिका के बीच एक फक दिखाया। खेती के काम म लग किसान जमीन पर सीधे अपना दावा प्रस्तुत कर सकते थ, जबकि खुद खेती न करने वाले मालिक केवल उसी जमीन पर दावा कर सकत थे जो किसाना की आधिक जोता की सीमा को पार करती थी। यदि इस सिद्धात पर अमल किया गया होता तो जमीन स बेदखल किय जान की अनेक घटनाएँ रोकी जा सकती थीं।

इस आवश्यक अतर को कभी निर्धारित नहीं किया गया। जमीन पर फिर से दावे करने के मामल म उन लोगा को वरीयता दी गयी जो खुद खेती नहीं करते थ और इसके फलस्वरूप सचमुच मेहनत करन वाले वग को पूरी तरह या आशिक रूप से बेदखल कर दिया गया। यथाथ म बेदखली की घटनाएँ बढती गया और जमीन की मिल्कियत चद लोगा के हाथा म सिमटती चली गयी। महनतकश किसानो का पक्ष लेने वाले मामले बहुत कम थे। इसका नतीजा यह हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रा म दो वर्गो के बीच का अतर लगातार बढता गया और आर्थिक विषमता भी बढती गयी।

काश्तकारी से सम्बधित नीतिया भी समान रही थी। सुधार समिति विधवाओ नाबालिगो और अपग लोगो के मामला को छोडकर पटट पर जमीन देन के खिलाफ थी। फिर भी पहली पच वर्षीय योजना म जो अत्यंत विधान था उसन समूचे मामले को उन लोगा क पक्ष म कर दिया जिन्होंने जमीन को पटटे पर देन की नीति अपनायी थी।

ऐस लोगा को इजारेदार कहा जाता था। साथ ही उन लोगा क बीच कोई भेद नहीं किया गया जो छोटी जोत के मालिक थे और अनिश्चित आय क लिए

कई मामला म करा की अधिकतम दर अभी भी फसल के पचास प्रतिशत हिस्से से अधिक है। उडीसा म एक कानून क जरिए यह घोषित किया गया है कि फसल का 25 प्रतिशत हिस्सा ही कर के रूप म लिया जायगा, फिर भी पुराना कानून अपनी पूरी ताकत क साथ बरकरार है और किसानो म फसल का 50 प्रतिशत हिस्सा वसूला जाता है। अपनी खोजबीन के दौरान हमन देखा कि पजाब म जमीन म बेदखल किये जान की घटनाएँ अभी भी तेजी पर हैं। बिहार और पश्चिम बगाल म बगदारा को किसी न किसी बहाने जमीन से खदेड दिया जाता है। 1948 51 के बीच सरक्षित काश्तकारो की सख्या 17 लाख न घटकर 13 6 लाख हो गयी। इनके अधीन जा भूमि थी वह भी घटकर 18 प्रतिशत रह गयी। आध्र प्रदेश सरकार की एक जाच समिति न पता किया कि 1951 और 1955 के बीच सरक्षित काश्तकारो और उनकी जोता म कमी आयी और यह क्रमश 50 तथा 59 प्रतिशत हो गयी। समिति के अनुसार कानून म निहित खामी न इसे अप्रभाव कारी बना लिया।

इसका नतीजा यह हुआ कि अनेक महत्वाकाक्षी योजनाआ के तयार किये जाने के बावजूद खेतिहर मजदूरा की सख्या हजारा म बढती जा रही है। जन गणना रिपोट म जो आकडे दिये गय हैं वे पहली बार सही बात का सामन ला सके हैं।

1951 म खेतिहर मजदूरा की सख्या 7,15 766 थी। 1961 म यह सख्या 3 15 19 411 और 1979 म 4,73,04,808 तक पहुँच गयी। दूसरी तरफ किसाना की सख्या 9 95,28,313 थी। 1971 म यह घटकर 7 87 06,896 हा गयी। कहना न होगा कि इस अवधि के दौरान मजदूरा की हालत म और भी गिरावट आयी।

1951 52 और 1956 57 की पहली और दूसरी खेतिहर मजदूर जाच समिति की रिपाटों म काफी ब्यौरा मिलता है। खेतिहर मजदूरा की शिनाख्त करने के लिए दोनो समितिया न अलग अलग पमान का इस्तेमाल किया है। पहली समिति क अनुसार जिन लागो न खेती म अपन श्रम का आधा हिस्सा दिया था उन्ह खेतिहर मजदूर कहा गया। दूसरी समिति का कहना था कि जिन लोगो न अपनी कुल आय का आधा हिस्सा खेती-बाडी क जरिए अर्जित किया था उन्ह खेतिहर मजदूर कहा जाना चाहिए। इसस काफी भ्रम फला।

इसका कारण यह था कि इस बात की कोई गारटी नहीं थी कि हर बार फसल की कटाई के समय किसी मजदूर को काम मिल ही जायेगा और वह भी प्रतिदिन। यदि उसे काम मिल भी जाता है ता मजदूरी के रूप में जो भी राशि उसे प्राप्त होगी वह बडे किसाना और जोतदारा की मर्जी पर निभर है (विशव, न्यूनतम वतन के सम्बध म एक कानून था)। फलस्वरूप अपन जीवन-यापन के

लिए मजदूरों को दूसरे काम भी करन पडत थ (शायद शहरी क्षेत्रा म भीख मांगनी पडती थी)। इसलिए खेती-बाडी म लगाये गये समय के आधार पर अथवा इसके जरिए अर्जित आय के आधार पर खेतिहर मजदूरा की सख्या निर्धारित करना गलत होगा।

इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार 1951 52 और 1956-57 के बीच मजदूरों की मंडी का ज्यादा विस्तार नही हुआ। पुरुष-मजदूरो की सख्या म 1 3 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई और महिला-मजदूरो की सख्या म यह वृद्धि 5 1 प्रतिशत रही। महिला-मजदूरा की सख्या म अपेक्षाकृत ज्यादा वृद्धि हुई, क्योंकि इनको दी जाने वाली मजदूरी कम थी। दूसरी तरफ, पुरुषों और महिलाओं की मजदूरी की दरो म क्रमश 12 प्रतिशत और 13 प्रतिशत की कमी आयी। फलस्वरूप प्रत्येक परिवार की आय म 2 2 प्रतिशत की कमी हो गयी और कर्ज म 31 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कर्ज से लदे परिवारो की सख्या 44 5 प्रतिशत म बढकर 63 9 प्रतिशत हो गयी।

1950-51 म कर्ज की कुल राशि 80 करोड रुपये थी जो 1956 57 म बढकर 143 करोड रुपये हो गयी। 1960-61 म दूसरी योजना के अत म यह राशि 160 करोड रुपय तक पहुँच गयी।

भूमि सुधार के प्रारंभिक कदम के रूप में प्रथम योजना के दौरान ही 1951 म जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 1954 आते आते बिचौलिया का अस्तित्व कम से-कम कागज पत्रा म समाप्त हो गया। इसके पीछे मुख्य इरादा सरकार और किसाना क बीच लेन-देन की सीधी व्यवस्था कायम करना था। कानून म इतनी खामियां थीं कि भूतपूर्व जमींदारा का अस्तित्व भी बना रहा। पहले की ही तरह वर्ग युद्ध जारी रहे। केवल नाम बदल गये। जिन्हे पहले सामती भू-स्वामी और जमींदार के नाम स जाना जाता था व अब भूतपूर्व जमींदार, जोतदार और धनी किसान बन गये थे लेकिन छोटे किसाना, बगदारा और खेतिहर मजदूरा की पुरानी पहचान बनी रही। धनी किसाना के शक्तिशाली गुट का 'भारतीय कुलक' भी कहा जा सकता है। आकडा स पता चलता है कि पहली योजना के दौरान अनेक छोटे किसाना और बगदारो को उनकी जमीन से बेदखल किया गया और यह अन्याय का ऐसा उदाहरण है जो सौ साल में इतिहास म कभी देखने को नही मिला।

पश्चिम बगाल की स्थिति पर विचार करें। जमींदारी प्रथा के खत्म होने के बाद भी बगदारा और बटाईदारा को जो 25 प्रतिशत से 46 प्रतिशत जमीन जोतते थ, किसी तरह का फायदा नही हुआ। असली फायदा भू [illegible] को मिला जो खेती-बाडी करने वाली आबादी म अल्प सख्यक थे [illegible] 1956 म बगदारा के हितो की रक्षा करने के प्रयास विफल हो [illegible]।

कानून बना जिसम कहा गया कि प्रत्यक व्यक्ति के पास 25 एकड स अधिक जमीन नही होगी। यह कानून एकदम नाकाम हो गया, क्योकि बडे भूस्वामियो न अलग-अलग नामो से जमीन पर अपना कब्जा बनाय रखा। बगदारो न महसूस किया कि सरकार और कानून म उनकी रक्षा नही हो सकती। दरअसल, हर समय जमीन स बेदखल कराय जान का खतरा तलवार की तरह सर पर लटक रहा था। कितन परिवारो को बेदखल कराया गया यह अब इतिहास का विषय बन गया है।

इस प्रकार जमीन से बेदखल किये जान के बाद छोटे किसानो और बगदारों न स्वतत्र भारत मे खेतिहर मजदूरो की कतार म शामिल होना बेहतर समझा। दूसरी तरफ वे मालिको और महाजनो से ज्यादा से ज्यादा कज लेन लग ताकि उनका और उनके परिवार का खच चल सके। उनकी आय और कज की मात्रा के बारे मे अध्ययन करना बहुत जरूरी है।

(2)

1967 68 म रिजव बक आफ इडिया न अपनी रिपोट म बताया था कि ग्रामीण आबादी का 70 प्रतिशत हिस्सा गरीबी की रेखा स नीचे रहता है। इस रेखा से नीचे और सबसे नीचे खेतिहर मजदूर आते हैं। बेशक यह कहा जा सकता है कि वे जीवित थे क्योकि वे उस समय तक मर नही सके थे। 1972 म बाँकुडा जिले के दो गाँवो के सर्वेक्षण से पता चलता है कि खेतिहर मजदूर की दनिक मजदूरी 37 पसे थी। तत्कालीन श्रम आयुक्त न इस पर टिप्पणी की थी कि ये लोग कसे जीवित ह, यह एक चमत्कार है। अन्य सभी राज्यो मे भी मजदूरो क मामले म यह बात सच थी।

आजादी के बाद सरकार न खेतिहर मजदूरो की न्यूनतम मजदूरी के सिलसिले म अनेक कानून बनाय। लेकिन इन कानूनो को कभी भी पूरी तरह लागू नही किया गया। कानून म अनक खामियो के कारण या तो इन्ह अप्रभावकारी बना दिया गया था या भू स्वामियो के हाथ म ये हथियार बन रह गये थे। कागज पर मजदूरी म कुछ वृद्धि दिखला दी गयी थी, लेकिन इस वृद्धि को कीमतो म हुई बढोतरी न नाकाम कर दिया। जिन मजदूरो ने न्यूनतम मजदूरी की माग को लेकर आदोलन किय उन्ह काम से हटा दिया गया। भू स्वामियो ने कम मजदूरी पर बाहर से बुलाकर मजदूरो को भर्ती किया। स्थानीय और बाहरी मजदूरो म कई बार सघष हुए लेकिन इसम भू स्वामियो को किसी तरह का नुकसान नही उठाना पडा। इस तरह के अनुभवो से मजदूरो न विवश होकर अपने घर-बार छोड दिय और दूसरी जगह चले गये।

खेतिहर मजदूरो के लिए काम मिलने की भी कोई गारटी नही है। औसतन 15 प्रतिशत मजदूरो को कोई काम नही मिलता। जिन्ह मिलता भी है वे साल

के बारहो महीने काम पर नही होते। खेता म जो काम करते है उन्हे वष म लगभग 150 दिन मजदूरी सहित काम मिलता है। सिंचाई वाले खेता म काम करने वाले मजदूरो को केवल बोने और काटने के समय ही काम मिलता है। साल के बाकी दिना म व बेरोजगार रहते है। 1950 51 म इस तरह के मजदूर की दनिक मजदूरी 207 पैसे थी। 1956 57 म 230 पसे और 1964 65 म 297 पसे हो गयी। सेंट्रल लेबर ब्यूरो द्वारा प्रकाशित एक रिपोट म बताया गया है कि पिछले 14 वर्षों म खेतिहर मजदूरा की आय म 37 प्रतिशत की वद्धि हुई। लेकिन वास्तविक आय म पाच प्रतिशत की गिरावट आयी।

आय म कमी और लम्बी अवधि तक बेरोजगार रहने के कारण मजदूरा को कज का सहारा लेना पडता है। छोटे किसाना और बगदारा की जरूरता म थोडा-सा फक है। उनकी कजदारी मुख्य रूप से इसलिए बढती है क्याकि उन्हे उपकरण बीज और रासायनिक खाद खरीदने पडते है। इसके अलावा फसल तयार होन तक खान के लिए भी उन्हे रुपय की जरूरत होती है और साथ ही एस सामाजिक दायित्व को भी पूरा करना पडता है जिसके प्रति धनी या गरीब कोइ भी उपेक्षा नही बरत सकता। एक बार लिया गया कज पीढी दर-पीढी सर पर चढा रहता है। उनकी निरक्षरता का फायदा महाजन लोग उठाते है और कज क रूप म लिखी गयी राशि को बढाते रहते हैं। कज की राशि का चाहे जितना भी हिस्सा चुकता किया जाये मूल राशि म कोई कमी नही आती और चक्रवद्धि ब्याज की दर से इसम वृद्धि होती रहती है।

भारत सरकार की 1961-62 की रिपोट म बताया गया है कि खेती करने वाले प्रत्येक दस परिवारा म से छह परिवार कज से ग्रस्त थ। कज के रूप म ली गयी कुल राशि म से सहकारी सस्थाओ और बको न आठ प्रतिशत से भी कम दिया था। शेष राशि गाव के सूदखोर महाजनो से प्राप्त हुई थी। रिजव बक आफ इडिया न अपनी रिपोट म बताया है कि ग्रामीण कजदारी म 1961 और 1971 क बीच दुगुनी वद्धि हुई। इसकी आधी राशि खेती बाडी के लिए किसाना द्वारा ली गयी थी। इस कज के चालीस प्रतिशत हिस्से पर ब्याज की दर 12 5 प्रतिशत थी। रिपोट म कहा गया है कि कुल ऋण 3,752 करोड रुपये था। यह राशि नकद के रूप म दी गयी थी और इसके बदले 96 करोड मूल्य के सामान उधार लिये गये थे। इसम से खेतिहर परिवारो ने (श्रमिक वग का 72 प्रतिशत हिस्सा) 3,374 करोड रुपये लिय थ जो कुल राशि का 88 प्रतिशत था। खेतिहर मजदूरो ने 181 करोड रुपये या 4 7 प्रतिशत की राशि ली। कारीगरा ने 54 करोड या 1 4 प्रतिशत और गैर कृषको न 239 करोड या 6 2 प्रतिशत की राशि ली।

1975 76 म लगभग सभी राज्या म तरह तरह क तरीका स ग्रामीण कज

रिपोट स यह भी पता चला कि कज की आध से अधिक राशि महाजना द्वारा दी गयी थी जबकि वहा सरकारी समितिया और ग्रामीण बका की सुविधाएँ उपलब्ध थी। सरकार की सारी एजेंसिया महाजनो के जाल से गरीब किसाना और मजदूरा की रक्षा करने म विफल हुई थी। यह विफलता अवश्यभावी थी, क्याकि जिन लोगा को इसका शिकार बनाया गया था व गरीब, असहाय और असगठित थे। सरकारी कानूना न केवल सुविधा सम्पन्न लोगा की ही मदद की। आसान दरा पर थोडे समय के लिए कज देने वाली ऋण समितिया के कार्यो की जाच करें तो पता चलेगा कि इन पर धनी महाजनो, धनी किसाना और उनके एजेंटा का ही नियनण है। इसम उपलब्ध राशि वे अपनी जोत बढान के लिए खच करते हैं अथवा ब्याज की ऊँची दरा पर (24 से 120 प्रतिशत प्रतिवष) इसी राशि को व गरीब किसाना का दे देते हैं।

राज्य व्यापार निगम की कहानी भी उतनी ही दुखद है। इस निगम की स्थापना का उद्देश्य यह घोषित किया गया था कि इसके जरिए मुनाफाखोर बिचौलिया को हटा दिया जायेगा। लेकिन इसन उन्ही तत्वा की मन्द से काम शुरू किया। ऐसे लोग पहले की तुलना मे और भी प्रभावशाली बन गय और किसाना पर अपना दमन तेज करन का उन्ह और भी ज्यादा अवसर मिल गया। इन सबके बावजूद सरकारी कागज पत्रा म यही दिखाया गया कि हर योजना के दौरान गरीब किसाना और मजदूरो को लाभ मिलता रहा है और महाजना से उनकी रक्षा की जाती रही है। यह सारा इतजाम एक धोखा था और जनता को ठगने का नया तरीका था।

घटनाओ का क्रम कुछ एसा रहा कि छोटे किसान अनिवाय रूप से भयकर कज स दबते चले गये और अपनी पुश्तैनी जमीना से बदखल कर दिये जाने क बाद व खेतिहर मजदूर बन गय। साथ ही इसी प्रक्रिया के जरिए इन मजदूरा का बधुआ मजदूर बना लिया गया। सविधान के अनुच्छेद 23 म कहा गया है कि गुलामी कराना गैर कानूनी है लेकिन व्यवहार म इसे हमेशा झुठलाया गया है। जब तक भूमि प्रणाली म परिवतन नही किया जाता तब तक गुलामी की प्रथा को रोका नही जा सकता, भले ही इसके लिए हजारो कानून क्यो न बना दिये जायें। यह दिन ब दिन बढती ही जायेगी।

एक सवाल पदा हो सकता है कि जमीदार और महाजन इतने गरीब लोगो को कज क्यो देते ह जो पसा चुकता न कर सकें? जहाँ तक छोटे किसानो की बात है उनके पास जमानत के रूप म दन के लिए कुछ तो है लेकिन साधारण मजदूरो के पास क्या है? यह बडी सहज बात है। कज के कारण छोटा किसान महाजन के लिए अपनी जमीन गँवा देता है और इसी तरह खेतिहर मजदूर बहुत मामूली मेहनताने पर श्रम करन के लिए बाध्य होता है। मजदूर के पास और कोई चारा

ही नही है। महाजन चाहता है कि य लोग उसस ज्यादा म ज्यादा कज लें क्योंकि उस पता है कि इसकी अदायगी नही हो पायेगी और इस प्रकार उस मजदूर की अनक पीढिया इसकी गुलामी कर सकेंगी। यही वास्तविकता है। खेतिहर मजदूरा को इसी प्रकार गुलाम बनाया गया है और व पूरे वर्ष महाजन के खेता पर या तो बिना किसी मजदूरी के या बडी मामूली मजदूरी लेकर दिन रात काम करत रहत है। उन्हें यह भी अधिकार नही होता कि वे किसी और व्यक्ति के खेत पर काम कर सक। अनक स्थाना म यह भी देखा गया है कि व अपन मालिक की इजाजत क बगर शादी भी नही कर सकत, भले ही उनक अन्दर शादी करन की क्षमता क्या न हो। रगपुर (अब बगलादेश म है) की एक प्रचलित प्रथा का उदाहरण दिया जा सकता है। यहा बधुआ मजदूरो के पास इतने पस नहा हो पात थे कि व अपन लिए शादी का इतजाम कर सकें। शरीर की इस प्राकृतिक भूख क अभाव स उनके काम पर असर पडता था जिसे मालिका न महसूस किया। इस समस्या क समाधान के लिए हिन्दू और मुसलमान—दाना जोतदारा न एक तरीका ढूढ निकाला। इन बधुआ मजदूरा को कुछ औरतें दी गयी और कहा गया कि इन औरता का काम उनके लिए खाना बनाना है। सच्चाई यह थी कि उन्हें मजदूरा की काम-वासना की तप्ति के लिए भेजा गया था। तिकडमी मालिका के दिमाग न कसा अनूठा समाधान ढूढ निकाला।

दिय गय ऋण क बार म यदि विस्तत जानकारी इकट्ठी की जाय ता पता चलगा कि इनका परिमाण क्या है? लगभग 58 1 प्रतिशत बधुआ मजदूरा पर प्रति व्यक्ति ऋण 500 रुपय 19 9 प्रतिशत पर 500 स 900 रुपय क बीच और लगभग 21 प्रतिशत पर 900 रुपय स अधिक का ऋण है।

निश्चय ही बिहार इसका एक ठोस उदाहरण है। यहाँ कज की राशि काफी कम है। आकड इस प्रकार ह

| बधुआ मजदूरों का प्रतिशत | प्रति व्यक्ति ऋण |
|---|---|
| 45 8 | रु० 100 या कम |
| 86 5 | रु० 300 या कम |

वस्तुत इसकी उलटी स्थिति का भी उल्लेख किया जा सकता है। राजस्थान क मगरी लागा म 12 9 प्रतिशत क ऊपर 500 रुपय स कम और 58 8 प्रतिशत क ऊपर 900 रुपय स अधिक का कज है। इसका मुख्य कारण यह है कि इन दोनो राज्या क मजदूरो का अलग अलग जीवन-स्तर है और उनकी सामाजिक अन्तक्रियाएँ भी भिन्न हैं।

महाजन लाग सारी धरती पर एक नियम का समान रूप से पालन करत हैं और वह यह कि व कभी एक बार म ही पर्याप्त रकम कज क रूप म नही देत।

हमेशा कर्जदार की जरूरत से कम राशि ही कज के रूप मे दी जाती है। कज मिलन तक उन्ह महाजनो के यहा कई-कई चक्कर लगान पडते है और इसका मनोवज्ञानिक असर भी पडता है।

बधुआ मजदूरो की यह कष्ट भरी कहानी बाजार से बेहद कम मजदूरी पर महाजना के जगला और खेतो म काम करन के साथ ही खत्म नही हो जाती। शुरू म लिया गया ऋण लगातार बढता जाता है। मूल राशि पर और बढती हुई मूल राशि पर ब्याज की राशि भी वढती जाती है।

ब्याज की दर अलग-अलग राज्या म अलग अलग है। बिहार के कमिया लोग ब्याज के रूप म चालीस प्रतिशत चुकता करते है। कई मामला म यह दर सौ प्रतिशत से भी अधिक है। कनाटक के बधुआ लोगो से भी चालीस प्रतिशत स ज्यादा ब्याज वसूला जाता है। खेतिहर मजदूर कुछ भी चुकता नही कर पात—वे कज की अदायगी के बारे म तो सोच भी नही सकत।

मध्यप्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान म एक अजीब और दिलचस्प बात देखन म आती है। वहा के महाजन ब्याज नही लेते। ऐसा सोचा जा सकता है कि वे वडे मानवीय ह लेकिन बात ऐसी नही है। दरअसल मजदूर एक ऐसी अवस्था म पहुँच गय है जहा ब्याज वसूलना एक अनावश्यक श्रम होगा। शुरू मे उन्हान जो कज ले लिया है और उस पर जो सूद इकट्ठा होता जा रहा है उसके कारण व हमेशा के लिए वहा बध गये है।

इस तरह के ऋणा के लेने का कारण विशुद्ध रूप से अपना जीवन यापन करना रहा है। कज का 47 5 प्रतिशत हिस्सा खान के लिए और 33 7 प्रतिशत हिस्सा शादी-ब्याह, दाह सस्कार आदि जसे सामाजिक कार्यो के लिए खच हुआ। यह आरोप कि मजदूर लोग फिजूलखच हाते है, एकदम गलत है और आकडो से यह साबित हा सकता है।

यदि यह कहा जाये कि ग्रामीण कजदारी ने बधुआ मजदूरो को जन्म दिया, तो गलत नही होगा। सरकारी आकडा के अनुसार खेतिहर मजदूरा का 4 2 प्रतिशत बधुआ मजदूर है। गर सरकारी आकडे इस 5 प्रतिशत अथवा इससे अधिक बतात है। आठ विभिन्न राज्यो का अलग अलग ब्यौरा यहा प्रस्तुत है

| राज्य | बधुआ मजदूरो की सख्या | कुल खेतिहर मजदूरों का प्रतिशत |
|---|---|---|
| आध्र प्रदश | 3 25,000 | 4 96 |
| बिहार | 1,11,000 | 1 70 |
| गुजरात | 1 71,000 | 9 40 |
| कर्नाटक | 1,93 000 | 7 60 |
| मध्य प्रदश | 5 00 000 | 11 80 |

| राज्य | बधुआ मजदूरो की सख्या | कुल खेतिहर मजदूरो का प्रति |
|---|---|---|
| राजस्थान | 67 000 | 9 40 |
| तमिलनाडु | 2 50 000 | 6 00 |
| उत्तर प्रदेश | 5,50 000 | 10 60 |

आकडा से पता चलता है कि आठ राज्या म बधुआ मजदूरा की सख्या 21 7 लाख है जो 3 कराड 70 लाख खेतिहर मजदूरा का 6 1 प्रतिशत है। यदि उडीसा महाराष्ट और पश्चिम बगाल के सही आकड प्राप्त हा तो इस सख्या मे और भी वद्धि होगी।

अब हम उन सात जिला का ब्यौरा देत है जहा सबसे ज्यादा बधुआ मजदूर है

| क्षत्र | जिले |
|---|---|
| उत्तरी तमिलनाडु | धमपुरी उत्तरी और दक्षिणी आरकाट चिगलपुट |
| तलगाना (आध्र प्रदश) | हैदराबाद आदिलाबाद मेडक, करीमनगर, महबूब नगर नालगाडा, निजामाबाद वारगल। |
| गुजरात / महाराष्ट्र | वलसद, सूरत बिदरोदा, गुजरात, पचमहल, नासिक धूल जलगाव (महाराष्ट्र)। |
| मध्य गुजरात | महेशपना, सुरिन्दरनगर, काठियावाड। |
| महाकौशल (मध्य प्रदश) | रायगढ, रतलाम विदिशा गुना मुरना सागर छनहार सतना रीवा, सदल सरगुजा, बस्तर (विशप रूप से उल्लेखनीय)। |
| उत्तर प्रदश (पश्चिम) | बिजनौर मुजफ्फरनगर मरठ मुरादाबाद, बरली खीरी सीतापुर। |
| उत्तर प्रदेश (उत्तर) और बिहार | बाहा देवरिया, चम्पारण और सारन। |

निम्नाकित जिलो को बधुआ मजदूर प्रदेश का उपनाम दिया जा सकता है

| जिला | राज्य |
|---|---|
| उत्तरी और दक्षिण आरकाट | तमिलनाडु |
| नालगाडा करीमनगर | आध्र प्रदश |
| शिमागा | कर्नाटक |
| अहमदनगर | महाराष्ट्र |
| बडौदा | गुजरात |
| सतना सादान बस्तर | मध्य प्रदेश |
| पलामू | बिहार |
| देवरिया | उत्तर प्रदश |

इन क्षेत्रो म जो वधुआ मजदूर है उनम से 78 प्रतिशत कज लेन के कारण वधुआ बनाये गय हैं और केवल 13 प्रतिशत—जो किसी खास जाति के है और काई दूसरा काम नही पा सक्ते—अपन मालिको की जमीन कई पीढियो से काश्तकार के रूप म जोत रहे है।

इस गुलामी की समय सीमा पर ध्यान देना अथपूण होगा। सामा य तौर पर 60 प्रतिशत वधुआ मजदूर अनिश्चित काल के लिए वधुआ बनाये गये है। इस गुलामी से मुक्ति उनके मालिका की दया पर ही निभर है। लगभग 10 प्रतिशत मजदूर दस वष की उम्र से गुलाम हैं। इसके अलावा दस प्रतिशत मजदूर बीस वष से भी अधिक समय से गुलाम है। महज चार वष पूव 56 प्रतिशत मजदूरा का वधुआ बनाया गया है और अन्य 33 प्रतिशत मजदूरा ने अभी दो वष पूव ही अपनी आजादी खोयी है।

कृपया ध्यान दें कि वधुआ मजदूर प्रथा को समाप्त करने के लिए 1975 म एक अध्यादश जारी किया गया।

किसी भी कानून अथवा अध्यादेश ने वधुआ मजदूरो की मदद नही की। व अभी भी महाजनो के जाल म हैं। अपनी आय से वे कज चुक्ता नही कर सक्त। इनम से लगभग तीस प्रतिशत लोग प्रति माह दस रुपये से कम पैसे कमाते हैं, हालाकि भुगतान की जाने वाली औसत राशि की दर 35 रुपये है।

तमिलनाडु उत्तर प्रदेश, कनाटक और बिहार के मजदूर काफी भाग्यशाली हैं—तमिलनाडु म पचास प्रतिशत मजदूरो की आय प्रति माह चालीस रुपये से थोडी ज्यादा है और यही स्थिति उत्तर प्रदेश के तीस प्रतिशत मजदूरो की है। कनाटक और विहार म क्रमश 39 प्रतिशत और 40 प्रतिशत मजदूरो की इतनी ही आय ह।

यह अनुमान लगाया जा सकता है कि नकद और फसल के रूप म उन्ह वस्तुत क्या मिलता है। अनाज के रूप मे जो कुछ मिलता है उसका मूल्याकन यदि रुपये के सदभ मे करें तो थोडा कहना ही बेहतर होगा।

हमन पहले ही बताया है कि हरवाह के नाम से ज्ञात गोरखपुर और देवरिया के वधुआ मजदूरा का खुराक के रूप म क्या मिलता है। वे गाय और भैंस के गोवर से निकले अनाज को धोकर खाते हैं। भूख की ज्वाला को शात करन के लिए ही वे ऐसा करत ह और इस आहार का भी मजदूरी मान ली जाती है। इसके अलावा यदि उन्ह नकद के रूप म कुछ दिया जाता है तो उसम से ब्याज काट लिया जाता है। इस प्रकार वास्तव म उन्ह कुछ भी नही मिलता और यही वजह है कि अतीत म लिये गये ऋण का कभी भुगतान नहीं हो पाता। उलटे मालिक के खाते म यह बढता ही जाता है। इसी तरह पीढी दर-पीढी गुलामी की जजीर कसती जाती है। परीक्षणो से पता चलता है कि वधुआ मजदूरा की

कुल आबादी का 83 प्रतिशत हिस्सा उन लोगा का है जिनकी आयु चालीस वप स कम है। इसक अलावा 53 6 प्रतिशत लोग तीस वप स और 21 प्रतिशत लोग बीस वप स कम उम्र क है। मालिक उन लोगा को पसद नही करते जिनकी उम्र चालीस वप स अधिक है क्याकि कठोर श्रम करन की क्षमता उनम नही रहती। ऐसे मामला म उनके बेटो को हल जोतन के लिए लगाया जाता है और उन्ह काम स छुट्टी दे दी जाती है। गुलामी का बोझ जो एक लबी अवधि स बाप के कधा पर था अब बेटे क कधा पर आ जाता है और कुछ समय बाद उसक बेटे क कधा पर और इस प्रकार यह सिलसिला जारी रहता है।

बधुआ मजदूर परिवारो म स 75 प्रतिशत परिवारा म कम स-कम हर परिवार का एक सदस्य मालिक के यहा गुलामी करता है। बिहार म 6 2 प्रतिशत परिवारो म से परिवार क चार सदस्या को मालिक के यहा गुलामी करनी पड़ती है और यह सभवत इसलिए कि वहा प्रचलित प्रथा के अनुसार उक्त परिवार के सभी सदस्य बधक है। अय राज्या म कवल उसी व्यक्ति का बधुआ बनाया जाता है जिसन खद कज लिया हो।

(3)

दरअसल बधुआ मजदूरा म सबस ज्यादा सख्या हरिजना और आदिवासिया की है जा लगभग 84 प्रतिशत है। मालिका म केवल 8 4 प्रतिशत हरिजन और आदिवासी हैं तथा 84 2 प्रतिशत सवण हिन्दू हैं। जाति और वग हमेशा स ही दमन के हथियार रहे ह। यदि वण व्यवस्था का अध्ययन करें तो इसका पता चल जायगा। मालिका म हरिजन और आदिवासी अल्पमत म है पर य भी बधुआ मजदूर रखत है क्याकि जमीन की मिल्कियत हाने स उनके वण चरित्र म भी तबदीली आ जाती है। मिसाल क तौर पर, आध्र प्रदश क हरिजन—जिन्ह मलस कहा जाता है—बधुआ मजदूर रखत है तथा मुडिया और गाड नामक बस्तर क आदिवासी अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढान के लिए बधुआ मजदूर रखना जरूरी समझत हैं। थोडा सुविधा सम्पन्न हाते ही सवण हिन्दुआ द्वारा अपनाए जान वाले तौर-तरीका को अपनाना इनके लिए आसान हो जाता है।

क्या कारण है कि अधिकाश बधुआ मजदूर हरिजन अथवा आदिवासी है? इसक लिए विस्तार स विश्लेषण करना जरूरी है।

1961 की जनगणना से पता चलता है कि खेती-बाडी स सबधित लोगा म स 53 प्रतिशत एसे थ जो सचमुच खेती करते थ। इनम स हरिजना और आदिवासिया की सख्या क्रमश 38 प्रतिशत और 68 प्रतिशत थी। खेतिहर मजदूरा म—जो कुल सख्या का 17 प्रतिशत थे—38 प्रतिशत हरिजन और 20 प्रतिशत आदिवासी थ।

आदिवासिया क लिए खेती का काम काफी कठिन लगा। आदिवासी

किसाना मे से 10 प्रतिशत से अधिक खानाबदोश जिन्दगी बिताते है। वे जमीन के किसी खास हिस्से पर नही बस सकते। उनके रहने वाल अनेक इलाका को वित्तीय सहायता नही दी गयी है क्याकि कभी इन इलाको का सर्वेक्षण ही नही किया गया। यहा शायद ही सिंचाई की व्यवस्था कभी की गयी हो। जैसी जमीन उनके पास है वसी जमीन खेती करन के लिए एकदम अनुपयुक्त है। इनको अधिक-स अधिक चरागाह बनाया जा सकता है अथवा इन पर कुछ फल के पौधे लगाये जा सकत ह। साथ ही, इस जमीन का क्षेत्रफल भी इतना कम है कि इसमे इतना उत्पादन नही हो सकता जिसमे पूरे परिवार का खच चल सके। इसका नतीजा यह होता है कि आदिवासिया को महाजन से कज लेना पडता है। अगर आदि-वासियो के हिस्से की जमीन उपजाऊ हुइ ता धनी किसान आर जोतदार कोई न काई तिकडम करके इसे उनसे हडपने म कामयाब हो जाते है। अगर एसा करन के लिए उन्ह हरिजना और आदिवासिया के परिवारो का जिन्दा जलाना पडे ता इसम भी व नही हिचकते।

राष्ट्रीय एकीकरण परिषद न जमीन जबरन जोतन मजदूरी, बधुआ मजदूर तथा कजदारी के सवाल पर 1974-77 म हुए सघर्षो के आकडे प्रस्तुत किये ह जो अपने-आप म हत्या, बलात्कार और अत्याचार की एक दुखद गाथा ह।

इनका विवरण इस प्रकार है

| राज्य | वष | घटनाओ की सख्या |
|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 1974 | 805 |
| | 1975 | 329 |
| | 1976 | 591 |
| मध्य प्रदेश | 1974 | 59 |
| | 1975 | 76 |
| | 1976 | 323 |
| आन्ध्र प्रदेश | 1974 | 44 |
| | 1975 | 15 |
| | 1976 | 48 |
| गुजरात | 1974 | 2 |
| | 1975 | 7 |
| | 1976 | 14 |
| कर्नाटक | 1974 | 6 |
| | 1975 | 22 |
| | 1976 | 20 |

| राज्य | वष | घटनाओं की संख्या |
| --- | --- | --- |
| महाराष्ट्र | 1974 | 17 |
| | 1975 | 10 |
| | 1976 | 9 |
| विहार | 1974 | 8 |
| | 1975 | 5 |
| | 1976 | 7 |

हरिजन और आदिवासी इसलिए कज लेते है क्याकि उनकी जोतें अला कारी है और यह इसलिए क्याकि उनके पास खेती के उपकरण नहा है। क बढता जाता है और अत म वे अपने खेता से हाथ धोकर वधुआ मजदूर वन जा हैं। आदिवासिया की समस्या और भी गभीर है। विभिन्न राज्यो म किये गये सर्वेक्षणा से विस्तत जानकारी मिलती है। 1975 मे पश्चिम बगाल म आदि वासिया क मामला से सबधित विभाग न अपनी रिपोट म बताया था कि 1,602 आदिवासी परिवारा म से 1 080 परिवार कज के वोझ से दवे हैं। इनम वे बाशिन्दे है जिन्हे भोटिया लेप्चा, लोढा महाली मोचा, मुडा, उराव, रावा और सथाल के नाम स जाना जाता है। ये जनजातियाँ पश्चिम बगाल म रहने वाले आदिवासिया की कुल आबादी का 94 प्रतिशत है। जिन 1,080 परिवारा का उपर उल्लेख किया गया है उनम स 755 परिवारा न (69 9 प्रतिशत) नकद के रूप म 150 परिवारो ने (13 88 प्रतिशत) अनाज के रूप म और 177 परिवारो ने (18 2 प्रतिशत) नकद और फसल दोना रूप म कज लिया था। य ऋण गर आदिवासी महाजना स लिय गय थे जो हर तिकडम के तरीक तयार रखत हैं।

विजय मुडा 24 परगना जिले म सदशखाली पुलिस थाने के अतगत मणिपुर नामक गाव म रहता है। उसन 1 33 एकड जमीन गिरवी रखकर 400 रुपये कज लिया। इसके साथ शत यह थी कि 6 वप तक खत की सारी फसल महाजन लेगा। दार्जिलिग जिले म पेडाग पुलिस थान के अतगत सकवान गाव के तर्नजिग भोटिया न अपनी 0 15 एकड जमीन के बदले म 800 रुपय का कज लिया था। शत यह थी कि इस रकम क बदले वह अपनी फसल देकर कज उतार दगा और जब तक कज उतर नही जाता फसल की कीमत 15 रुपय प्रति मन के हिसाब स तय रहेगी। जाहिर है कि यह कज कभी चुकता नही हो सकता, क्याकि कजदार को अपना खच चलान के लिए और भी कज लना पडगा।

विशाखापत्तनम म आदिवासिया के एक गाँव म किय गय सर्वेक्षण म पता चला कि उस गाँव क 61 24 प्रतिशत परिवार कज क बोझ मे दवे थ। भूमिहीन

परिवारो की हालत और भी खराब थी, क्योकि कुल कज का 63 63 प्रतिशत अकेले उन पर था। किसानो म जिनके पास अपेक्षाकृत ज्यादा जमीन थी, उन पर कम कज था। प्रत्यक परिवार पर कज की राशि औसतन 308 रुपये थी। लगभग 72 22 प्रतिशत परिवारो पर 400 रुपये से कम का कज था।

शेष परिवारो न 400 से 1200 रुपये के बीच कज लिये थे।

कजदारा म 67 4 प्रतिशत आदिवासियो न अपन परिवार का खच चलाने और कुछ अन्य जरूरतें पूरी करने के लिए ही कज लिया था। आन्ध्र प्रदेश मे भद्रागिरि मे 1971 72 म किये गये एक सर्वेक्षण म बताया गया कि 57 प्रतिशत आदिवासी कज म डूबे थे। प्रत्येक परिवार पर औसतन 157 रुपये का ऋण था और 93 प्रतिशत ऋण बैलो तथा खेती बाडी से सम्बधित अन्य सामान की खरीद के वास्ते लिये गय थे। कुल ऋण का केवल 6 4 प्रतिशत जीवन-यापन के खर्चो म शामिल हुआ था। श्रीकाकुलम के अनुसूचित जाति वाले क्षेत्र मे 1972 म 677 परिवारा न 1 14 लाख रुपये का ऋण लिया था।

1973 म बिहार मे पलामू जिले म हरिजनो और आदिवासियो की कजदारी के बारे म एक सर्वेक्षण किया गया। उन्होने जीवन यापन के खच तथा पारिवारिक जरूरतो का पूरा करने के लिए कज लिया था। अनधिकृत रसीदो से उन ऋणा का प्रमाण मिलता है जिनके लिए 75 प्रतिशत ब्याज वसूला गया। लगभग 26 92 प्रतिशत परिवारो पर ऋण का बोझ था।

तमिलनाडु की स्थिति और भी खराब थी। कोली पहाडी के आदिवासिया न जो ऋण लिया था वह प्रत्येक परिवार पर औसतन 2000 रुपय के बराबर था। कज लिय गये प्रत्यक 100 रुपय पर ब्याज 60 से लेकर 100 रुपये तक वसूला गया।

उडीसा म नारायण पटना ब्लॉक मे 55 प्रतिशत आदिवासी अपन परिवार का भरण-पोषण करा के लिए कजदार बन हुए ह। गजाम जिले के परलखमुडी सब डिवीजन म 66 7 प्रतिशत आदिवासी कज के बोझ से दबे हैं। इनम से 91 4 प्रतिशत लोगा ने नकद के रूप मे ऋण लिया है। ऋण लेने के कई कारण है—37 8 प्रतिशत मामलो म खेती बाडी के खच के लिए कज लिया गया है, 41 प्रतिशत खाद्यान्न के लिए और शेष पिछला कज चुकता करन के लिए।

मध्य प्रदेश मे एक इलाके मे रहन वाले अनुसूचित जाति के लोगा मे स 52 5 प्रतिशत ऐसे है जो कज से लदे है। रतलाम जिले म ऐसे लोगा की तादाद 82 9 प्रतिशत है। प्रत्येक परिवार पर औसतन 357 रुपये का ऋण है। 34 5 प्रतिशत घरेलू जरूरता के लिए, 12 2 प्रतिशत सामाजिक और धार्मिक कारणा से और 43 6 प्रतिशत खेती स काम के खच के लिए ऋण लिया गया।

देहरादून के निकट जौनसार बावर क्षेत्र म आदिवासिया की एक बहुत बडी

सख्या कजदार क रूप म है। यहाँ भी पारिवारिक जरूरत ही ऋण लन का मुख्य कारण बनी। ऋणग्रस्तता क परिमाण का सही सही पता कभी नहा लगाया जा सकता क्याकि इस मसले पर महाजन लोग खामोश है।

इस निष्कष पर आसानी स पहुँचा जा सकता है कि जिन मामला का उल्लेख किया गया है उनम भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता। चूकि कजदार उस कज क बल पर अपना जीवन-यापन ही कर पात है इसलिए आग जिन्दा रहन क लिए भी उन्ह कज का ही सहारा लना पडता है और इस प्रकार कज का बाझ बढता ही जाता है। यहाँ तक कि जिनक पास थाडी-बहुत जमीन भी है उन्ह भी खेती करन के लिए कज का ही सहारा लेना पडता है। इसस व केवल ब्याज चुकता कर पाते है। इसलिए मूल राशि बढती ही रहती है।

जिस राशि पर वे हस्ताक्षर करत है (दरअसल अँगूठ का निशान लगात है) और जो राशि वे पात है उसम काफी अतर हाता है।

ऋणग्रस्तता को समाप्त करन क बार म सरकार द्वारा पारित किय गय कानून किसी काम क साबित नही हुए। उन्ह कभी लागू नही किया गया। इसको अमल म लाना तब तक सभव नहीं है जब तक विकल्प के रूप म किमी एस स्रोत की स्थापना न की जाय जहा स किसाना की जरूरत पूरी की जा सके। बका और सहकारी समितिया पर महाजना का ही नियत्रण है। उनका विरोध करके किसान उनकी नाराजगी मोल लना नही चाहता। यदि वे महाजना का नाराज करत ह तो आग कज लन का रास्ता बन्द हो जाता है। इस प्रकार कजदार अपन गले म फदा डलवान म खुद ही मददगार हा जाता है।

श्रीकाकुलम विशाखापत्तनम और पश्चिमी तथा पूर्वी गोदावरी जिला म जहाँ अनुसूचित जाति क लोग रहते हैं बधुआ मजदूरी की प्रथा काफी प्रचलित है। इन इलाका म मद्रास ऋण बधन समाप्ति विनियमन कानून 1940' लागू है। यह कानून सभी समझौता को रद्द करता है सिवाय उन समझौता के जो मजदूरा और जोतदारा तथा महाजना के बीच प्रत्यक्ष रूप से सम्पन्न है और जिन्ह जोतदार तथा महाजन अधिकारिया के समक्ष पेश करत हैं। अधिकारिया को इस बात की गारटी की जरूरत होती है कि कोई समझौता गैर कानूनी नही है। यह समझौता अधिकतम एक वष के लिए होना चाहिए और इस पर ब्याज की दर 6 5 प्रतिशत स ज्यादा नही होना चाहिए। कहना न होगा कि इस कानून को कभी लागू नही किया गया।

1973 म बिहार म चनपुर लातेहर गडवा मनिका और रसका म एक दल ने सर्वेक्षण किया। दल को पता चला कि इन इलाका म बधुआ मजदूर बनाय रखन की प्रथा काफी प्रचलित है। इस सर्वेक्षण की कुछ खास बातें इस प्रकार हैं

(क) सर्वेक्षण दल न जिन 58 वधुआ मजदूरा से भेंट की उनम से 34 हरिजन आर 24 आदिवासी थे। कुछ मामला म समूचा परिवार बधुआ मजदूर था।

(ख) प्रत्यक परिवार पर 22 रुपय स 350 रुपय तक का कज था। य ऋण जवानी करारो अथवा गैर सरकारी रसीदा के एवज म लिय गये थे। मूल राशि और ब्याज की राशि के चुकता हान तक कजदारा को वधुआ मजदूर के रूप म काम करना था। यदि कज नेन वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाय तो उसका बेटा उसके स्थान पर काम करेगा।

(ग) कज लेन का कारण परिवार के लिए भोजन, शादी विवाह क खच, इलाज और पिछने कज के भुगतान की व्यवस्था करना था।

(घ) कज देन वाले सूदखोर महाजन और जमीदार ब्राह्मण तथा वनिया जाति के थे—इनम से कुछ दुकानदार भी थे।

(च) राज्य सरकार का श्रम विभाग न्यूनतम वेतन कानून को लागू करने म विफल रहा।

(छ) वधुआ मजदूरा को पाव भर पिसा मक्का नाश्ते म और आधा किलो ग्राम मोटा चावल दोपहर के खान म मिलता था। मजदूरा के बीवी बच्चा को भी—यदि व काम करते थे तो—इतना ही या इससे कम मिलता था।

(ज) एक गाव म सुनने म आया कि मजदूरो को खान के अलावा वेतन के रूप म प्रतिमाह 15 रुपय प्राप्त हाते थे। इस राशि को कज का भुगतान मानकर काट लिया गया। ब्याज की दर 100 प्रतिशत थी।

1973 म विहार सरकार के आदिवासी कल्याण विभाग न भडरिया और राका ब्लॉक के 27 गाँवो का एक सर्वेक्षण किया। विभाग के अधिकारियो न 232 लागा से बातचीत की जिनम 98 आदिवासी 11 हरिजन, 23 निचली जाति क लोग और एक मुसलमान थे। यह दखा गया कि अधिकाश वधुआ मजदूर आदिवासी थे जिन्ह करवा के नाम म जाना जाता है। हरिजनो म अधिकाश वधुआ मजदूर भुइया थे। रिपोट म यह भी बताया गया है कि

(क) कज का भुगतान होन से पहले ही यदि कजदार की मृत्यु हो जाती थी ता वधुआ मजदूर के रूप म उसके वेटे को काम करना पडता था। उक्त क्षेत्रो म इस तरह के 18 उदाहरण मौजूद थे।

(ख) पारिवारिक जरूरता ने कज लेने के लिए मजबूर किया। 59 प्रतिशत कज भोजन क लिए, 14 प्रतिशत शादी के लिए, 11 प्रतिशत शादी-ब्याह के लिए और शेप चिकित्सा तथा दाह सस्कार के वास्त लिय गये थे।

(ग) वधुआ मजदूरो के मालिक विभिन्न जातियो और सम्प्रदाया के थे 23 प्रतिशत भुइयाँ, 10 प्रतिशत अहीर, 12 प्रतिशत राजपूत और शेप विभिन्न वर्गों के थे। कमिया (वधुआ मजदूरो) लोगो का पता था कि उनके मालिक जा

खरीदन म मदद पहुचायी। यह इतिहास क उस दौर बहुत छोटे काल म सम्पन्न हुआ, जो बहुत पुरानी बात नही है।

इतिहास की यह धारा मुगल शासन काल क टैक्स-कलेक्टरो स लेकर ब्रिटिश शासन काल क जमीदारो क समय तक बिना किसी शोरगुल क बहती रही।

सल्तनत काल म मुसलमान जमीदार अस्तित्व म आय। उन दिनो सना क कमाडरो का चुनाव निरपवाद रूप स कुलीन घराना म किया जाता था और इन कमाडरो को अपनी सेना का खच खुद ही उठाना पडता था। इस काम म मदद पहुँचान के लिए उन्हे जागीरें तक दी जाती थी। इन इलाको स वसूल गय कर कभी भी शाही खजाने म नही गय। इस कमाडर की जरूरत के मुताबिक खच किया जाता था। समय क साथ जागीर प्रणाली न मुसलमानो क आधिपत्य म जमीदारी प्रणाली का रूप ले लिया।

भारतीय ढग की सामती प्रणाली को इन तथ्यो स मदद मिली कि यहाँ के गाव असम्बद्ध और आत्मनिभर थ। बाद म तुर्को अफगाना और मुगलो न भारत के सभी क्षेत्रीय सामत सरदारो को एकजुट करके कृत्रिम रूप स केन्द्र शासित सामतवाद थोपन की कोशिश की। इस हस्तक्षेप के बावजूद स्थानीकृत सामतवाद का अस्तित्व बना रहा।

गाँव के पुरान रीति रिवाजो के अनुसार सभी सामत सरदार उच्च जातियो के थ। तुर्क और मुगल सम्राटो की लूटपाट जब भी असहनीय होती थी, जनता स्थानीय सामत सरदारो के यहा शरण लेती थी। उन्हे जनता के समथन से शक्ति मिलती थी और इसस वे इतने मजबूत हो जाते थे कि व दिल्ली म शासन कर रहे सम्राटो की शक्ति की भी अवहेलना कर देत थ। मुगल शासन-काल के अतिम दिनो म जब केन्द्रीय सत्ता के क्षीण होन के कारण जमीदारो और जागीरदारो की ताकत बढी तो ग्राम समाज लडखडान लगे। अब इन सरदारो न दमन का सिलसिला शुरू किया जो प्लासी के युद्ध के बाद चरम सीमा पर पहुच गया।

अग्रजो द्वारा शुरू किय गये स्थायी बदोबस्त प्रणाली क जड जमान के बाद इनम से अनेक सामत सरदारो का अस्तित्व समाप्त हो गया। उनकी बडी बडी जागीर नीलाम हो गयी जिन्हे उन लोगो ने खरीदा जो शहरो म रहते थ और जिन्हे वाणिज्य व्यापार म अग्रजो से होड लेने म असफलता मिली थी। य लोग ऊँची जाति के थे और उनके पास नकद राशि काफी थी जिसे जमीन खरीदने के अलावा और किसी काम म वे नहा खच कर पाते थे। आज भी जो अधूरे कागजात हैं उनसे इसी तथ्य की पुष्टि होती है।

इनम से एक हिस्सा उन लोगो का था जिन्होने व्यापार और वाणिज्य के जरिए काफी पूजी इकट्ठी कर ली थी। उन्हे मध्य वग का कहा जाता था। दूसरे व लोग थे जिन्होन अग्रज सौदागरो की सहायता की थी। इनम से पहले वग के

खास काना म रहत थ ताकि निचली जाति क लागा स इनका शरीर न छू जाय।

इस सदी के पूवाद्ध म इनम स अनक न गैर-ब्राह्मण रयता क हाथ जमीन बच दी—य लाग ब्राह्मण ता नही थ पर ऊँची जाति क थ। सम्प्रति अधिकाश भू-स्वामी सेती न करन वाल ब्राह्मण और कायस्थ थे। जाटा, अहीरा और — म भी एक मामूली सा प्रतिशत एस लोगा का है जिनक पास अपनी जमं सामान्य तौर पर अधिकाश जमीन ऊँची जाति क लोगा के पास है जा ि नही है।

पश्चिम बगाल म जमीदारी खरीदन म जिन लोगा न अपनी सम्पत्ति लग व थे—द्वारकानाथ टगोर पइकापाडा क राजा सिन्हा, हयकाला और रा बागान क दत्ता लोग रामदुलाल डे लाहा और मल्लिक लोग। य सभी ऊ जाति क थे।

दूसरी ओर गरीब किसान खेतिहर मजदूर और बधुआ मजदूर—य सभी निम्न हिन्दू जातिया आदिवासिया और मुस्लिम समुदाया के हैं। मुसलमाना का प्रभाव-क्षत्र ज्यादा होन क कारण अग्रजा द्वारा भाडे पर खरीदे गय इतिहासकारा ने उनके विद्रोहो को साम्प्रदायिक रग दे दिया और इन विद्रोहा के महत्व को कम करन की कोशिश की। यह अब सभी जानते हैं कि सन्यासी विद्रोह (यह नाम मजनूशाह या मजनू फकीर के नतत्व के कारण पडा) और तीतूमीर के नेतत्व वाले वहाबी विद्राह को साम्प्रदायिकता का जामा पहना दिया गया ताकि उनका महत्व कम किया जा सके।

इस प्रकार भारत का सामाजिक आर्थिक इतिहास बताता है कि यहाँ जा ही वग हो गया। चूकि 'जाति शब्द का एक महत्व है इसलिए हम लाग कि व्यक्ति की हैसियत का अदाजा उसकी जाति से लगाते हैं। हम देखत ह कि ऊँच जाति क जोतदार गरीब हरिजन मजदूरा या किसाना को जिन्दा जलान म तनिक भी नही हिचकिचाते हैं। फिर भी वे ऊँची जाति क गरीब किसानो पर इस तरह का अत्याचार कभी नही करते। इसी वजह से हम यह कह रहे है कि जाति और वग एक दूसरे के पर्याय हैं।

कानून की खामियो को ही इस बात का श्रय है कि तथाकथित आजादी के बाद जमीदारा का नाम तो खत्म हो गया पर उनका नियत्रण पहले जसा ही बना रहा। जहाँ तक जमीदारी और बिचौलिये की प्रथा के समाप्त हाने की बात है य उन्मूलन सही है पर कई मामलो म, मिसाल के तौर पर खुद कुश्त रयतो आदि के मामलो म पुराना सिलसिला जारी रहा। इसक अलावा कानून को लागू करन स पूव जमादारा को काफी समय भी दे दिया गया ताकि व अपन रिश्तेदारो और कमचारियो के नाम गर कानूनी ढँग से जमीन हस्तातरित कर सकें। जमी दारा न यही किया भी।

उह अनक बगदारा और रैयता स अपनी जमीन खाली कराने का अवसर भी मिल गया। कृषि के बारे म राष्ट्रीय आयोग द्वारा 1976 म प्रकाशित रिपोट म ऐसे अनक उदाहरण देखन को मिनते है। इस रिपोट मे बताया गया है कि जमीदारो के खत्म होने से लगभग दो करोड किसाना का राज्य के साथ सम्पक कायम किया जा सका है। इसी के साथ लाखा रैयत और बगदार खेतिहर मज़दूर बन गय। आयोग ने निष्कप निकाला कि कानून होन के बावजूद जमीन अभी भी मुट्ठी भर धनी किसाना के हाथ म है और पिछले कुछ दशका म स्थिति म कोई परिवतन नही हुआ है। आयोग के अनुसार इसका प्रमाण नशनल सम्पल सर्वे द्वारा एकत्र किया गया आठवें चक्र का आकडा है जिससे पता चलता है कि 2 64 प्रतिशत परिवारो के पास 30 एकड जमीन है जो निर्धारित सीमा से 28 05 प्रतिशत ज्यादा है। 1970 71 की कृषि-गणना से पता चलता है कि भू-स्वामियो की सख्या कुल आबादी का महज़ 4 प्रतिशत है जिनके पास कुल जमीन का 30 5 प्रतिशत है।

इस मसले पर गहराई से विचार करन की जरूरत है। 1951 की जोतो के बार म कृषि श्रम जाच नमूना सर्वेक्षण से पता चलता है कि 5 एकड या इसस कम की जोत—जो कुल जोत का 15 5 प्रतिशत है—59 1 प्रतिशत परिवारो के पास था इसके अलावा 25 एकड या इसस अधिक की जोत, जो कुल जोत का 34 4 प्रतिशत है, 5 6 प्रतिशत परिवारा के पास था। राष्ट्रीय प्रतिचयन सर्वेक्षण (नशनल सैम्पल सर्वे) द्वारा जून 1960 से जून 1961 के बीच किये गय अध्ययन से पता चलता है कि जमीन का 56 2 प्रतिशत भाग 10 प्रतिशत परिवारा के हाथ म था। रिपोट के अनुसार

| | |
|---|---|
| 30 प्रतिशत परिवारा के पास | 0 1 प्रतिशत जमीन |
| अगले 10 प्रतिशत , | 0 6 , |
| अगले 10 प्रतिशत ,, | 2 1 ,, |
| **50 प्रतिशत का कुल योग** | 2 8 , |
| | |
| अगले 10 प्रतिशत के पास | 4 7 ,, |
| अगले 10 प्रतिशत ,, | 6 9 ,, |
| अगल 10 प्रतिशत , | 11 0 , |
| **30 प्रतिशत का कुल योग** | 22 6 ,, |

इस प्रकार खेतीबाडी म लगे 80 प्रतिशत लोगो के पास कुल जमीन का केवल 25 4 प्रतिशत था। बाद के 10 प्रतिशत लोगा के पास 18 4 प्रतिशत जमीन थी और अतिम 10 प्रतिशत के पास कुल जमीन का 56 2 प्रतिशत था।

यह अतिम 10 प्रतिशत ही देश म सामतवाद के अलम्बरदार है और ये ही वे लोग है जिन्ह पच-वर्षीय योजनाओ मे दी जान वाली सभी वित्तीय सहायता मिलती रही है। यही वे लोग है जिनको कानून का सहारा प्राप्त है। आश्चय नही कि खेती के क्षेत्र म इतनी विपमता देखी जाती है। अमीर और भी ज्यादा अमीर होता जा रहा है और गरीब दिन ब दिन और ज्यादा गरीब हो रहा है।

भूतपूव खाद्यमत्री श्री जगजीवनराम ने बम्बई के काग्रेस अधिवेशन मे कहा था कि 42 प्रतिशत खेतिहर परिवार के पास केवल एक एकड जमीन है जबकि 22 प्रतिशत परिवार के पास एकदम जमीन नही है। लगभग 3 4 प्रतिशत परिवारो के पास अपार जमीन है और सरकारी मदद से वे अपना प्रभाव बढाते हैं तथा अपनी नीतिया का पूरी ताकत के साथ लागू करते हैं। निधनतम क्षेत्र की उपेक्षा की जा सकती है। उनका कोई अस्तित्व नही है।

इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार इस व्यवस्था को जिन्दा रखने के लिए हर कोशिश करती है और जातन वाले को जमीन सौंपने की बात चुनाव जीतन के लिए इस्तेमाल किय जान वाले नारे के अलावा और कुछ भी नही है। बिना किसी लाग लपेट के यह कहा जा सकता है कि सरकारी भूमि नीति महज एक जमीदार बुर्जुवा त्राति है जो सामतवाद का बरकरार रखन के लिए उन्मुख है। बुजुवा वग इतना सावधान है कि हर बार विद्रोह छिडन पर वह जमीन दान देन और जमीन का बन्दोवस्त करने की बात को सावजनिक चर्चा मे ला दता है। तेलगाना सशस्त्र सघष और तेभागा आन्दोलन (बगाल) तथा वर्ली विद्रोह (महाराष्ट) के बाद एसा देखन म आया है। इन विद्रोहो के बाद जब भी चुनाव नजदीक आय है बुजुवा वग न इस तरह का धोखा खडा किया है। य कोरी बाते है। केरल म भी पहली कम्युनिस्ट सरकार न किसानो को धाखे म रखने के लिए सहकारी खेती पर बडी लम्बी चौडी बहसें की थी। नक्सलवाडी और श्रीकाकुलम म विद्राह की लपटें उठने के बाद तथा पूर्वी गोदावरी और मुशहरी तराई म जमीन का छीनन की घटनाआ के बाद सत्तारूढ दल ने भूमि सुधार और किसाना का जमीन देन की आवश्यकता पर खूब बढ चढकर बातें शुरू की।

किसान क घाव पर बडा आकपक दिखने वाला मलहम लगाने के लिए सरकार न भूमि हदबदी कानून पारित किया जिसम यह निर्धारित किया गया था कि किसी व्यक्ति या परिवार के पास अधिकतम कितनी जमीन हो सकती है। साथ ही कानून के निर्माताओ ने बागो, सेव बागानो, चरागाहा, निवासस्थाना आदि की जमीन के लिए गुजाइश छोड दी ताकि बडे जोतदार इस कानून से प्रभावित न हो। और इस प्रकार जोतदारा को फायदा हुआ। नीचे दी गयी तालिका स विभिन्न राज्या के लिए भूमि की अधिकतम सीमा का पता चलता है

| राज्य | अधिक्तम सीमा (हेक्टेयर मे) |
|---|---|
| आध्र प्रदेश | 4 05 से 21 85 |
| असम | 6 94 |
| बिहार | 6 07 से 18 21 |
| गुजरात | 4 05 से 21 85 |
| हरियाणा | 7 25 से 21 85 |
| हिमाचल प्रदेश | 4 04 से 12 14 |
| जम्मू-कश्मीर | 3 68 से 7 77 |
| कर्नाटक | 4 05 से 21 85 |
| केरल | 4 86 से 7 07 |
| मध्य प्रदेश | 4 05 से 21 85 |
| उडीसा | 4 05 म 18 71 |
| पजाब | 7 00 से 21 80 |
| राजस्थान | 7 25 से 21 85 |
| तमिलनाडु | 4 86 से 24 28 |
| त्रिपुरा | 4 00 से 12 00 |
| उत्तर प्रदेश | 7 30 से 18 25 |
| पश्चिम बगाल | 5 00 से 7 00 |

यथाथ मे य कानूनी बदिशें बेकार है। कोयम्बटूर म एक भूतपूव काग्रेस मत्री कानूनी स्वीकृति के साथ 847 एकड जमीन रख सकता था और रख रहा है। इस जिले के अन्नुर चक्करह के पास 1,190 एकड जमीन है, पट्टा नायडू नामक सज्जन न मदुर के पहाडी क्षेत्र मे 3,000 एकड जमीन खरीदी। उसने अपनी जमीन से सभी रयता को खदेड दिया है और इस समय 6,000 एकड जमीन का मालिक है। बिहार म दरभगा नरेश के पास ओसाई के लिए जो जमीन है उसका ही क्षेत्र फल 600 एकड है—अन्य खेतो की तो बात ही अलग है। बाधगया और घघनली म दो महता के पास क्रमश 10,000 और 3,000 एकड जमीन है।

सभी राज्यो म जमीदारो, जोतदारो और यहा तक कि उद्योगपतिया न बराबर कानन का उल्लघन किया है और हजारा एकड जमीन के मालिक बन बठे है। सर्वेक्षणा से पता चलेगा कि अग्रेजा के जमान के राजा और जमीदार आज भी पहले की ही तरह बडी बडी जोता के मालिक है—इतना ही नही, उनकी जोता म निरतर वद्धि भी होती जा रही है।

छोटे और लगभग छोटे किसान लगातार अपनी जातो से हाथ धोत जा रहे है और मजदूर बनत जा रह ह और बारी बारी से बधुआ मजदूर की श्रेणी म

पहुँचत जा रह हैं, अपन मालिका के सेता म अपन का खटा रहे हैं ताकि मालिक का मुनाफा हा सक ।

दरअसल जिन्ह वधुआ मजदूरा की जरूरत हाती है, व उन्ह रपत हैं। यहाँ प्रस्तुत उदाहरण स विहार का एक चित्र उभरता है

| जमीन की जोत (व्यक्तिगत या पारिवारिक स्वामित्व) | वधुआ मजदूरों की सख्या |
|---|---|
| 10 एकड | 2 29 |
| 10 20 एकड | 1 83 |
| 20 50 एकड | 2 92 |
| 50 100 एकड | 5 40 |
| 100 एकड और इसस अधिक | 16 20 |

सर्वेक्षण से पता चलता है कि 84 प्रतिशत वधुआ मजदूर हरिजन तथा आदिवासी हैं और 84 2 प्रतिशत भू-स्वामी सवण हिन्दू है। इस सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि 11 6 प्रतिशत वधुआ मजदूर सवण हिन्दू हैं तथा 8 4 प्रतिशत भू स्वामी हरिजन एव आदिवासी है। वधुआ मजदूरा म आदिवासिया की सख्या हरिजना स ज्यादा है। वधुआ मजदूरो का अस्तित्व उन इलाका म खासतौर से ध्यान आकर्षित करता है जहाँ सवण महाजना एव जोतदारा तथा गरीब अभाग हरिजना एव आदिवासिया के बीच असमानता भयकर सीमा तक है।

आध्र प्रदेश म माला सम्प्रदाय के कुछ हरिजन भू-स्वामिया के पास जो वधुआ मजदूर ह व भी हरिजन है लेकिन उनके बीच ऊँच नीच का जा क्रम है उसम व थाडे नीचे पडत है। वस्तर म वधुआ मजदूरा के मालिक मुरिआ और गाड ह जो खुद ही आदिवासी ह।

देखा जाता है कि आर्थिक समृद्धि के साथ साथ आदिवासियों के वग चरित्र म भी तबदीली आती है और व अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा म वद्धि की उम्मीद म सवण हिन्दुआ के तौर-तरीको की नकल करने लगते ह।

वधुआ मजदूरा को रखन के मामले म मालिका की स्थिति इस प्रकार है लगभग 50 प्रतिशत के पास एक वधुआ मजदूर है 41 प्रतिशत के पास 2 से 4 और 3 प्रतिशत के पास 10 स अधिक है। कर्नाटक म 12 8 प्रतिशत के पास 10 स ज्यादा मजदूर है। जसाकि हमन पहले कहा है इस स्थिति म कमी या वद्धि जमीन की स्थिति के अनुसार होती है। अलग अलग राज्या म वधुआ मजदूरो के मालिका की स्थिति पर एक नजर डालनी हागी

भारत भर मे

| | |
|---|---|
| जादिवासी | 5 9 प्रतिशत |
| हरिजन | 2 4 „ |
| निचली जाति | 23 7 „ |
| सवण हि दू | 60 5 , |
| मुसलमान | 4 0 , |
| ईसाई | 0 1 „ |
| अ य | 3 4 , |

आध्र प्रदेश

| | |
|---|---|
| जादिवासी | 11 4 प्रतिशत |
| हरिजन | 1 3 , |
| निचली जाति | 6 3 „ |
| सवण हि दू | 78 5 „ |
| अ य | 2 5 „ |

बिहार

| | |
|---|---|
| जादिवासी | 6 5 प्रतिशत |
| निचली जाति | 46 5 „ |
| सवण हि दू | 42 0 „ |
| मुसलमान | 5 0 „ |

गुजरात

| | |
|---|---|
| जादिवासी | 2 7 प्रतिशत |
| हरिजन | 4 3 , |
| निचली जाति | 7 0 „ |
| सवण हि दू | 74 8 „ |
| मुसलमान | 11 2 „ |

कर्नाटक

| | |
|---|---|
| आदिवासी | 2 7 प्रतिशत |
| हरिजन | 2 1 „ |
| निचली जाति | 2 7 „ |
| सवण हि दू | 82 1 , |

| | |
|---|---|
| मुसलमान | 1 4 प्रतिशत |
| अय | 9 0 ,, |

मध्य प्रदेश

| | |
|---|---|
| आदिवासी | 20 8 प्रतिशत |
| हरिजन | 4 7 ,, |
| निचली जाति | 12 9 ,, |
| सवण हिन्दू | 57 9 ,, |
| अय | 3 7 , |

राजस्थान

| | |
|---|---|
| आदियासी | 22 8 प्रतिशत |
| हरिजन | 5 5 |
| निचली जाति | 11 7 , |
| सवण हिदू | 55 9 ,, |
| मुसलमान | 2 1 ,, |
| अय | 2 0 , |

तमिलनाडु

| | |
|---|---|
| हरिजन | 2 8 प्रतिशत |
| निचली जाति | 84 4 ,, |
| सवण हि दू | 0 5 ,, |
| मुसलमान | 11 2 ,, |
| ईसाई | 1 1 ,, |

उत्तर प्रदेश

| | |
|---|---|
| हरिजन | 0 2 प्रतिशत |
| निचली जाति | 19 3 ,, |
| सवर्ण हिदू | 76 4 ,, |
| मुसलमान | 3 4 ,, |
| अय | 0 7 ,, |

तमिलनाडु का छोडकर शेष सभी राज्यो म वधुआ मजदूरो के मालिको के रूप म मवण हिदुओ का ही पहला स्थान है। वधुआ मजदूरो मे हरिजना और

आदिवासियो की ही सख्या सबसे ज्यादा है। यद्यपि पहले उल्लेख किया जा चुका है, फिर भी हम अखिल-भारत पैमाने पर बधुआ मजदूरो की सख्या का एक बार और उल्लेख करते है

| | |
|---|---|
| आदिवासी | 18 3 प्रतिशत |
| हरिजन | 66 0 , |
| निचली जाति | 8 9 ,, |
| मुसलमान | 2 7 |
| ईसाई | 0 4 ,, |
| सवण हिन्दू | 2 7 ,, |
| अय | 1 0 , |

जाति और वग के भेद के कारण आदिवासी और हरिजन ही सबसे ज्यादा उत्पीडित है। मालिको की इस बात म दिलचस्पी रहती है कि उन्ह रुपये उधार दकर फँसा लिया जाये। चूकि उन्ह *निम्नतम श्रेणी म रखा गया है* इसलिए उन पर ऊँची जाति के लोगा का मनावज्ञानिक रूप से दबदबा पहले से ही बना रहता है, जो इसका भरपूर फायदा उठाते ह। उनकी स्थिति इतनी असुरक्षित रहती है कि उन्ह और उनके वशजो को कोई भी थोडे से पैसे देकर गुलाम बना सकता है।

उनके अदर एक महान गुण यह है कि वे कभी अपने मालिक के साथ विश्वासघात नही करते।

(3)

यह दखा गया है कि सभी मामलो म महाजनो की कोशिश यह रहती है कि व खेतिहर मजदूरो को कजदार बना लें और अपने चगुल मे फँसा ल। खेतिहर मजदूर अपनी लाचारी के कारण ही कज लेते हैं। व मुख्यत हरिजन और आदि वासी होते है। उनके पास जमानत देने के लिए कुछ भी नही होता, फिर भी वे कज लेते ह। महाजनो को पता है कि इस ऋण की अदायगी कभी नही हो पायगी और यह चक्रवद्धि ब्याज की दर से दिनोदिन बढता जाता है—कभी-कभी तो ब्याज की दर 100 प्रतिशत होती है।

आमतौर पर खेतिहर मजदूरो के पास *जमीन नही होती और आय का कोई* दूसरा स्रोत नही होता जिससे वे कज का भुगतान कर सकें। इसके अलावा वे अपढ होते हैं, इसलिए महाजन क खाते म उनके नाम जो भी रकम लिखी होती है उसे उन्ह मानना पडता है। लेकिन इन सारी बातो का हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं।

महाजनो का मकसद पूरा होता है। उन्ह सस्ते दर पर मजदूर चाहिए जो ने

पा जाते हैं क्योंकि बधुआ मजदूरा का लगभग कुछ नही दना पडता है। उन्ह जा
कुछ मिलता है उस पर एक नजर डालें

| | |
|---|---|
| ऐसे मामले जहाँ कुछ भी नहीं दिया गया | 20 0 प्रतिशत |
| 10 रुपया प्रतिमाह का भुगतान | 8 5 , |
| 11 स 20 रुपय प्रतिमाह | 12 0 , |
| 21 से 40 रुपय प्रतिमाह | 24 0 , |
| 41 से 60 रुपय प्रतिमाह | 19 9 , |
| 61 से 80 रुपय प्रतिमाह | 8 3 , |
| 80 रुपय या इसस अधिक प्रतिमाह | 7 3 , |

ये भुगतान कागज पर दिखाय गय हैं। वास्तविकता इसस भिन्न है। खान के
लिए उन्हें जो दिया जाता है यह बेहद अमानवीय है। फिर भी उस खान के बदले
म बढा चढाकर एक रकम लिख ली जाती है। साथ ही भुगतान के रूप म जो
दज किया जाता है उसे ब्याज कहकर बराबर कर दिया जाता है।

सामान्य तौर पर एक मजदूर का प्रतिदिन 4 रुपय की दर स भुगतान किया
जाता है। कभी कभी खाना भी दिया जाता है। इसके अलावा काम क घट
सीमित ह। लेकिन बधुआ मजदूरा पर इनम म कोइ कानून लागू नहीं होते और
उनसे चौबीस घट काम लिया जा सकता है।

नियमित मजदूर का काम पर लगान के लिए 120 रुपय प्रतिमाह की
न्यूनतम मजदूरी दनी पडती है और वह निधारित घटा के अलावा काम नही
करता। इसके विपरीत एक बधुआ मजदूर से बिना ज्यादा पैसा खच किय
15 घट तक काम लिया जाता है। इसलिए बधुआ मजदूर रखन म मालिक को
ज्यादा मुनाफा होता है।

ब्याज के भुगतान के रूप म जो कटौती की जाती है उससे कज की मूल राशि
म कोई कमी नहीं होती। इसका कारण महाजना के दिमाग से उपजा एक अनोखा
गणित है। बधुआ मजदूर कभी भाग नहीं सकता और 60 प्रतिशत ऐसे मजदूर
तथा उनके वशज भी हमेशा के लिए गुलामी की जजीर म जकड जात है।
निम्नांकित आकडो से उनकी गुलामी की अवधि का पता चलता है

| | |
|---|---|
| एक वष या इससे कम | 29 0 प्रतिशत |
| एक से दो वष | 5 4 |
| दो से तीन वष | 1 1 , |
| तीन से चार वष | 0 4 ,, |
| चार से पाँच वष | 0 3 , |

| | |
|---|---|
| पाच से छह वप | 0 2 प्रतिशत |
| छह से सात वप | 0 2 ,, |
| सात से आठ वप | 0 3 ,, |
| आठ से नौ वप | 0 1 ,, |
| नौ से दम वप | 0 3 ,, |
| दस वप स अधिक | 0 2 ,, |
| आजीवन | 2 3 ,, |
| वशजा का लेकर अनिश्चित अवधि के लिए | 55 7 ,, |
| अज्ञात | 4 5 , |

कज लेते समय जो समझौता होता है उसका कभी पालन नही किया जाता। समझौते का आधार कज को चुकता करना होता है और उस अवधि क पूरा हान पर जिसम कज की अदायगी हो जानी चाहिए, खाते म कज की राशि बढ चुकी होती है। इसलिए गुलामी की अवधि भी बढ जाती है।

बधुआ मजदूरो म 60 प्रतिशत के पास अपनी काइ जमीन नही है—उनके पास खेत जोतन बोन के लिए हल बल भी नही है। जिनके पास एक दा एकड जमीन होती भी है वह कज क कारण महाजन के हाथ म पहुँच चुकी हाती है। उनम मे लगभग 20 5 प्रतिशत के पास रहन के लिए घर नही हाता और महाजन द्वारा बनवाय गय झोपडो म रहते है। इस प्रकार महाजन उन्ह घरेलू नौकर की तरह इस्तमाल कर सकते है।

यदि बधुआ मजदूर शादी करता है तो उसकी पत्नी महाजन क घर की नौकरानी बन जाती है, जिस कुछ भी मजदूरी नही मिलती।

रगपुर म—जा अब बगलादेश म है—मालिक लाग मजदूरो क लिए खाना बनान के नाम पर कुछ औरतो को काम देत ह। दरअसल इन औरतो को इसलिए काम पर रखा जाता है ताकि व मजदूरो को लुभाय रखें और व मालिक का काम छाडकर भाग न सकें। इसके अलावा उन औरतो के साथ अपनी कामवासना की पूर्ति से व इस शारीरिक जरूरत के पूरा होन के कारण ज्यादा क्षमता के साथ मजदूरी कर पाते ह।

बधुआ मजदूर तब तक ही लाभदायक है जब तक वह काम कर सकता है। ज्यादातर इनके काम की उम्र 44 वप तक हाती है। इसके बाद उसके स्थान पर उसी क परिवार के किसी कम उम्र के व्यक्ति को रख लिया जाता है। निम्नाकित आँकडे से स्थिति स्पष्ट है

| | |
|---|---|
| 15 वप या इसम कम | 6 1 प्रतिशत |
| 16 से 20 वप | 14 7 ,, |

| | |
|---|---|
| र्ष | 16 2 प्रतिशत |
| र्ष | 19 2 " |
| र्ष | 14 7 " |
| र्ष | 12 3 " |
| इससे अधिक | 16 8 " |

[illegible] वर्ष की आयु के बीच वाले सबसे ज्यादा काम के होते हैं। सबसे ज्यादा काम होता है, क्योंकि इसी दौरान आदमी अपनी करता है। 15 वर्ष या इससे कम उम्र के मजदूर उतने लाभ- कि उनसे काम निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए कम है।

[illegible] तमाम कानूनों के साथ इस बुराई को खामोशी के साथ बरदाश्त सी बुराई है जो तब तक कायम रहेगी जब तक भूमि संबंधी र्तन नहीं होता।

# 3

## आध्र प्रदश

करीमनगर, महबूब नगर, मेडक, नालगोडा निजामाबाद और वारगल जिला म बीस हजार से अधिक बधुआ मज़दूर हैं।

आदिलाबाद, अनतपुर और हैदरावाद जिला म लगभग पद्रह हजार बधुआ मज़दूर हैं।

चित्तूर और पूर्वी गोदावरी जिलो म बधुआ मजदूरो की सख्या लगभग सात हजार है।

कुरनूल मे इनकी सख्या पाच सौ या इससे कुछ कम है।

(1) लिगम एक हरिजन लडका है। उसके पिता ने भू स्वामी से 450 रुपये उधार लिये थे और इसीलिए वह बधुआ मजदूर बना हुआ है। दलील यह दी जाती है कि उसे प्रतिमाह 28 रुपये दिये जायेंगे जिसम स कज की राशि का एक हिस्सा काट लिया जायगा।

ईश्वर ही वता सकता है कि कितने पैसे उसकी मजदूरी म से काटे जात है? क्योकि सूद की राशि दिनोदिन बढती जा रही है। अगर लिगम कभी काम पर नही पहुँचता है तो उसका मालिक प्रतिदिन उसकी मजदूरी से पाच रुपये काट लेता है। अगर लिगम बीमार पडता है तो उसका मालिक उसके घर से घसीटता हुआ उसे खेत तक ले जाता है। 450 रुपय का कज डेढ साल मे चुकता कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नही हो सका। इसके अलावा मालिक न उसके बाप की जमीन भी हडप ली है। लिगम गुलामी करने के लिए मजबूर है।

(2) निजामाबाद जिले के बसनापल्ली गाँव के बलैया की पीडा को कौन समझ सकता है? भू स्वामी ने उसकी गाय, भस और बछडा सब-कुछ हडप लिया है। शहर के लोगो को यह समझने मे दिक्कत होगी कि भारत मे किसी ग्रामीण के लिए, जिसके पास जमीन नही है अथवा बहुत थोडी जमीन है, य चीजें कितनी

इस प्रकार उन्होने गरीबा से लाखा रुपये लूटे हे। चिन्नमथूपल्ली गाव के सरपच ने सात लाख रुपये का गवन किया है। यह सरपच कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी का प्रेजीडेंट था और कोआपरेटिव सेंट्रल बैंक का चेयरमैन रह चुका है। इन सरपचा ने एक के बाद एक गावा को लूटने का सिलसिला चला रखा है और इस लूट के धन से वे परती जमीन तथा पचायती जमीन की खरीद करते है।

कभी कभी ये लोग धवध की राशि के वदले म जमीन ले लेते हैं। एसी स्थिति म जमीन पर पूरा अधिकार होन के बावजूद जमीन का मालिक वहा जा नही सकता। सरपचा को पुलिस की पूरी मदद मिलती है। भविष्य म भी उनको यह मदद मिलती रहगी।

(3) 33 वर्षीय भूमया और उसके परिवार के सदस्य वर्षो तक वधुआ मजदूर बने रहे। वे निज़ामावाद जिले के लक्ष्मीदेवीपल्ली नामक गाव म रहत है। उसके चाचा ने बारह वप तक जीता के रूप म काम किया था और उसके बाद उनकी मत्यु हो गयी। भू-स्वामी के पास म सात सौ रुपय का कज बचा रह गया। भू स्वामी न उस समय उनकी पन्द्रह बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन इतना उसे पर्याप्त नही लगा। जसी स्थिति बनी थी उसके अनुसार यदि भूमया के पास पाच हजार रुपये होने तब शायद वह अपन कज स मुक्ति पा सकता था, लेकिन उसके पास इतन पसे नही थे और वह गुलाम बना रहा।

(4) 1977 म मेडक तालुक के शकरपट गाँव के टुडूमू रामुदू की उम्र 25 वप थी। वह जाति से हरिजन ह। तेलुगू भाषा मे वधुआ मजदूर प्रथा को 'वेट्टी चाकरी' कहत ह और वधुआ मजदूर को 'जीतागाडू' कहा जाता ह। एक वधुआ मजदूर और मालिक के बीच हुए समझौत को जीतम कहत ह। जीतम का अथ मजदूरी भी होता है।

रामुदू के पिता भूमैया और उसकी मा की मत्यु तभी हो गयी जब वह महज आठ वप का था। उसके बडे भाई ने उसे एक कोमाती अथवा वश्य जमींदार के यहाँ जीतागाडू बनाकर रख दिया था। जीतम के रूप म उस प्रतिमाह पाच रुपय मिलत थ। रामुदू को इस बात की कोई जानकारी नही थी कि उसक बडे भाई न मालिक से कितना कज लिया है?

तीन वप के बाद रामुदू वहाँ से रिहा हुआ। इसके बाद उसका भाई उन सकर कमरम गाव के मुथम रेड्डी नामक भू स्वामी के घर गया। वहा उसन पाँच सौ रुपय उधार लिये और रामुदू को जीतागाडू बनाकर वहा रख दिया। यहाँ जीतम के रूप म प्रतिमाह 25 रुपये की राशि तय हुई। दोना मामला मे रामुदू का अपनी तनख्वाह क दशन नहीं हुए। उसके भाई न बाद म लिय गय कज से अपनी शादी कर ली। उस नवविवाहित पत्नी न भी मजदूर क रूप म काम शुरू किया। रामुदू दिन रात काम करता था और खान के लिए उसे नाममात्र

मिलता था। हर रोज़ उसे दोपहर म दो मील तक पैदल चलकर खाना खाने घर आना पडता था। मालिक के हाथों उसे रोज़ मार खानी पडती थी। दो साल के बाद वह वहाँ से रिहा हो सका।

उसके भाई ने उसी गाव के माली पटल नगया नामक व्यक्ति से 24 प्रतिशत ब्याज पर तीन सौ रुपये उधार लिये। इस पसे से उसने रेड्डी के कज का भुगतान किया और रामुदू अब नगया का जीतागाडू हो गया था। यहा जीतम के रूप म बीस रुपये प्रतिमाह की राशि तय हुई। हर शाम उसे खान के लिए एक कटोरा उबली हुई मक्का मिलती थी। नगैया के यहाँ उसने एक वष तक काम किया।

इसके बाद उसके भाई ने कमारन गाव के वाला पुचया नामक व्यक्ति के यहा उसे रख दिया और अपना पिछला कज उतारने के लिए इस व्यक्ति स तीन सौ रुपये का ऋण लिया। रामुदू की एक साल की मेहनत को ब्याज का भुगतान माना गया। उसने तीस रुपये प्रतिमाह के जीतम पर पुचैया के यहा दो वष तक मजदूरी की। तनख्वाह के अलावा उसे एक चपाती और एक कटोरा दलिया भी मिलता था।

अब रामुदू बडा हो गया था। उसके भाई न पटवारी रामुलू से एक हजार रुपये की माग की। रामुलू ने यह राशि दे दी, लेकिन बदले म रामुदू को उसने पन्द्रह वष के लिए बधुआ मजदूर बना लिया। उसके भाई न बकाया ब्याज के रूप म पुचैया को दो सौ रुपये वापस किये। सौ रुपये और पच्चीस किलो चावल के साथ उसने रामुदू की शादी यल्लामा नामक औरत से कर दी। रामुदू को तीस रुपये जीतम के रूप म मिलते थे। पटवारी ने कहा कि उसे कोई ब्याज नहीं चाहिए।

नया मालिक रामुदू को खाना नहीं देता था। यल्लामा कभी कभी दनिक मजदूर के रूप म काम करके एक दो रुपय कमा लाती थी और उसी से अपन और अपने पति के लिए कुछ खाने का इतजाम करती। रामुदू का एक लडका पदा हुआ। रामुदू रोज सवेरे छह बजे से देर रात गय तक काम करता और प्रतिदिन खाना खाने के लिए दो मील पैदल चलकर अपने घर पहुँचता।

छह वष के बाद उसके मालिक ने बताया कि कज की राशि बढकर 1,300 रुपये हो गयी है। रामुदू यह सुनकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसे न तो कभी मजदूरी मिली थी और न खाने के लिए ही कुछ दिया जाता था। अब वह पूरी तरह बदहवास हो चुका था और समय समय पर पैसे उधार लेकर शराब पिया करता था। उसने तय कर लिया था कि अपने बेटे को वह जीतागाडू नहीं बनने देगा। यह कहानी तेलगाना के एक किसान की है जहाँ शापका के खिलाफ लडाई आज भी जारी है।

(5) मेडक तालुक म अरुसुलूपल्ली गाँव के सिद्दीरामुलू की उम्र 1977 म

21 वप थी। 'म्वतत्र तेलगाना' आदोलन जब शुरू हुआ था और शिक्षा सस्थाएँ बद हो गयी थी, उस समय वह छठी कक्षा मे पढता था। उसने काम की तलाश शुरू की। एक वप तक वह दैनिक मजदूर की हैसियत से काम करता रहा। उसका वडा भाई भी इसी तरह अपनी जिन्दगी गुज़ार रहा था। परिवार मे एक बीघे से भी कम ज़मीन थी। उसके पिता उम थोडी सी जमीन पर ही खेती करते थे और अपने एक जोडा भसे किराये पर दते थे। इससे उन्हे प्रतिदिन दस रुपये की आय हो जाती थी।

एक कहावत है—चार दिन की चादनी फिर अँधेरी रात। सिद्दीरामुलू का बडा भाई जाडे की एक रात मे आग के अलाव की बगल मे सो रहा था। उसके कपडा म आग लग गयी और वह जल कर मर गया। भाई की मृत्यु से परिवार की आय म काफी कमी हा गयी। सिद्दीरामुलू पडोस क शहर म मजदूरी करता था। घर मे जब खाने का सकट पदा हो गया तो उसके पिता ने अपने भसे बेच दिये।

अब इस परिवार पर मुसीबत के बादल मॅडराने लग। सिद्दीरामुलू की दादी की मत्यु हो गयी और उनक अतिम सस्कार के लिए घर मे बिलकुल पैसे नही थे। सिद्दीरामुलू के पिता ने वैकटया से दो सौ रुपये उधार लिये और अपन वेटे को सात वप के लिए उसके यहा जीतागाडू बना कर भेज दिया। उस समय इसकी उम्र 13 वप थी। चार वप तक उसने मालिक के मवेशियो को चराया। वाद म जवान होने पर उसे खेत जातने के काम म लगा दिया गया। यहा अविश्वसनीय रूप स मेहनत करनी पडती थी—कभी-कभी तो उमे एक सास मे आठ घटे तक हल खीचना पडता था।

सिद्दीरामुलू के लिए अब वे दिन जब वह स्कूल जाता था, जब उसके परिवार के लोगा को कडी महनत के बाद ही सही भरपेट खाना तो मिलता था अब अतीत की यादगार बनकर रह गये। उसके मालिक ने सात वप के बाद उसे अपनी गुलामी से आजाद किया। इसके बाद वह पास के एक गाव की चीनी मिल म काम करन लगा। यहा उस प्रतिदिन पाच रुपये मिलते थ। उसके जीवन म य सबसे सुखद दिन थे। लेकिन गन्ने की फसल के कटने के साथ ही उसका काम भी खत्म हो गया और वह बेरोजगार हो गया था।

उसके पिता ने उसकी शादी करन का फसला किया। उन्होने रमया कापू से चार सौ रुपये उधार लिये और राजम्मा नामक लडकी से उसकी शादी कर दी। सिद्दीरामुलू अब रमया का जीतागाडू हो गया था और कापू ने फसला किया कि वह जीतम के रूप मे उसे प्रतिमाह बीस रुपय देगा।

कुछ वर्षों बाद इस गाव मे 42 बधुआ मज़दूरा के मसले को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी ने एक आदोलन शुरू किया। जब आदोलन चरमबिन्दु पर पहुँच गया तब

सरकार की नीद टूटी। गाव म एक खड विकास अधिकारी आर एक श्रम अधिकारी पहुँचा। इन लोगा ने जमीदारा और बधुआ मजदूरो का बुलाया और इस बैठक म तमाम तथ्यो का उदघाटन हुआ।

अब तक की प्रथा के अनुसार किसी व्यक्ति का दो सौ रुपए क कज क बदले आठ रुपये प्रतिमाह वतन पर सात वष के लिए जीतागाडू बनाया जाता था। सात वष तक जीतागाडू म काम करक और उसे एक पैस का भी भुगतान न करके मालिक 6 720 रुपये कमाता था। साथ ही अगर जीतागाडू का उसके श्रम के बदले उचित मजदूरी दी जाये ता मालिक को सात से आठ हजार रुपए खच करन पडत।

अधिकारियो ने बताया कि राज्य सरकार ने एक यूनतम वेतन कानून पारित कर रखा है। इस कानून के अनुसार दनिक मजदूरी करन वाला का तीन रुपए पाच पसे और मासिक वतन पर काम करने वाले मजदूरा का 91 रुपए 63 पसे प्रतिमाह अथवा 1 100 रुपये प्रति वष मिलने चाहिए। इन दरा को काफी पहले सरकारी तौर पर घोषित कर दिया गया था, लकिन किसी भी भू-स्वामी न कभी भी इन दरा पर भुगतान नही किया।

1971 की जनगणना के अनुसार आध्र प्रदेश म खेतिहर मजदूरा की सख्या 68,29,000 थी। 1954 मे राज्य म पहली बार यूनतम वतन कानून बना। बाद म 1961 1966, 1968 और 1974 म इसम सशोधन किया गया। अतिम सशोधन आदोलन से काफी पूव हुआ था। जो भी हो जमीदारा ने सरकारी दरा के मुताबिक पसे देन की बात मान ली।

सिद्दीरामुलू जसे लोगा के दिमाग मे एक तूफान उठ खडा हुआ। थोडे से पसे कज लेन के कारण वे मामूली-सी तनख्वाह पर जीतागाडू बने रहना नही बरदाश्त करग। बहुत दिनो से वे गुलामी कर रहे है—निश्चय ही उनके मद म जो पसा इकट्ठा हुआ होगा वह उनका कज उतारने के लिए काफी होगा।

पार्टी के लाग कितन अच्छे है। उनके आदोलन की ही वजह से तो दोना अफसर यहाँ तक आय। जमीदार भी उनकी बात मान गया। सभी जीतागाडू खुशी मे पागल हो रहे थे।

लेकिन यह एक झूठी खुशी थी। दो महीने बाद जमीदार ने सरकारी वतन दरा के मुताबिक पसे दो से इकार कर दिया। जीतागाडुआ को अपने खून पसीने मे ही कज उतारना होगा।

हरिजन समुदाय के बडे-बूढो न जमीदारो स बातचीत की जो आखिरकार सरकारी दर से आधी मजदूरी देने को तयार हो गये। दोना पक्ष इस पर राजी हुए कि मासिक वतन के रूप म 50 रुपए दिया जायेगा।

सिद्दीरामुलू कज उतारन के लिए फिर मेहनत करन लगा। राजम्मा भी

दनिक मजदूर की हैसियत से काम करने लगी। वह 3 रुपये रोजाना कमाने लगी। सिद्दीरामुलू को उम्मीद हो गयी कि वह चार महीने मे कर्ज चुकता कर देगा।

(6) मेडक ताल्लुक के कूचनापल्ली गाव के शिवराजया के बेटे रामचन्द्र को यह याद भी नही है कि उसके पिता ने नागया से कर्ज लिया था। उसे बस इतना ही याद है कि वह सात वर्ष की उम्र से ही नागया का जीतागाडू है। उसे जीतम के तौर पर प्रतिमाह 8 रुपया और दोनो वक्त का खाना मिलता था। अपनी तनख्वाह उसे कभी नही मिली। वह नागैया के साथ छह साल तक रहा। उसके पिता की मत्यु हो गयी। उसके बडे भाई उसे अपने साथ ले गये और उन्होने करनम रामुलु के यहा जीतागाडू बना दिया। उसके नये मालिक ने जोर दिया कि रामचन्द्र की शादी कर दी जाये। रामचन्द्र का बडा भाई भी यही चाहता था। रामुलु ने 37 प्रतिशत ब्याज पर 450 रुपये उधार दिये और जीतम की राशि बढा कर 18 रुपये कर दी। दुल्हन की कीमत 100 रुपये अदा करने के बाद रामचन्द्र ने वेंकम्मा से शादी कर ली।

450 रुपये पर सालाना ब्याज 166 50 रुपये था। रामुलु को पता था कि रामचन्द्र कभी यह पैसा नही दे सकता। वह हर रोज उसकी पत्नी वेंकम्मा के सामने रामचन्द्र को बरबरतापूर्वक पीटता था और वेंकम्मा असहाय नजरो से उसे देखती रहती। जब रामचन्द्र के बडे भाई ने इसका विरोध किया तो उसे भी खूब पीटा गया। इस दुर्दशा को देखकर हरिजन समुदाय के पडोसियो ने सुझाव दिया कि रामचन्द्र को अपने दोनो बैल बेचकर यह कर्ज उतार देना चाहिए। रामुलु पैसे नही चाहता था—उसकी निगाह उन दोनो बैलो पर थी। अगर रामचन्द्र बैलो को बेच पाता तो कर्ज उतारने के बाद उसके पास कुछ पैसे बचे रहते। लेकिन ऐसा नही हुआ। रामुलु ने जब उसे अन्तिम तौर पर अपने चगुल से छोडा तब तक वह कगाल बन चुका था।

तेलगाना के विख्यात जिले मे रामचन्द्र को सचमुच गुलामी से कौन मुक्ति दिला पायेगा? उसे कोई उम्मीद नही थी। वह एक हरिजन था और जीतागाडू था। वह दीन हीन था।

वेंकम्मा बीमार पडी और उसे लक्ष्मी रेड्डी से कर्ज लेना पडा। अब एक बार फिर वह जाल मे फँस गया था। 1977 मे वह पहले ही रेड्डी के यहा चार साल बधुआ बनकर काम कर चुका था। ब्याज की दर 39 प्रतिशत थी। रामचन्द्र को अपनी मा, पत्नी और पाच साल की एक बहन की देखभाल करनी पडती थी। दोनो महिलाएँ भी दो रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी करती थी। रामचन्द्र को न तो एक पैसा मिलता था और न उसे खाने को कुछ मिलता था। उसका परिवार 4 रुपया महीने की दनिक आय पर चलता था।

क्या उसे याद है कि उसके पिता के पास कभी 4 एकड जमीन थी? शिव

राजया के पास कैसे यह जमीन थी रामचन्द्र को नही पता। शायद 1960 के दशक म सरकार ने जो जमीन बाटी थी उस पर शिवराजया का स्पष्ट अधिकार दिया गया था। शिवराजया ने फिर खेत जोतने-बोने के लिए सरकार से 600 रुपये का कर्ज लिया। लेकिन खेती नही हो सकी, क्योकि जो पूजी थी वह परिवार का पेट भरने म ही खच हो गयी। इस बीच सरकार ने ब्याज की अदायगी के लिए दबाव डालना शुरू किया। ऐसी हालत थी और ऐसी हालत म जब कोई गरीब किसान कष्ट म हो विटठल रेडडी जैसा धनी भू-स्वामी कैसे चुपचाप यह देख सकता है? वह 100 एकड जमीन दो ट्रैक्टर एक जीप, टेलीविजन ट्राजिस्टर रेडियो का मालिक था और उसके गले म सोने की एक मोटी जजीर लटकती रहती थी।

उसने शिवराजया की जमीन ले ली और सरकार को मूल तथा सूद दोनो चुकता कर दिया। शिवराजया की 4 एकड उपजाऊ जमीन के बदले म उसने 1 एकड बजर जमीन दे दी। उसे अपने जानवरो को चराने के लिए इस जमीन की सख्त जरूरत थी। गरीब किसान को इसके लिए राजी होना पडा। बस कागज पत्र उसके नाम से रह गये।

1968 म रेड्डी उस खेत को जोतने लगा। पिछले दस वर्ष स रेडडी इसी तरीके से अपनी जमीन बढाता रहा था और अब तक उसने कम-से-कम 20 परिवारो को कगाल बना दिया था। ये सभी हरिजन थे। इसी तरह की परिस्थितियो म उन्हे सरकार द्वारा जमीन दी गयी थी और उन्होने सरकार से कर्ज के रूप म कार्य पूजी ली थी। कर्ज की अदायगी के लिए उनकी ओर से दबाव पडने पर वे विटठल रेडडी के शिकार बने और विटठल रेडडी ने उनकी ओर से सरकार का कर्ज उतार कर उनकी सारी जमीन हडप ली। यह एक अजीब विडम्बना थी। जमीन के मालिक किसान थ पर फसल कट कर रेड्डी के यहाँ जाती थी।

1977 मे रामचन्द्र ने जिला कलक्टर के पास अर्जी दी और अपील की कि उसे वह जमीन वापस दी जाये जिस पर उसके पिता का कभी स्वामित्व था। अधिकारियो ने उसे बताया कि अब उस जमीन का मालिक रेडडी है क्योकि शिवराजया ने रेडडी के हाथो जमीन बेच दी है। रेडडी के पास अपने दावे की पुष्टि के लिए अँगूठे का निशान लगा एक दस्तावेज भी था। वह पिछले दस वर्ष से इस जमीन की फसल पा रहा था। रामचन्द्र के पास जमीन सम्बन्धी कागजात थे, फिर भी जमीन पर उसका कोई हक न था। रामचन्द्र अब क्या कर सकता था? उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, इसीलिए उसके पास यह साबित करने का कोई तरीका नही था कि रेड्डी के पास जो दस्तावेज है वह जाली है। अगर वह मामले को आगे बढाता तो उसके परिवार के सदस्यो की जिन्दगी खतरे मे पड जाती। वह किससे विरोध करता? कौन उसकी बात सुनेगा? अगर वह गाव के

स्थाना की आसू भरी कहानियाँ हैं।

जनता सरकार के पतन के बाद पारमबीघा, पिपरा तथा अय स्थाना पर न जाने कितनी लाशें गिरी।

बिहार एक विशेष क्षत्र है। नालदा जिले के काइला मे पुलिस ने जमीदार के गुडा द्वारा हरिजना का कत्लेआम चुपचाप देखा। बिहार म पुलिस और प्रशासन एक सदिग्ध स्थिति म हैं। उन्हाने जनता म अपने प्रति तनिक भी विश्वास का भाव नही पैदा किया। हरिजना और आदिवासिया क दमन म पिछले दस वर्षो म इनकी जा भूमिका रही है उस पर अलग से मुकम्मल रिपोट लिखी जा सकती है। बिहार म जा घटनाएँ घटी व कही और देखने मे नही आती।

26 जून, 1979 को राहतास जिले के ममहता गाव मे एक पुलिस इस्पैक्टर एक सब-इस्पैक्टर और हथियारबद पुलिस की तीन टुकडियो ने जमीदारा के साथ साठ-गाठ करके हरिजना की बस्ती पर धावा बाल दिया। उन्हाने यहा के लागा को पीटा और सारा सामान लूट लिया। चार हरिजना की हत्या के बाद, व वहा से भाग गये।

क्या उन्ह कोई सजा मिली? दोना अफसरा को बस मुअत्तिल कर दिया गया। सजा का सवाल बाद मे पदा होता है। ऐसा क्या होता है?

बोधगया बिहार के पवित्र स्थलो म से एक है। यहाँ के मदिर का महत बिहार के सबसे बडे जमीदारो मे से है। उसके पास 30,000 बीघा बेनामी जमीन है। छात्रो के एक दल ने इस जमीन का कुछ हिस्सा भूमिहीनो के बीच बाटने की कोशिश की। महत क गुडा न छात्रा पर बमा और बदूका से हमला किया और उन्ह तितर बितर कर दिया। इस वारदात म चार छात्र मारे गये और अनक घायल हुए। यह घटना 9 अगस्त, 1979 की है।

बधुआ मजदूर प्रथा समाप्त किये जान से सम्बधित जो कानून है उसम 'हलवाहा' शब्द कही नही आता है। यह प्रथा पटना जिले म प्रचलित है। बाढ सब डिवीजन मे जमीदार लोग अपनी जमीन पर खेती करने के लिए हरिजना का लगाते हैं। जो स्वतन्त्र मजदूर है उन्ह 'छुट्टा' कहा जाता है। हलवाहा का 'बधुआ हलवाहा' कहा जाता है क्याकि व कज स बधित है।

(1) रामपुर डुमरा गाव के हलवाहा भूमिहीन हैं और व मामूली-स पैस पर जमीदारा के खेता म काम करत हैं। उन्ह गाव से बाहर किसी अय कमचारी के लिए काम करने की अनुमति नही होती। उन्हें गाँव स बाहर निकलने की इजाजत नही होती—शादी-ब्याह जस सामाजिक समारोहा मे भी भाग लेने व गाँव से बाहर नही जा सकते। हलवाहे के परिवार क सभी सदस्य उस मालिक क गुलाम समझे जाते हैं। इस प्रकार एक आदमी का मामूली-स पैस देकर पूरे परिवार से काम लिया जाता है। उन्ह बाहर स्वतन्त्र रूप स काम करने की

थोड़ा उकसाने के बाद राजस्व बोर्ड ने बताया कि जुलाई 1964 में राज्य सरकार से कहा गया था कि वह तेलगाना में इस नियम को लागू करे। राज्य सरकार इस मसले पर चुप रही।

1975 में बंधुआ मजदूर प्रथा को समाप्त करने के लिए एक अध्यादेश लागू किया गया।

हमने 1977 से सम्बन्धित कुछ मामलों का जिक्र किया है।

## बिहार

पलामू जिले को सही अर्थों में बंधुआ मजदूर प्रदेश कहा जा सकता है। यहाँ ऐसे अभागों की संख्या 40 हजार से भी अधिक है। सारन चम्पारण मुंगेर और संथाल परगना में से प्रत्येक स्थान पर दस हजार से बीस हजार बंधुआ मजदूर हैं और गया और मुजफ्फरपुर में से प्रत्येक में पाँच हजार से दस हजार। पटना और भागलपुर में प्रत्येक स्थान पर इनकी संख्या पाँच सौ से पाँच हजार तक है। सहरसा और दरभंगा में इनकी संख्या कम से कम पाँच-पाँच सौ है।

बंधुआ मजदूर प्रथा का मूल कारण हरिजनों और आदिवासियों की आर्थिक असहायता ही है। यह प्रथा तब तक जारी रहेगी जब तक आबादी का बहुमत सब कुछ खोकर गरीबी की रेखा से नीचे बना रहेगा और एक अल्पमत समूह पर निर्भर रहेगा जिसकी सारी जमीन पर मिल्कियत है।

पलामू ने कई बार लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। हर बार खबरें गलत नहीं हो सकतीं। ध्यान देने की बात है कि ऊपर जिन जिलों का उल्लेख किया गया है उनमें भोजपुर शामिल नहीं है। तो भी 14 अप्रैल 76 के अखबार में छपी एक खबर से पता चलता है कि इस इलाके में भी यह प्रथा प्रचलित है।

राज्य सरकार ने 1976 में पलामू के कुछ दूर-दराज के इलाकों को छोड़कर अन्य इलाकों में इस प्रथा के होने की बात नहीं की थी। उसने कुछ कानूनी शब्दजाल का सहारा लेकर यह दावा किया था कि अपने मालिकों के बंधे कुछ मजदूर बंधुआ नहीं कहे जायेंगे—उनकी यह स्थिति कर्ज लेने के कारण है।

वास्तविक तस्वीर बहुत भयानक लिए हुए है। बिहार के अलावा दूसरा कोई राज्य ऐसा नहीं है जहाँ सभ्यता के सारे मानदण्डों को दरकिनार कर हरिजनों के साथ इतनी बर्बरता और अमानवीयता के साथ पेश आया जाता हो।

बिहार के सवर्ण जमींदारों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता कि केन्द्र में किस का शासन है। जनता सरकार के दिनों में हरिजनों का बर्बर नरसंहार हुआ और आगजनी, गाँवों में उनकी औरतों के साथ बलात्कार की घटनाएँ हुईं। बेलछी पथड़ौर, इस्माइलपुर, बिरहौली, [illegible] गोपालपुर, उआगुपुर [illegible] [illegible] बिश्रामपुर, सिसरी, [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] तथा अन्य कई

स्थाना की आँसू भरी कहानियाँ ह।

जनता सरकार के पतन क बाद पारसबीघा पिपरा तथा अय स्थाना पर न जान कितनी लाश गिरी।

बिहार एक विशेष क्षेत्र है। नालदा जिले क काइला म पुलिस ने जमीदार के गुडा द्वारा हरिजना का कत्लेआम चुपचाप दखा। बिहार म पुलिस और प्रशासन एक सदिग्ध स्थिति म हैं। इहान जनता म अपने प्रति तनिक भी विश्वास का भाव नही पैदा किया। हरिजना आर आदिवासियो क दमन म पिछले दस वर्षों म इनकी जो भूमिका रही है उस पर अलग से मुकम्मल रिपाट लिखी जा सकती है। बिहार म जो घटनाएँ घटी वे कही और देखने म नही आती।

26 जून 1979 का रोहतास जिले के समहुता गाव म एक पुलिस इस्पैक्टर, एक सब इस्पैक्टर और हथियारबद पुलिस की तीन टुकडियो ने जमीदार के साथ साठ गाठ करके हरिजना की बस्ती पर धावा बोल दिया। उन्होने वहा के लोगा का पीटा और सारा सामान लूट लिया। चार हरिजनो की हत्या के बाद, व वहा से भाग गये।

क्या उह कोई सजा मिली? दोनो अफसरा का बस मुअत्तिल कर दिया गया। सजा का सवाल बाद म पैदा होना है। एसा क्या होना है?

बोधगया बिहार के पवित्र स्थलो म स एक है। यहाँ के मदिर का महत बिहार क सबसे बडे जमीदारा म स है। उसके पास 30,000 बीघा बेनामी जमीन है। छात्रो क एक दल ने इस जमीन का कुछ हिस्सा भूमिहीनो के बीच बाटने की कोशिश की। महत के गुडा न छात्रा पर बमा और बदूको से हमला किया और उह तितर बितर कर दिया। इस वारदात म चार छात्र मारे गये और अनेक घायल हुए। यह घटना 9 अगस्त 1979 की है।

बधुआ मजदूर प्रथा समाप्त किय जाने से सम्बधित जो कानून है उसम हलवाहा' शब्द कही नही आता ह। यह प्रथा पटना जिले म प्रचलित है। बाढ सब-डिवीजन म जमीदार लोग अपनी जमीन पर खेती करने के लिए हरिजनो को लगाते है। जो स्वतत्र मजदूर है उन्हे 'छुट्टा' कहा जाता है। हलवाहा को 'बधुआ हलवाहा' कहा जाता है क्योकि व कज स बधित है।

(1) रामपुर डुमरा गाँव के हलवाहा भूमिहीन हैं और व मामूली स पैसे पर जमीदारा के खेता म काम करते ह। उह गाँव से बाहर किसी अय कम चारी क लिए काम करने की अनुमति नही होती। उन्हें गाव स बाहर निकलन की इजाजत नही होती—शादी-ब्याह जस सामाजिक समारोहा म भी भाग लेने व गाव से बाहर नही जा सकते। हलवाहे के परिवार के सभी सदस्य उस मालिक के गुलाम समझे जाते है। इस प्रकार एक आदमी को मामूली स पैसा देकर पूरे परिवार से काम लिया जाता है। उह बाहर स्वतत्र रूप म काम करने की

इजाजत नही मिलती। वे चौबीसा घटे अपने मालिक के लिए काम करने हैं। उन्हे सरकार द्वारा निर्धारित दर स आधी मजदूरी मिलती है और वह भी अनाज के रूप म। यह प्रतिदिन लगभग 1 25 किलो मक्ई या मार्ई और अनाज तथा थोडा-सा नाश्ता होना है। ये हलवाहे कई पीढ़िया से भूमिहारा क गुलाम हैं। उनके बीच एक कहावत चलती है कि अगर मालिक की मक्ई खा ली ता हल वाह का लडका भी बडा हा कर हलवाहा बनगा। सरकारी कानून निर्मानाओ क अनुसार मेतिहर मजदूरा की तुलना म हलवाह बेहतर स्थिति म हैं।

रामपुर-डुमरा म मिडिल स्कूल और हाई स्कूल भूमिहारा द्वारा चलाय जाते हैं। भूमिहार छात्र उन हरिजन छात्रा का पीन्त हैं जो कक्षा म जान की कोशिश करते हैं। प्रधानाध्यापक भुनश्वर सिंह गाव के मुखिया का भाई है और एक बदमाश जानदार है। उसके यहाँ सिहश्वर पासवान नामक एक हलवाहा है जिसने 800 रुपय उधार लने क कारण बिना किसी वतन क 18 वष उसकी गुलामी की। इस आदमी न हाईकाट म एक मुकदमा दायर किया और जीत गया — अदालत न भुनश्वर सिंह को आदेश दिया कि वह सिहश्वर पासवान को 7 300 रुपय द। लेकिन अचानक सिहेश्वर की मृत्यु हा गयी और उसका एक मात्र उत्तराधिकारी 17-वर्षीयपुत्र हरखीत बडे रहस्यमय ढग स गायब हा गया।

(2) शामली पासवान पिछल 15 वर्षों से उदय सिंह का हलवाहा है। पिता की मत्यु के बाद उस 13 कट्टा जमीन और कज का एक बाझ प्राप्त हुआ था। उसक पिता ने अपने मालिक उदय सिंह स दा मन मक्ई उधार ली थी। वह उदय सिंह का हलवाहा बन गया और अपन मालिक की जमीन जातन लगा। फसल को उदय सिंह ले जाता था। 1976 म शामली न साचा कि ऋण विमुक्ति आदेश न पुरान कज को रद्द कर दिया है और फिर उसन अपनी जमीन जातने-बाने की तयारी की। उदय सिंह न उस मार डालन या किसी फौजदारी के मामल म फँसा देने की धमकी दी। शामली न अपनी आजादी की सारी काशिशें छोड दी।

(3) जमुना राम भुनेश्वर सिंह क पिता हृदय सिंह का हलवाहा है। वह एक महीने तक बीमार होकर बिस्तर पर पडा रहा। हृदय सिंह के गुडे उसक घर आय और उसके हाथ पर बाध कर एक डडे म टाँग कर ले गये। व उसे नगा करके तब तक मारत रहे जब तक वह बेहोश नही हो गया। वे उसे मरा हुआ समझ कर सडक पर ही छाड गय — उसकी चोटा म लगातार खून बह रहा था। उसका बेटा शामली न्याय के लिए पुलिस और जिलाधीश के यहा चक्कर लगाता रहा, पर कुछ भी लाभ न हुआ।

क्या सारे हलवाहे बधुआ मजदूर नही हैं ?

(4) पलामू क योगीखुरा गाँव के एक सवण हिन्दू की हरकता से इस पाशविक प्रथा की समूची तसवीर बहुत साफ उभर आती है।

यहाँ सेवकिया और कमिया जसे कई तरह के बधुआ मजदूर है। इस व्यक्ति न एक नये तरह के बधुआ मजदूर बनाये हैं जिसे धरमर कहते हैं।

1976 मे राजनीतिक तौरपर उसका बडा दबदबा था। वह बिहार राज्य लाख विपणन सहकारी महासघ' म एक उच्च अधिकारी था। देश म जितना लाख पदा होना है उसका 50 प्रतिशत हिस्सा बिहार म होना है और इसमें से भी 34 प्रतिशत अकेले पलामू म होना है। लाख के नियात से पर्याप्त विदेशी मुद्रा की आय होती है। इसके उत्पादक हरिजन और आदिवासी ह।

उनके हिता की रक्षा के लिए महासघ को जिम्मेदारी दी गयी कि वह उत्पा दका से 3 रुपय प्रति किलो की दर से लाख की खरीद करें। इस व्यक्ति ने खरीद के लिए अपन एजेंट रख जिन्हाने 25 पसे से लेकर 50 पैसे प्रति किलो की दर से खरीद की। खरीद वाले रजिस्टर म 3 रुपय प्रति किलो की दर ही दज की गयी और उत्पादका के अँगूठे के निशान लेकर इसे एकदम दुरुस्त कर लिया गया। इस प्रकार इस व्यक्ति ने हर किलोग्राम पर लगभग ढाई रुपये बना लिये। उसकी आय का सबसे बडा साधन सिंचाई विभाग था। उसके सयुक्त परिवार के अनक सदस्य इस विभाग म ठेकेदार थे और उसका दामाद इस विभाग मे ही एक उच्च पद पर था। उसके एक रिश्तेदार का जिले के शिक्षा बोड पर नियत्रण था हालाकि उसकी शिक्षा ऐसी थी कि वह ठीक से बात भी नही कर सकता था। जबरदस्त प्रभावा वाले इस महान व्यक्ति ने एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी किया जो उसके गुणगान करता रहता था।

अपने राजनीतिक प्रभाव, पैसे और सरकारी मदद से इस व्यक्ति न हरिजना और आदिवासिया की उस जमीन को लूट लिया जो उन्ह अपने पूवजा से मिली थी जिसे उन्हाने खरीदा था या भूदान, कोदकार और अभिभोक्ता के जरिए जिस पर उनका स्वामित्व था।

इस तरह की जमीन ग्ररीब किसान जोतते है।

उन्ह धरमर कहते ह। फसल कटने के समय इस महापुरुष के रिश्तेदार आते और उत्पादन का एक बडा हिस्सा जबरदस्ती धरमरुआ मे ले लेते। धरमरुआ से ये लाग अपने खेता पर बिना मजदूरी के काम भी लेते।

इसके बाद सेवकिया और कमिया आते है जिनकी सख्या बहुत ज्यादा है। इस महापुरुष की केंदू पत्ता के व्यापार पर भी इजारेदारी थी।

सभवत पुलिस और वन विभाग पर भी उसकी इजारेदारी थी।

(5) खेत जोतने का काम हलवाहा करता है और चरवाहा मवेशियो को चराता है।

पलामू जिले के हरिहरगज ब्लाक म स्थित श्रीपालपुर गाव के श्यामा चमार ने पास के गाँव मथुराना के राजपूत करीमन सिंह से चालीस रुपया उधार

लिया था। इसके एवज म उसने सवकिया के रूप म 14 साल तक मजदूरी की। शुरू म कज लेने के दो साल बाद उसने फिर 60 रुपये लिये। 14 साल तक काम करने के बाद उसके बेटे वासुदेव को 15 वष तक काम करना पडा। उसकी 15 वष की गुलामी 1978 म पूरी हुई और वह अभी भी नही काम कर रहा था। इसके बावजूद कज अभी उतरा नही था। इसलिए वासुदेव के बेटे नरेश ने अपने पिता के साथ काम करना शुरू किया। उसकी उम्र 15 वष है और अब तक कई साल उसने चरवाहे के रूप म गुजार दिये है। नरेश को कुछ भी मजदूरी नहीं मिलती है। 1976 म एक अफसर उसे रिहा कराने आया था, लेकिन वासुदेव को रिहा नही किया जा सका। लेकिन उसके मालिक ने जब देखा कि उक्त अधिकारी इसम काफी दिलचस्पी ले रहा है, तो उसने वासुदेव का मारना पीटना कम कर दिया।

(6) बधुआ मजदूर प्रथा के प्रतीक दो कमिया मजदूरों का उल्लेख प्रासगिक होगा। *उनके नामों का पता नही है।*

(क) एक बनिये का बैल मर गया। उस बनिये ने अपने कमिया को जुए के नीचे बैल की जगह लगा दिया और बाजार तक गाडी खिचवाते हुए ले गया।

(ख) 1976 म पलामू के उपायुक्त ने वहा गये सर्वेक्षण दल को एक व्यक्ति के बारे म बताया। इस व्यक्ति ने केवल 56 पसे कज लिये थे, इसके बदले म उसे जिन्दगी भर सवकिया बनकर रहना पडा।

उल्लेखनीय है कि बिहार और उडीसा म बधुआ मजदूर प्रथा 1920 म ही समाप्त कर दी गयी थी।

## दादरा और नगर हवेली

1961 62 की एक सरकारी रिपोट के अनुसार इस क्षेत्र म वलवा प्रणाली थी। आमतौर पर दुबला के आदिवासी वलवा होते थे। उन्ह 2 से 20 गुठा (जमीन की एक इकाई) जमीन दी जाती थी। मालिक बीज और बल सप्लाई करता था। इस जमीन की फसल वलवा ले सकते थे। उन्हे मालिक की जमीन पर अपने झोपडे बनाने की भी इजाजत थी। बदले म उन्ह मालिक के खेत पर काम करना पडता था। अपने मालिक की अनुमति के बिना वे कही नही जा सकते थे। उन्ह प्रतिदिन 50 पैसे भी मिलते थे। पुरुष खेतिहर मजदूरों को प्रतिदिन एक रुपया 75 पैसे और महिलाओं को एक रुपया 25 पसे मिलते थे।

1968 69 की एक सरकारी रिपोट म बताया गया है कि वलवा प्रणाली सही अर्थों म बधुआ मजदूर प्रणाली नही थी। कज की राशि कम थी और इस लिए कोई कानूनी कदम नही उठाया गया।

## गुजरात

वडोदरा और पंचमहल जिलों में से प्रत्येक में बीस हजार से अधिक बंधुआ मजदूर हैं। वलसाड, सुरेंद्रनगर, सूरत, राजकोट और महेसाना जिलों में से प्रत्येक जिले में दस से बीस हजार बंधुआ मजदूर हैं। अहमदाबाद, भड़ौच, कच्छ और साबरकांठा जिलों में 5 सौ से दस हजार बंधुआ मजदूर हैं। अमरेली, बनासकांठा, भावनगर, खेड़ा और डांग जिलों में पांच सौ से पांच हजार बंधुआ मजदूर हैं।

गुजरात ने देश को महात्मा गांधी जैसे बड़े उद्योगपति, सहकारी दुग्ध समितियां, एक अलग संस्कृति, अपनी विशिष्ट कला और बेशक अनेक राजनीतिज्ञ प्रदान किये हैं। पाठकों के सामने शायद हम बंधुआ मजदूरों के अलग अलग उदाहरण न पेश कर सकें। इसकी जगह पर हम हरिजनों पर हो रहे अनगिनत अत्याचारों की दास्तान सुनाएंगे। ये हरिजन बंधुआ मजदूर हैं जिन्हें हाली या हलपति कहा जाता है।

1 अक्तूबर, 1975 को अहमदाबाद जिले में गणाता नामक गांव में 25 हरिजन अपनी जान बचाने के लिए रात के अंधेरे में गांव से भाग गये। वे धुरिधी पहुंचे और पुलिस द्वारा खदेड़े जाने तक वहीं रहे। उन्होंने 6 अक्तूबर को 'इंडियन एक्सप्रेस' के संवाददाता को अपनी कहानी सुनायी। वे टकसा कलक्टर (गिरदावर) गुमना नथुजा के भय से गांव से भागे थे।

इस व्यक्ति ने 1 अक्तूबर की रात में दाला नामक एक हरिजन युवक पर हमला किया था। मौके पर अन्य लोगों के पहुंच जाने के कारण वह पीछे हट गया, पर बाद में जान की धमकी दे गया। इसके बाद हरिजन लोग गांव छोड़कर भाग गये।

हरिजनों ने हमेशा ही इस आदमी के अत्याचार को चुपचाप बरदाश्त किया। उन्होंने इसके लिए मुफ्त काम किये और बगैर मजदूरी के अपना श्रम दिया। इन्होंने कभी इसकी शिकायत नहीं की। गिरदावर एक सरकारी कर्मचारी होता है। उससे यही उम्मीद थी कि वह अत्याचारी होगा। अब फसल कटाई का समय नजदीक आने पर उसका अत्याचार बढ़ना स्वाभाविक था।

21 9 78 को भावनगर जिले के कसनपुर गांव के भूस्वामियों ने तीन बच्चों सहित नौ हरिजनों को मारा पीटा। फलस्वरूप आठ [illegible] मारे गये।

8 8 77 को अखबारों में यह खबर छपी थी कि उस दिन भावनगर, गांधीनगर और जामनगर जिलों में सवर्ण हिन्दुओं ने हरिजनों को पीटा। पंचमहल जिले के मलगात गांव में पुलिस ने हरिजनों की शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। 1974 में सुरेन्द्रनगर जिले के रोगनापुर गांव में आठ हरिजन मारे गये।

1977 म भी हरिजना को सरकारी कुआ और नला से पानी लेने की इजाजत नही मिली। होटला और रेस्तराँआ म उनक लिए अलग प्लेटें हाती थी। सरकार द्वारा चलाये जाने वाले सावजनिक वाहना म चढत समय अपमानित किया जाना उनके लिए आम बात थी।

उल्लेखनीय है कि तत्कालीन राज्यपाल ने प्रशासन पर जार दिया था कि वह रनमलपुर हत्याकाड के अभियुक्ता के खिलाफ कारवाई करें। उन्हाने हरिजना का मदिरा और रेस्तराँआ म घुसना सावजनिक कुआ से पानी लना और सबके साथ बठकर खाना सभव बना दिया था। इस पर सवण हिन्दू क्रोधित हो उठे थे। छुआछूत बरतन के लिए 41 सरपचा का निलम्बित किया गया था। इस राज्यपाल ने अनक अच्छे काम किये, पर उन्हे हिन्दुआ की नफरत मोल लेनी पडी।

जनता पार्टी के सत्ता म आते ही हरिजना पर अत्याचारा की सैकडा घटनाएँ हुइ। यह कहना ठीक नहीं होगा कि केवल जनता शासन काल के दौरान ही अत्याचार की ऐसी घटनाएँ हुइ। 1974 मे ता जनता पार्टी नही थी। कटु सत्य यह है कि गुजरात म हरिजना पर हमेशा ही अत्याचार हुआ है। अपने कायकाल म एक राज्यपाल न उन्हे समान अधिकार देने की कोशिश की और उसे सवण हिन्दुआ का कोप झेलना पडा।

एक बार फिर हरिजना को सावजनिक कुआ स पानी लेने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। रेस्तराँआ म उनके लिए अलग बतन रखे गय। उन हरिजना पर सूदखार महाजन बेहद क्रोधित हुए जिन्हाने सरकारी अधिकारिया की सलाह पर कज से राहत के लिए अर्जी दी थी।

पचायत के मुखिया ने फैसला किया कि यदि एक भी भू स्वामी ने हरिजना को काम दिया तो उस पर 51 रुपया जुर्माना किया जायेगा।

हरिजना को इस बात का एहसास हो गया कि उन्हे अपनी जमीनें कभी वापस नही मिलेंगी। यहाँ तक कि सहकारी दुग्ध समितिया ने भी उनसे दूध खरीदना बद कर दिया।

हरिजनो का हमेशा गन्दे निचले स्थान पर रहना पडता है और वर्षा के दिनो म हमेशा उनके झापडा मे पानी भरा रहता है। वे पाखाना साफ करते हैं और सर पर मैला ढोते हैं। गाधी जयन्ती म उनकी किस्मत सुधारने की चर्चा खूब चलती है। अगले दिन वे फिर भुला दिये जाते हैं।

गुजरात मे कोई जुझारू आन्दोलन नही पनप सका। महात्मा गाधी के अनुयायी हरिजना के नेता हैं। वे सविधान की दुहाई देत है। इस आदोलन म कोई भी जुझारू नौजवान नही है। और इसीलिए सभी जिलो मे हजारा हरिजन और आदिवासी गुलामी की जिन्दगी बसर करते है।

1939 म विधानसभा म एक प्रश्न का जवाब देते हुए राज्य के समाज

कल्याण मत्री न एलान किया था कि हलपति आदिवासिया म काइ भी वधुआ मजदूर नहीं है। बेशक यह सही है कज तान के बाद ही व हाली बनते है और कज दन वाले के यहा मजदूरी करते है।

उन्हांने चाहे जा भी कहा हो, लेकिन हाली लाग वधुआ मजदूर ही है। थोडी खाज करन स यह भी पता चल जायेगा कि हलपतिया के अलावा अन्य हरिजन भी हाली ही है।

1917 म इस बार म एक समिति का गठन हुआ था। 1948 म सूरत म यह प्रथा समाप्त हा गयी थी। फिर भी 1978 म देखा गया कि यहा 10 से 20 हजार वधुआ मजदूर थ।

यह कहना गलत है कि कानून अशक्त है। जिस राज्यपाल का हमने उपर उल्लख किया है, उन्हाने कानून को ही कडाइ से लागू करके एक हद तक छुआछत का खत्म किया था।

बधुआ मजदूर प्रणाली का वही मानसिकता जिन्दा रखे हुए है जो हरिजना पर अत्याचार की वकालत करती है।

दमनकारी जानत है कि कानून उनका कुछ नही बिगाडेगा।

## हिमाचल प्रदेश

दूर-दूर बसे गावा वाले पहाडी क्षत्र हिमाचल प्रदेश म राजाआ और जमीदारा के पास निर्विराध सत्ता थी। आज तक इन इलाका का उचित ढग से सर्वेक्षण नही हा सका है। ग्रामीण अर्थ यवस्था की समस्याआ का समझे बिना बधुआ मजदूर प्रणाली का अध्ययन नही किया जा सकता। 1948 मे मुख्य आयुक्त द्वारा वधुआ मजदूर प्रथा का गैर कानूनी घाषित किया गया आर सरकारी दावा यह है कि यह प्रथा अब है ही नही।

हमने दखा है कि कानून बेकार है। यह व्यवस्था वही फलफूल रही है जहा ग्रामीण अथव्यवस्था पिछडी हुई है। पश्चिम बगाल एक उदाहरण है। खासतौर स यह भूतपूर्व दशी रियासता म खूब पनपता रहा है। उडीसा मे गोतिया इसका उदाहरण हैं। हिमाचल प्रदेश म इसका फलना फूलना बहुत स्वाभाविक है। इस लिए जब सरकार जोर शोर के साथ दावे प्रचारित कर रही हो तो हम खामोश ही रहगे।

शिमला जिले म चोपल तहसील मे और सिरमौर जिले मे रेणुका और राजगढ इलाका म वेयू प्रणाली है। हरिजन लोग थोडी सी जमीन क लिए जिन्दगी भर अपन मालिक की गुलामी करते है।

मुट्ठी भर अनाज और थोडे मे कज के लिए राज्य म गुलामी की प्रथा बेहद

## जम्मू कश्मीर

बधुआ मजदूर प्रणाली का नगा रूप घिनौनपन के साथ प्रकट हो सकता है लेकिन यह परद के पीछे छिपा भी रह सकता है। मिसाल के तौर पर पश्चिम बगाल की माहिन्दर प्रणाली को भले ही सरकारी तौर पर बधुआ मजदूर प्रणाली न माना जाय पर वास्तव म यह बधुआ मजदूर प्रणाली ही है।

पश्चिम बगाल और करल राजनीतिक तौर पर जागरूक राज्य है। इनकी तुलना म जम्मू और कश्मीर पिछडा राज्य है। इसके अनेक गाँव राज्य के भीतरी इलाका म काफी दूर-दूर बसे है।

1961 62 म प्रकाशित एक रिपोट म बताया गया था कि पुछ जिले म हाना माझी और लझारी नाम से कई तरह की बधुआ मजदूर प्रणाली प्रचलित है। यहाँ भी इस प्रथा की पृष्ठभूमि वही ह जो अ य राज्या म है। धनी जमीदार कज़ देकर गरीब हरिजना और आदिवासिया को अपन जाल म फँसा लेते है। अपने मालिको के खेत म माझिया को मुफ्त म काम करना पडता है और कगाली म ही मर जाना पडता है। इसके बाद उम माझी का बेटा अपने बाप के स्थान पर गुलामी करता है। 1976 मे अखबारा म छपी खबरा म बताया गया था कि लद्दाख म बधुआ मज़दूर प्रणाली है और कश्मीर म कारीगरा के रूप म लडको को बधुआ बनाकर रखा गया है। अननाग जिले म भी यही स्थिति है। कठुआ जिले के हरिजन बधुआ जिन्दगी बिता रहे हैं। ध्यान देने की बात है कि महाराजा हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला —दोना ने बधुआ मजदूर प्रथा पर प्रतिबध लागू किया था।

सरकार न कश्मीर मे हस्तशिल्प का विकास करने की कोशिश की, लेकिन इसने बुद्धिजीविया क दिमाग मे कुछ शक ही पदा किये है। हस्तशिल्प एक बडा व्यापार है और अनेक धनी व्यापारी इस क्षेत्र म अपनी पूजी लगा चुके हैं। लेकिन हस्तशिल्प के सामान तैयार कौन करता है ?

इनमे स अधिकाश बच्चे है। इनकी सख्या 1,08 000 है और इनम से अधिकाश निजी मालिका के यहा नौकरी करते ह। हालाँकि 14 वप से कम आयु के लडके का नौकरी पर रखना गर कानूनी है पर अनेक लडके अपनी कामकाजी जि दगी 6 वप से ही शुरू कर देते हैं। जहा व काम करत हैं उन कारखानो मे रोशनी हवा या स्वास्थ्य सम्ब धी नियमा का काई पालन नही हाना। फलस्वरूप ये टी० बी० अथवा आख के राग से पीडित हो जाते हैं। उन्ह ऐसी स्थितिया म इसीलिए काम करना पडता है, क्यांकि वे बेहद गरीब हैं। मालिका द्वारा उनके साथ कसा सलूक किया जाता है इसकी मिसाल बिलाल अहमद के माम से दी जा सकती है।

बिलाल अहमद न श्रीनगर के अली माहम्मद वजा क कालीन बनान क कारखाने म 6 वष की उम्र से ही काम शुरू कर दिया था। उन दिना उसे प्रतिदिन 25 पसे मजदूरी मिलती थी। 1980 म उसकी उम्र दस वष थी और उसे चार रुपये प्रतिदिन मिलते थे। उसके पिता की मत्यु हो चुकी ह। मा भाइया और बहना की देखभाल उसे ही करनी पडती है।

4 मई, 1980 को उसकी एक उँगली कट गयी और वह अगले दिन काम पर न जा सका। 7 मई को जब वह काम पर गया ता वजा और उसके बेटे मुश्ताक न बिलाल अहमद को बुरी तरह पीटा। इसके बाद मुश्ताक और उसके भाइ माजिद न लोह की छड गरम करक उसके शरीर का सात जगह दागा और फिर एक कमरे म बद कर दिया। रात होने पर बिलाल खिडकी कूद कर भाग निकला और अपन घर जा पहुँचा। अब यह मामला अदालत म है।

बिलाल और उसकी तरह के तमाम लोग गुलाम ह, न कि मजदूर, हालाकि उन्ह जाना, माझी या हजारी नही कहा जा सकता। महत्वपूण बात है, मालिक का रवया। उसका मालिक समझता ह कि बिलाल उसका गुलाम है जो उसक कारखाने का उत्पादन बढान के लिए ही पैदा हुआ है।

यह बबर रवैया ही बधुआ मजदूर प्रणाली को बनाए हुए ह। दश के अय हिस्सा की तरह जम्मू कश्मीर भी इस पाशविक प्रथा को बरकरार रखे हुए ह।

कर्नाटक

बगलौर और शिमोगा जिला म से प्रत्येक म 20 हजार से अधिक बधुआ मजदूर ह।

बीजापुर, चित्रदुग, गुलबर्गा, कोलार मैसूर उत्तर कन्नड और रायचूर जिला म स प्रत्येक जिले म दस से बीस हजार बधुआ मजदूर हैं।

धारवाड, हसन और मांडया जिला म से प्रत्येक मे बधुआ मजदूरा की सख्या पाच से दस हजार है।

बेलारी और बेलगाम मे इनकी तादाद पाच सौ स पाच हजार है। कुग, चिकमगलूर, दक्षिण कन्नड और तुमकेन जिला म से प्रत्येक मे एक सा मे पाच सौ बधुआ मजदूर ह।

बधुआ मजदूरो के बारे म सरकारी रिपोट का जायजा ले।

1961 62

मसूर (अभी कर्नाटक नही कहा गया था) के कुछ इलाका मे जो बधुआ मजदूर है उन्ह जीथा कहते है। मुमकिन है कि अलग-अलग नामा स कुछ और बधुआ मजदूर हा। राज्य सरकार से कहा गया है कि वह जल्दी से जल्दी इस विषय पर

कारवाई करे।

1963 64

हसन जिले के सकलेसपुर और बेलूर इलाको म वधुआ मजदूर प्रथा कायम है। यह अनिवाय है और वश परम्परा के रूप म (बाप के बाद बेटे की बारी) प्रचलित है। इसका मूल कारण यहाँ की गरीबी है। 10 से 35 वष की आयु तक के लोग जीथा के रूप म है। उनके पिता और उनकी पत्नियाँ भी उन्ही के साथ गुलामी करती है। सकलापुर ताल्लुक म सूदखार महाजन 144 प्रतिशत ब्याज वसूलते है। अनेक मजदूर लोग 15 से 40 वष तक जीथा बने रहत है। बलूर ताल्लुक म जीथाओ को खाना और कपडे के अलावा वेतन के रूप म भी कुछ दिया जाता है। लेकिन वेतन के रूप म इन्ह इतना कम पसा मिलता है कि उससे वह ब्याज भी नहीं दे पाते। फलस्वरूप बाप और बेटे अनेक दशका तक गुलामी करत रहते हैं।

1965 66 म प्रकाशित रिपोट म पिछली दाना रिपोर्टों का ही विवरण सकलित था। इस रिपोट के परिशिष्ट म कहा गया था कि बधुआ मजदूर प्रथा का मुख्य कारण कज है। इस प्रथा को समाप्त करने का एक मात्र तरीका दिये गये कर्जों को रद्द करना और कजदारा की स्थिति म सुधार लाना है।

उस वष के दौरान गुलामी के एक और रूप का पता चला। कर्नाटक के अनक स्थाना म और खासतौर से बेल्लारी जिल मे गुलाम-वेश्याओ का एक वग पाया गया। हरिजना और बेदारा की औरता को दूसरी जाति के लोग बसावी (वेश्या) बना लेते है और इस धधे से वे काफी पैस कमाते है। 1963 मे सिरगुप्पा शहर की दस हजार की आबादी म 600 औरतें बसावी के रूप म सक्रिय थी। उसी वष म देखा गया कि कुदलागी शहर की दस हजार की आबादी म 1,500 बसावी औरतें थी। इस सारे धधे को एक धार्मिक पुट द दिया गया है। हरिजन और बेदार जाति की खूबसूरत लडकिया को मदिरा मे रख कर एक अनुष्ठान क जरिए मदिर के देवता के साथ ब्याह दिया जाता है। एक सान का तमगा—जिसे ताली कहा जाता है—इन औरता के गल म बाँध दिया जाता है जो इस बात का प्रतीक है कि उनकी मदिर के देवता से शादी हो गयी है। चूकि इन लडकिया को देवताओ के साथ ब्याह दिया गया है इसीलिए वे अब नश्वर प्राणी मनुष्य के साथ नही ब्याही जा सकती। इसके बाद इनसे वेश्यावृत्ति करवायी जाती है। ये गरीब लडकियाँ इतनी असहाय होती है कि अपने लिए कुछ कर भी नही सकती।

1965 66 म सरकार ने कुदलागी मे इन बसावी औरता के बच्चा के लिए एक स्कूल खाला।

1969 70 म प्रकाशित एक रिपोट क जरिए राज्य के दूर दराज के इलाका

म जीया प्रणाली का एक और रहस्योदघाटन हुआ। जाहिर था कि अन्य प्रगतिशील रिपोर्टों के जरिए और भी सूचनाएँ सामने आ रही थी। अनक गावा म प्राचीन जातिया क लोग गुलामी की जिन्दगी बिता रहे थे। व कर्नाटकी और द्रविड जाति क पुरातन नस्ल म से थे।

कर्नाटक के सवण हिन्दुआ के रवैय का अनुमान निम्नाकित घटनाओ से लगाया जा सकता ह। 27 मइ 1972 की एक रिपोट मे बताया गया था कि अगस्त 1974 म एक हरिजन की बारात दूल्हा आर दुल्हन के साथ उस सडक से गुजर रही थी जा सवण हिन्दुआ की बस्ती से होकर जाती है। हिन्दुआ को इस बात पर बहुत क्रोध आया और उन्होने दूल्हा दुल्हन सहित प्रत्यक बाराती का बुरी तरह पीटा। यह घटना कलिचुर गाव की है।

दरअसल गडबडी की शुरुआत उस वष मई क शुरू के दिना म ही हो गयी थी। हरिजना और आदिवासिया पर सगठित हमले किय गये थे। उनके मवशिया, भेडा और बकरिया का चुरा लिया गया। अगर उन्होने कोइ आयात करना चाहा तो बिजली की लाइन काट दी गयी।

मई 1975 मे इन अत्याचारा म और तेजी आयी। शादी-व्याह के लिए हरिजना द्वारा बनाय गय पडाला और शामियाना म आग लगा दी गयी। 21 मई का नौ हरिजना के मकान जला दिय गये, उनम रहन वाला का पीटा गया, उनके जेवरात और अनाज लूट गये और डडा तथा कुल्हाडा स प्रहार करके तीन लागा का बुरी तरह घायल कर दिया गया। एक नौजवान को काफी पीटन के बाद तालाब म फेंक दिया गया।

यह खबर 27 मइ 1975 की थी। उसी दिन केन्द्रीय खाद्यमत्री श्री जगजीवनराम ग्वालियर म 'अत्याचार निवारण सम्मलन' म भाषण दते हुए हरिजना से अहिंसा का पालन करने की अपील कर रहे थ। उन्होंने हरिजना से हर अत्याचार बरदाश्त करन की अपील की और उन्ह आश्वासन दिया कि आने वाल दिना म उनके वशजा को हिंसात्मक कार्यों का निशाना नही बनाया जायगा।

कर्नाटक की कुछ एतिहासिक विशिष्टताएँ हैं। कुछ दशक पूव, जब इसका नाम मैसूर था, एक फरमान जारी हुआ जिसम कहा गया था कि ब्राह्मणा का छोडकर सभी जातियाँ पिछडी जातियाँ है। इसके फलस्वरूप एक प्रभावकारी गैर ब्राह्मण समुदाय वक्कलिगा का काफी महत्व मिला। उनके और ब्राह्मणा के बीच सघष की स्थिति पदा हो गयी। 1956 म राज्य क पुनगठन के बाद लिंगायत जाति के लोगा की ताकत बढी और अब तिकोना सघष शुरू हुआ। यह नागन गौड आयाग के फैसले का नतीजा था। बाद मे सर्वोच्च न्यायालय न फसला दिया कि आयोग द्वारा पिछडी जाति का जा वर्गीकरण किया गया है वह सविधान क खिलाफ पाया है।

1963 म राज्य सरकार एक कदम और आग वढ गयी। इसने ऐलान किया कि 1 200 रुपय सालाना से कम आयवाले किसाना शिल्पिया, छोटे व्यापारिया, शारीरिक श्रम करन वाला और घरेलू नौकरा जसे लोगा का भी पिछडी जाति का माना जायेगा। इस प्रकार ब्राह्मण वक्कलिगा और लिगायत महत्वपूण हो गये। हरिजना और आदिवासिया की स्थिति पहले जसी बनी रही।

1972 म गठित हवानुर आयाग ने उस समय उल्लेखनीय काम किया जब उसन 3,55,000 व्यक्तिया और 200 गावा का सर्वेक्षण करन के बाद एक सामाजिक आर्थिक रिपोट तयार की।

इस रिपोट के निष्कष इस प्रकार थ

1) वग विभेद एक वास्तविकता है। सविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन ऐसे किसी उचित सिद्धात का उल्लेख नही किया गया कि किस आधार पर जाति और वग सम्ब धी विभेद का समाप्त किया जाना प्रभावित हुआ ह।

2) सामाजिक और आर्थिक मोर्चो पर सदण को प्रभुत्व तथा निम्न जातिया की उत्पीडित अवस्था ने साबित कर दिया कि जाति का मतलब वग है।

3) शिक्षा और सरकारी नौकरिया म हरिजना और आदिवासिया का 70 प्रतिशत प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। लकिन ऐसे किसी कदम म न्याय पालिका अडचन डाल दती। इसीलिए शुरू म केवल 18 प्रतिशत नौकरियाँ सुरक्षित की गयी तथा और भी 32 प्रतिशत को सुरक्षित करना जरूरी था। उल्लेखनीय है कि न्यायपालिका ने आयाग का पहले ही सूचित कर दिया था कि अनुसूचित जातिया और आदिवासिया क लिए 50 प्रतिशत से ज्यादा स्थान सुरक्षित करन का प्रयास नही किया जाना चाहिए।

मुख्य मत्री श्री देवराज अस न आयोग की रिपोट का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कानूनी पहलुओ का अध्ययन करन क बाद आयाग की सिफारिशो का लागू किया जायेगा। दुभाग्यवश नौकरिया म आरक्षण की योजना का समाचार सुनन के बाद सभी धर्मों और समुदाया क प्रभावशाली लाग अपन-अपन समुदाय का पिछडी जाति घोषित करन म व्यस्त हो गये।

आयाग न 200 जातिया को पिछडी जाति के रूप म चुना। इसम राज्य की आबादी का 45 प्रतिशत हिस्सा और हिन्दुओ का 51 प्रतिशत हिस्सा था। फिर भी कुछ जातियाँ आयोग के दायर से बाहर रह गया। इस रिपोट से सवण हिन्दुओ म वगगत घणा वढ गयी। इसमे हरिजना पर और भी ज्यादा अत्याचार होन लग।

सिफारिशो का लागू करन के लिए 18 मई 1977 का एक आदेश पारित हुआ। उस समय तक जनता पार्टी की सरकार थी और काग्रेस के शासन-काल म

आयी रिपोट की उपेक्षा कर दी गयी। जुलाई, 1978 म राज्य विधानसभा के एक काग्रेसी सदस्य भीमन्ना खडारे ने आयाग की रिपोट मे आग लगा दी। लिगायता तथा अन्य प्रभावशाली समुदाया के लोग रिपोट का विरोध करने लगे। फिर भी 18 अप्रैल, 1979 की एक रिपोट म उल्लेख किया गया कि भूमि सुधार, ऋण राहत, बधुआ मजदूर मुक्ति खेतिहर मजदूरा की मजदूरी मे वद्धि तथा अन्य प्रशमनीय कदम उठाये गये।

अप्रैल 1976 म कानून मत्री श्री हवानूर की पहल पर मसूर जिले मे 12 250 और समूचे राज्य म 24,500 मजदूर मुक्त किये गये। लेकिन उनकी आर्थिक समस्याएँ आसानी से हल होने वाली नही थी, क्योकि उनके भूतपूव मालिका ने उन्हें खेतिहर मजदूर रखने से इकार कर दिया था।

1979 की एक रिपोट म बताया गया था कि शिमोगा जिले मे 40,000 से अधिक जीथा हैं।

कनाटक की स्थिति अच्छी नही है। जीथा लोगा को कही आने जाने की आजादी नही है। 1966 म माडया जिले के मददुर गाव की एक औरत चिन्नम्मा ने अपनी बहन की शादी के लिए 300 रुपये का कज लिया था। इस कज के कारण वह जीथा बन गयी। वह 1976 मे एक बार अपनी बहन से मिलने गयी। जब वह लौट कर आयी तो उसके मालिक ने उसे गरम छड से दाग कर यह एहसास करा दिया कि जीथा का मतलब क्या होता है।

वे दाग हमेशा चिन्नम्मा को उसकी हैसियत का एहसास कराते रहेंगे।

करन

बधुआ मजदूर प्रथा के सदभ म हम दो बाता पर ध्यान दना होगा, जो हर राज्य पर लागू होती है। प्रथम,हमे देखना चाहिए कि इनमे मालिको का वग क्या है और दूसरे,गरीब भूमिहीन, आदिवासिया तथा हरिजनो के प्रति उनका रवया क्या है? असल म मालिक बनन की यह मानसिकता है जिसने बधुआ मजदूर को जन्म दिया है जिसमे किसी व्यक्ति की जमीन को जबरन अथवा छल-कपट के जरिए हडपने, ब्याज की बेहद भारी दर पर उसे कज दने की घटनाएँ शामिल हैं।

अग्रेजा के शासन काल से ही अनेक राज्या न बधुआ मजदूर प्रथा समाप्त करने के कानून पारित किये। इस तरह के कानूना का कोई फायदा नही, क्योकि इन्हे कभी लागू नही किया गया। और, इसे लागू करने का भी कोई लाभ नही था। जरूरत थी जमीन के स्वामित्व म तबदीली लाने की। अगर जमीन थाडे लोगो के हाथ मे बनी रहती है तो वे लाग जिनके पास कम जमीन है अथवा बिलकुल जमीन नही है जमीन के उन मुट्ठी भर मालिका के दमन और उत्पीडन

का शिकार हाते रहग। यह उत्पीडन बधुआ मजदूर प्रथा का ज म दगा। यदि यह बुनियादी ढाचा ज्या-का-त्या बना रहता है ता काई भी राज्य सरकार,भल ही वह किसी पार्टी की ही क्या न हा किसी तरह का उल्लेखनीय परिवतन नही ला सकती। पश्चिम बगाल म यह बात देखी गयी है।

केरल म पिछले 20 वर्षों म वाम मोर्चे न सरकार म हिस्सा लिया है। सर कारी प्रचारा और विज्ञापना क जरिए इसन कई बार अपना ही अभिन दन किया है। वास्तविकता क्या है ? 1979 म किसी समाचारपत्र म प्रकाशित एक लेख म इसकी दूसरी ही तसवीर दखन को मिली। सयुक्त मोर्चा सरकार की प्रगति शीलता का ढिढारा पीटन वाल प्रचारा क कारण समाज के कमजार वग की दयनीय अवस्था क बारे म बहुत कम जानकारी मिल सकी। सच्चाई यह है कि पिछल 20वर्षों म केरल म गाढे,हलक और विविध तरह क लाल रगा वाली वाम मोचा सरकार क बावजूद हरिजना का बहुमत आज भी गरीबी की रेखा म नीचे रहता है। एक लाख लोगा के लिए भूमि-बदाबस्त और आवास-याजना की बहु-चर्चित योजनाआ से शामका को महज प्रचार ही मिला है। भूमिहीन गरीब आज भी पहले की ही तरह जि दगी गुजार रहे है।

अलेप्पी क पास अवालुक्कु नु नामक एक हरिजन बस्ती है जिसम लगभग 160 व्यक्ति रहत है। प्रगतिशील केरल राज्य म यह बस्ती अ य जातिया की बस्ती स दूर बनायी गयी है। यहाँ हरिजना के साथ अकेले और सामूहिक बलात्कार की घटनाएँ आम बात हैं। अपने सामाजिक रुतबे, पस और पुलिस की मदद के बल पर अपराधी बेदाग निकल जाते है। हरिजन पुरुष जो जगल मे पडे रहत है शिकायत की हिम्मत नही करते। इन शिकायता स उ ह याय नही मिलेगा—सच्चाई तो यह है कि उल्टे अपराधी लाग इनसे बदला लने लगेंगे।

कोचुप नु नामक एक हरिजन लडकी का उसके पिता की आख के सामा 1979 म अपहरण किया गया और मनालाकु नु ले जाया गया जहा बदमाशा के एक गिरोह द्वारा उसके साथ सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया। इसके फल-स्वरूप उसकी शादी की बातचीत टट गयी। कुछ दिनो बाद पद्मिनी नामक लडकी का बचा लिया गया जब उसने और उसकी माँ ने गिरोह का मिलकर प्रतिरोध किया। 27 माच 1979 को भक्तन की झोपडी इसलिए जला दी गयी, क्योंकि उसने अपनी भतीजी को बदमाशा को सौंपने से इकार किया था। चौदह वर्षीय सुगदम्मा को भी भयानक अनुभव झेलना पडा।

कुछ सामाजिक कायकर्ताओ और पत्रकारा के कारण यह घटना प्रकाश म आयी। इस पर भी अलेप्पी के जिला कलक्टर न तथ्या का मानने से इकार कर दिया। बाद म वह एक पुलिस दल लेकर घटनास्थल पर पहुँचे।

पुलिस द्वारा धमकाय जान के बाद भी हरिजना ने काई बात नही बतायी।

कलक्टर ने दिखावे के लिए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और इस मामले से अपना पल्ला झाड लिया।

केन्द्र मे जिन दिनो जनता पार्टी की सरकार थी कम्युनिस्ट ससद सदस्य गोविदन नायर कई दिनो के विज्ञापन के वाद 1978 मे केरल से नई दिल्ली गय और वहा उन्होन दो घटे का अनशन किया। मार्च-अप्रल 1979 म अवालुकुनु के हरिजनो पर हो रहे अत्याचारो के खिलाफ किसी दूसरे कम्युनिस्ट नेता ने इतना भी शारीरिक कष्ट उठाने की कोशिश नही की। उन दिना केरल के मुख्य मत्री भी कम्युनिस्ट थे। इसके अलावा केरल सरकार यह दावा भी करती थी कि उसके शासन-काल म हरिजन बहुत खुश है।

इस तरह की घटनाओ से पता चलता है कि सरकारी प्रचार और असली स्थिति के बीच कितना फर्क है।

कन्नानूर जिले मे उत्तरी वायनाड म और कोजीकाड जिले म दक्षिण वायनाड म तथा मालापुरम जिले म बधुआ मजदूर प्रथा का काफी चलन है। वायनाड मे पनियानो और अदियानो को जमीदारा द्वारा बधुआ मजदूर बनाकर रखा जाता है। ये दोना जनजातियाँ पहाडी क्षेत्र मे रहतीहै। जमीदारा को गौदन कहा जाता है। ये लोग कर्नाटक मे आये थे और जगली क्षेत्रो पर कब्जा करने के बाद इन्होंने पनियानो म से बहुता को मजदूर बनाया। एक समय ऐसा भी था कि जब पनियानो को कुछ रुपये लेकर खरीदा-बेचा जाता था।

आज भी पनियान और अदियान अद्धगुलामी की स्थिति म है। वल्लीयूर कावू के समारोह के दौरान गौंदन लाग प्रत्येक परिवार का 25 से 30 रुपय तक देते है। जो परिवार इस राशि का स्वीकार कर लेता है उस अपने सभी सदस्यो के साथ उस जमीदार के खेत पर बिना कोई मजदूरी लिय एक साल तक काम करना पडता है। इस कर्ज को वल्लीयूर कावू पानम और निलपूमानम कहा जाता है। जो अपना श्रम नही दे सकते उन्ह ब्याज सहित पैसे वापस करने पडते है। बधुआ मजदूर प्रथा की समाप्ति के लिए बधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के पारित किये जाने के बाद यह नियम खत्म हो गया।

लेकिन 1976 मे प्रकाशित अखबारी खबरो से पता चलता है कि इस प्रथा का फिर भी काफी प्रचलन था। दो दशका तक एक के बाद एक वाम मोर्चा की सरकारें बनी, लेकिन इस दिशा म कोई आवश्यक कदम उठान म वे हमेशा नाकामयाब रही। दरअसल इस बुराई को कभी महत्त्व नहीं दिया गया। केरल और पश्चिम बगाल के उदाहरणो से यह स्पष्ट है कि केवल वाम मोर्चा सरकारो के सत्ता म आने से ही जमीदारो का वर्ग चरित्र नहीं बदल जाता। उन्ह पता है कि इन सरकारो से उन पर कोई प्रतिकूल असर नही पडने वाला है।

## लक्षदीव

1968 69 की एक सरकारी रिपोट म बताया गया है कि ऋण स राधन एव ऋण अनुदान अधिनियम, 1964 म लक्षदीव मिनीकाय और अमनदीव द्वीपा के लिए पारित हुआ। 1 अक्तूबर, 1968 से इसे लागू किया गया। ऋण का परिमाण कम करने तथा कज का भुगतान करन के लिए सरकारी तौर पर पसे उधार देन क बारे म एक ट्रिब्युनल का गठन किया गया।

यहाँ पर नदप्पू प्रणाली का प्रचलन था। इस प्रणाली के जरिए रैयता को जमीदारो के खत पर बिना मजदूरी लिये काम करना पडता था। 1965 म पारित एक कानून द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया और 1968 म इस कानून को लागू किया गया।

1971-72 और 1972 73 की रिपोर्टों से पता चलता है कि केन्द्र शासित लक्षदीव म यह प्रथा अब खत्म हो गयी है।

## मध्य प्रदेश

शहडोल, सतना और बस्तर जिला म बधुआ मजदूर प्रणाली का काफी प्रचलन है। इनम से प्रत्येक जिले म इनकी सख्या चालीस हजार से अधिक है। बिलासपुर सरगुजा विदिशा और रायगढ जिला मे से प्रत्येक म बीस हजार से भी अधिक बधुआ मजदूर है। बालाघाट छतरपुर गगुना, सागर, रीवा, गुना और मुरना जिला म स प्रत्येक मे इनकी सख्या दस स बीस हजार है। धार इदौर, रायसन रतलाम सिहोर शाजापुर, खरगोन, उज्जन, ग्वालियर और शिवपुरी म से प्रत्येक जिले मे बधुआ मजदूरा की सख्या पाँच से दस हजार है।

बेतुल, पूर्वी निमार जबलपुर, रायपुर छिन्दवाडा, टीकमगढ, मदसौर और देवदास जिला मे से प्रत्येक मे पाँच सौ से पाँच हजार तक बधुआ मजदूर है।

1960 61 की एक सरकारी रिपोट से पता चलता है कि आजादी से भी पहले से विंध्य प्रदेश और ग्वालियर म महिदारी नामक बधुआ मजदूर प्रणाली प्रचलित रही है। अगर महिदार भागने की कोशिश करता था तो उसे पकड कर उसके मालिक तक पहुँचा दिया जाता था। यह प्रणाली आजादी के बाद समाप्त कर दी गयी, लेकिन *शिवपुरी गुना और दरिया मे शहरिया जाति के लोगा के* बीच यह प्रणाली अभी भी प्रचलित है।

महिदार खुद लिये हुए कज का शिकार बनता है और उस मामूली-सी राशि पर किसी तरह काम चलाते हुए मजदूरी करनी पडती है। वह दूसरा काई काम नही कर सकता, भले ही किसी अन्य काम मे उसे ज्यादा पसे क्या न मिलें।

हरिजन लोग कम उम्र म ही अपने बच्चा की शादी कर देते है। शादी के

लिए उन्ह महाजन से पसे कज के रूप मे लेने पडते है। इन मासूम लडको को जिनके कारण कज लना पडा है, महिदार बना दिया जाता है और मालिको के खेत पर भेज दिया जाता है।

1961 62 की एक रिपाट म बताया गया है कि गोड जनजाति के लागा को बिना कुछ दिये काम करना पडता है—किन्ही किन्ही मामलो म उन्ह काम के बदले खाने को मिल जाना है।

1962 63 की रिपोट म महिदारी प्रथा के बारे म अपेक्षाकृत विस्तत जानकारी दी गयी है। एक महिदार का तब तक काम करना पडता है जब तक उसका कज चुकता न हो जाये। उसे प्रतिदिन तीन किलोग्राम अनाज मिलता है और इसके अलावा रोज की खुराक तथा साल मे एक जोडा कपडा भी प्राप्त होना है। यह प्रणाली शिवपुरी गुना और दतिया जिला के शहरी समुदाय के बीच ज्यादा प्रचलित थी। इसी तरह की प्रथा विंध्य प्रदेश और महाकोशल म भी रही है। शहडोल जिले म इस प्रथा के कारण काल जाति के लोगो तथा अन्य गरीब हरिजना को बहुत यातनापूण जीवन बिताना पडता है। यहा इस प्रथा को हरवाही हाली कहत है। हरवाहा को बहुत कम मजदरी मिलती है। अस्सी रुपय या सौ रुपय का कज चुकता करने के लिए उन्ह पद्रह से अठारह वष तक मजदूरी करनी पडती है। काम करन म इकार करन पर उन्ह पीटा जाना है और मूल राशि का दागुनी रकम उनसे वसूली जाती है।

बिलासपुर जिल म इस पथा को कमिया कहत हैं। एक कमिया को होली के पाँचवें दिन से काम पर लगाया जाता है। यह अनुबध एक साल के लिए होता है। उसे चालीस स साठ रुपये तक का भुगतान किया जाना है। उसे प्रतिदिन ढाई किलोग्राम धान भी मिलता है। नकद राशि और धान के मूल्य को यदि मिलाकर देखें तो उन्ह साल भर म एक सौ चालीस रुपय से एक सौ पचास तक की राशि मिलती है। इस पैसे से कोई भी कमिया अपने परिवार का खच नही चला सकता। वह अगली होली तक काम करता रहता है। साल भर म उसे केवल चार छुट्टियाँ मिलती हैं। अनेक कमिया भयना और गाड जनजातिया के पाये जाते हैं।

1965 66 मे एक रिपोट सामने आयी जिसम देश के विभिन्न भागा म और खासतौर स मध्यप्रदेश तथा मद्रास म प्रचलित एक अजीबोगरीब प्रथा का उल्लेख किया गया था। इसके अनुसार किसी भी सवण हिन्दू की मत्यु होने पर अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति का चिता तयार करने का काम दिया जाता था। जब तक लाश जल नही जाती थी उसे लगातार ढोल बजाते रहना पडता था। इस काम के बदल उसे कोई मजदूरी नही मिलती थी।

1971-72 और 1972 73 म प्रकाशित रिपोर्टों म उल्लेख किया गया था

कि रतलाम, मुरैना झबुआ और मदसौर जिलो मे एक सीमा तक बधुआ मजदूर प्रणाली का प्रचलन है, लेकिन राज्य के अन्य हिस्सो म यह प्रणाली खत्म हो चुकी है।

हरिजनो और आदिवासियो के प्रति मध्य प्रदेश के सवर्ण हिन्दुआ का क्या रवैया है?

10 नवम्बर 1975 के समाचार पत्र मे प्रकाशित एक खबर से इन क्षेत्रा की बडी दुखद तसवीर सामने आती है। छत्तीसगढ जिले के ससवल गाव के एक धनी जमीदार शिवराम कुवर न पुत्र की प्राप्ति के लिए अजहित मधावन नामक एक आदिवासी लडके को किसी देवी की बलि चढा दिया। इस जिले की विचित्रता यह है कि सवर्ण हिन्दुआ मे भी ऐसे अधविश्वासों का प्रचलन एक आम बात है। अपनी गुप्त इच्छाओ की प्राप्ति के लिए आदिवासी लडका के बलि चढाये जाने की अनक घटनाएँ यहाँ सुनने का मिलती हैं।

मुख्य मत्री के अपने जिले देवास म 26 अगस्त 1977 को अनेक हरिजना के मकान जला दिये गये। 25 फरवरी 1978 की एक रिपोर्ट म बताया गया कि 1977 मे मार्च और नवम्बर माह के बीच राज्य म 105 हरिजना की हत्या की गयी। अगस्त 1977 म एक एसा मामला भी सामने आया जिसम सवर्ण हिन्दुआ ने हरिजनो के खेतो मे अपन मवशी छोड दिये और खडी फसल को बरबाद कर दिया। हरिजनो के विरोध करने पर बडी बेरहमी से उन्ह मार डाला गया।

5 अप्रैल 1978 की एक रिपोर्ट मे बताया गया है कि 1978 म मध्य प्रदेश म 966 हरिजन और आदिवासी मारे गये। इसमे सवर्ण हिन्दुआ को इसके लिए दायी ठहराया गया था। लगभग एक हजार हरिजन और आदिवासी औरता को बलात्कार का शिकार होना पडा। कोई भी जिला इस तरह के अपराधा से मुक्त नही था। झबुआ जिले म 189 और बस्तर जिले म 174 लोग मारे गये। इससे यह निष्कर्ष निकालना ठीक नही होगा कि 1977 से पूर्व इस राज्य म हरिजना और आदिवासिया की हत्याएँ नही हुई।

इस तरह की घटनाएँ ही बधुआ मजदूर प्रणाली की पृष्ठभूमि का निर्माण करती हैं। 1978 म सतना जिले के कुवरारोठू गाँव म कादू नामक एक कोल युवक रहता था जिसकी उम्र 32 वर्ष थी (उत्तर-पूर्व बिहार म कोल नामक एक जनजाति है। मध्य प्रदेश म कोल जाति के लोग अनुसूचित जाति मान जाते हैं)। सतना के इस क्षेत्र म बधुआ मजदूरा को लगुआ कहा जाता है।

कादू के चाचा भी लगुआ थे। जिस समय कादू सात साल का था, एक शुभ दिन म (नय साल के अवसर पर अथवा बडे त्योहार पर्व के समय) उसे उपहार के रूप म कुछ नय कपडे और एक जोडी चप्पल प्राप्त हुए। उसके चाचा उसे अपनी पीठ पर बठा कर शालिग्राम कुरमी नामक जमीदार के घर ले गय। कादू इतना

बक्ना था। वह जमीदार के सामने बैठा था और खाने के लिए उसे कुछ सामान दिया गया था। सचमुच कादू के लिए यह बडा शानदार दिन था। फिर उसने देखा कि जमीदार शातिदास ने उसके चाचा का 150 रुपये दिये।

इसके बाद से ही कोदू लगुआ बन गया। उसके चाचा उसे लेकर एक दूसरे मकान पर गये और वहाँ उन्होने एक व्यक्ति को सौ रुपये दिये। एक पाँच वर्ष की लडकी के साथ कादू की शादी हुई। उसी दिन कोदू पति और लगुआ दोनो बन गया। उसके जसे अन्य लोगो की जिन्दगी भी उस दिन बडे नाटकीय ढग से बदल चुकी थी।

उस कच्ची उम्र म कादू का लगुआ शब्द का अर्थ नही मालूम था। अब 32 वर्ष की उम्र म वह इस शब्द का भली भाति समझ चुका है। अपना असली नाम वह भूल गया है और लगुआ के रूप म ही उसकी पहचान बच रही है। 25 वर्ष की कडी मेहनत से भी एक सौ पचास रुपये का कर्ज चुकता नही कर पाया है। एक वक्त का खाना खाकर वह सवेर स रात तक काम करता है। जमीदार ने कर्ज के बदले उसकी पत्नी का अपना गुलाम बना लिया है। कादू और उसकी पत्नी को मजदूरी के रूप म कुछ भी नही मिलता। उनसे बताया गया है कि कर्ज उतारने के लिए बहुत पैसा की जरूरत है। दोनो को पता है कि यह कर्ज कभी नही उतरेगा। उन्ह गाँव छोडने की भी इजाजत नही है।

(2) रतलाम कस्बे से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दलानपुर गाव म बिजली है। राजपूत तथा अन्य सवर्ण हिन्दू जमीदार चमारो को हाली बनाकर रखते थे। बिजली का पप लगने से खेती बाडी का काम और तेजी से होने लगा। इसके फलस्वरूप कुछ समय के लिए हालियो की कमी पड गयी और जमीदार लोग 1,500 से 2,000 रुपय तक कर्ज देकर उन्ह बधुआ बनाने की कोशिश करने लगे।

हाली जाति का एक नौजवान थोडा शिक्षित था। वह कर्ज के भुगतान का हिसाब रखने लगा। इससे जमीदारो के हाथ-पाव फूलने लगे। उन्ह यह भय सताने लगा कि चमार लोग भी अब अपने अधिकारो के बारे म सजग होने लगे। उन्होने फसला किया कि दूसरी जगह के मजदूरो को लाकर काम दिया जाय और इन चमारो का सबक सिखाया जाये। उनके चारो ओर पहाडो और जगलो म भील जाति के लोग रहते थे।

जमीदारो न भीलो के पास अपने दलाल भेजे जिन्होने इन भूखे और सकोची आदिवासियो को कर्ज, नौकरी और मकान दिलाने का वादा किया। उनके आने से मजदूरो की सप्लाई मे वृद्धि हो गयी और जमीदारो ने इस स्थिति का लाभ उठाया। इन नये मजदूरो के रहने के लिए तमाम छोटी छोटी झोपडिया खडी हो गयी।

पजा भील को कौन मुक्त करायेगा ? 1976 म उसकी उम्र 22 वर्ष थी।

उसके पिता जीवा भील न मोती जाट से 300 रुपये का कज लिया था और हाली बन गया था। जब उसका लडका बडा हुआ तो उसन रूपसिंह नामक राजपूत से 600 रुपये कज लिय, मोती जाट से लिया कज चुकता किया और अपन बेटे को रूपसिंह के यहा हाली बना दिया।

खुद पजा न 6 वप के दौरान रूपसिंह स 700 रुपया और 460 किलाग्राम मक्का लिया था। इस प्रकार रूपसिंह ने पिता और पुत्र को 1,300 रुपय का कज दिया था। मक्का की कीमत 460 रुपय लगायी गयी थी। इस प्रकार कज की राशि 1,760 रुपय हो गयी। इस पर 24 प्रतिशत ब्याज लगा। इस प्रकार मूल राशि और ब्याज मिलाकर कुल 2,062 08 रुपय का कज हुआ। यह माना गया था कि रूपसिंह पहले दो वप तक पजा को 40 रुपय प्रतिमाह, तीसर वप 50 रुपये प्रतिमाह और चाथे वप से 65 रुपये प्रतिमाह वेतन के रूप म देगा। इस प्रकार छह वप मे पजा को 3 900 रुपये मिलते। उसे 2,062 08 रुपये वापस करन थे। पजा का कभी अपनी तनख्वाह नही मिली। यह मान लिया गया कि तनख्वाह का पसा कज म मुजरा हाता जा रहा है। खाता के मुताबिक पजा का 1,837 रुपये 92 पसे और मिलन चाहिए थे, लेकिन जमीदार न बताया कि उसके ऊपर अभी भी 1 000 रुपय का कज चढा हुआ है।

इसके अलावा पजा को प्रतिदिन 4 रुपय 50 पसे की सरकारी दर स मजदूरी मिलनी चाहिए थी। छह वप म उसे 9 855 रुपये मिलने चाहिए थ। कज की राशि को काटन के बाद उस 7,792 रुपये 92 पसे मिलना चाहिए था।

लेकिन न तो उसे पस मिलेंगे और न वह आजादी ही पायेगा।

रूपसिंह के अनुसार उसके ऊपर अभी भी एक हजार रुपये कज के रूप म हैं।

वह भील चार वप से फूलसिंह का हाली है। उसने नकद और मक्का के रूप म 1 800 रुपये की राशि के बराबर कज लिया था। मक्का की कीमत प्रति क्विटल 100 रुपये लगायी गयी थी। उसन 600 रुपये नकद लिये और 12 क्विटल मक्का लिया था। उम प्रतिमाह 60 रुपया वेतन मिलना था जिसे कज के बदले मुजरा होना था। चार वप म कज का 2 880 रुपया चुकता हुआ, लेकिन कज अभी बना ही रहा। भुगतान न की गयी राशि के रूप म 100 रुपया अभी भी पडा दिखलाया गया। निरक्षर वहरु न अपन मालिक से कभी इस सिलसिले म कुछ नही पूछा। हर साल वह एक सादे कागज पर अगूठे का निशान लगा देता है। वहरु का कोई तनख्वाह नही मिलती। उसकी पत्नी दनिक मजदूर के रूप म काम करती है और उसे प्रतिदिन पौन दो रुपये स ढाई रुपये तक मिलते हैं। इसी कमाई पर चार सदस्या के परिवार का जिन्दगी गुजारनी पडती है। एक खतिहर मजदूर 9 घटे तक काम करता है लेकिन वहरु को 16 घटे काम करना पडता है। एक खतिहर मजदूर के रूप म उसे ओवरटाइम के लिए 4 50 रुपये या 5 25

रुपये मिलना चाहिए था। उसकी दनिक आय 9 75 रुपये होती। आज भी, कानून विभाग के विद्वानो के अनुसार हालियो की स्थिति काफी ठीक है।

जमीदार लोग हालिया मे फूट डालने के लिए कागज पर यह दिखाते हैं कि उनके कुछ साथिया को ज्यादा मजदूरी मिलती है और इस प्रकार तथाकथित कम मजदूरी पाने वाले दूसरे से ईर्ष्या करने लगता है। सच्चाई यह है कि किसी को ज्यादा पैसे नही मिलते। कर्ज दिनादिन बढता चला जाता है।

चूकि भीलो को मामूली पैसे पर हाली रखा जा सकता है, चमार हालियो का बाजार खत्म हो गया।

बहरू को बताया गया कि केन्द्र सरकार ने हाली प्रथा समाप्त कर दी है और राज्य सरकार ने सारे ऋण रद्द कर दिये। अब वह अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर सकता है। उसने बडे शात भाव से जवाब दिया कि उसकी सरकार तो फूलसिह है और उन्होने एसी कोई घोषणा नही की है।

पजा और उसके जैसे लोग अपने मालिक के अलावा और किसी की सत्ता को नही जानते।

9 फरवरी 1979 के समाचार-पत्र म प्रकाशित एक रिपोट म बताया गया था कि बधुआ मजदूर प्रथा समाप्त किये जाने से सबधित कानून को मध्य प्रदश म उचित ढग से लागू नही किया गया है। इस प्रथा को बनाये रखने के लिए राज्य सरकार जिम्मदार है। अनुसूचित जातिया और जनजातिया के कमिशनर न रिपोट दी थी कि बस्तर रायगढ और जगली क्षेत्र के गावा म आदिवासिया का बिना मजदूरी दिये वन विभाग के लिए वष म 140 दिन काम म लगाया जाता है।

बगार नामक इस प्रथा को इसलिए लागू किया गया था, क्योकि सरदार ने इन लोगा को जगल की जमीन दी थी।

## महाराष्ट्र

महाराष्ट्र म अहमदनगर सचमुच बधुआ मजदूर प्रदेश है। यहा 40,000 से अधिक बधुआ मजदूर है। जलगाव, धुलिया और नासिक म इनकी सख्या उल्लेखनीय रूप मे ज्यादा है। ये तथ्य 23 फरवरी 1979 के समाचार पत्र म प्रकाशित हुए थे।

1961-62 की एक सरकारी रिपोट म यह रहस्योदघाटन किया गया था कि थाने और नासिक मे घोरकोली कतकरी, वर्ली और भील आदिवासी वट अथवा बेगार नामक बधुआ मजदूर प्रणाली के शिकार है। व मुख्यतया खेतिहर मजदूर थे जिन्हे कर्ज लेने के कारण बधुआ मजदूर बनने के लिए मजबूर किया गया था। प्रशासन के आदेशो के बावजूद राज्य सरकार द्वारा इस प्रथा को

समाप्त करन के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया। दरअमन इन आदेशा का प्रसारित नहीं किया गया और आदिवासिया म मबधित विभागा का अथवा आदिवासिया को इनकी कोई जानकारी नहीं थी।

1964 65 की एक रिपोट न थाना म प्रचलित व्यापक बधुआ मजदूर प्रथा का विस्तत विवरण दिया। 22 रुपय म लकर 300 रुपय तक क ऋण के कारण अनक आदिवासी 3 वप स 14 वप तक क लिए बधुआ मजदूर बन चुक थ।

1971-72 और 1972 73 की सरकारी रिपोर्टों म दावा किया गया था कि महाराष्ट्र म बधुआ मजदूर प्रथा के होन का कोई प्रमाण नहीं है। इस विषय म कोई कानून नहीं था पर श्रम कानूना के मुताबिक यह प्रथा गर कानूनी है।

ध्यान दन की बात है कि राज्य सरकार न इस प्रथा क होन की बात स्वीकार नहीं की। लकिन इसन हरिजना और आदिवासिया की सामाजिक आर्थिक स्थितिया म अपनी जड जमा ली थी। जो लोग गरीबी की रखा के नीचे रहते थे, व कज लेन के लिए मजबूर थे।

इस तरह क लोग अपढ थ और सवण हिन्दुआ स आतकित थ। उन्ह गुलाम बनाना आसान था। राज्य सरकार के दाव पर विचार किया जा सकता था बशर्ते हरिजन और आदिवासी सम्मान के साथ जीवन बिता रहे होत।

लेकिन उन्ह पेट भरन शादी ब्याह करन तथा अपन परिवार के मृत सदस्यो के अतिम सस्कार क लिए कज क लिए भागत रहना पडता था। यदि उनके दावा म दम था ता दलित आदालन क्या शुरू हुआ?

1973 म डा० गोरे और शिरभान लिमये न अनुसूचित जातिया और आदिवासिया के बीच एक सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण मे पता चला कि अनुसूचित जाति के 90 प्रतिशत लोग गाँव की चौहद्दी से बाहर रहत हैं 50 प्रतिशत को कुए स पानी लेने की इजाजत है और 25 प्रतिशत को रेस्तराँआ म खाने नहीं दिया जाता। जिन्ह रेस्तराँआ म खान की इजाजत मिलती भी थी उन्ह अलग बैठकर अपने लिए निर्धारित अलग प्लेटा मे खाना खाना पडता था। इनम से अधिकाश भूमिहीन और गरीब थे।

15 माच, 1975 की एक खबर म बताया गया था कि किस तरह थाने जिले के आदेगाँव क एक दूकानदार रतिलाल न दो पुलिस कास्टेबला की मदद से एक आदिवासी युवती मगलीबाई के घर पर धावा बोला था। उसने उस युवती स कहा कि वह दोना कास्टेबला के साथ सहवास करे। युवती के इकार करन पर उसकी झापडी जला दी गयी। 1974 से 1975 के बीच अखबारा का देखें ता हरिजना और आदिवासियो पर हाने वाले इस तरह के अत्याचार की अनेक घटनाएँ मिलती है।

1976 मे भूमि सेना न थाने जिला के पालघर ताल्लुक म 100 बधुआ

मजदूरा से बातचीत की। इस सर्वेक्षण स अनक तथ्य प्रकाश म आय। एक सच्चाइ का पता चला। भेंटकर्ता ने, जो खुद भी आदिवासी था, देखा कि आदिवासी बधुआ मजदूर साहूकारो और महाजना स इतन आतकित ह कि उनके खिलाफ व जबान भी नही खोलते। वे सवण हिदुओ स डरत थे। यदि वे इतन आतकित थे कि अपनी बिरादरी क आदमी से भी कुछ नही कह पाते थे ता किस तरह वे दूसरा से कुछ कहते? इसलिए यह मानना गलत होगा कि चूकि व खामोश है, इसलिए वहा बधुआ मजदूर प्रथा है ही नही।

राज्य सरकार ने इस मामले का ज्यादा महत्व नही दिया। 1977 के आस पास यह पाया गया कि बधुआ मजदूरो की सख्या, खासतौर से कोलाबा, नासिक, धुलिया और चद्रपुर जैसे आदिवासी बहुल इलाका म बहुत ज्यादा है। कज लेन के मामले अनक ह। कभी कभी सरकारी दबाव के कारण कजदार व्यक्ति को सरकारी कज चुकता करन के लिए पसे लेन पडत थे और इस प्रकार वह बधुआ मजदूर बन जाता था। रत्नागिरि म अनेक दलित और कुबी बधुआ मजदूर थे।

पालघर तालुक के कुछ बधुआ मजदूरा के उदाहरण से यह तसवीर कुछ साफ उभर सकेगी।

(1) गावाद गाव मे जेठया राघो वनगा अपनी पत्नी के साथ पिछले 13 वष से महाजन का बधुआ मजदूर था। उस यह नही पता था कि—

(क) उसने कितना कज लिया था?

(ख) ब्याज की दर क्या ह?

(ग) कितना भुगतान हो चुका है और कितना बाकी है? उसे केवल इतना पता है कि अपनी शादी के समय उसन कौन-कौन से सामान लिय थे। सामानो की सूची इस प्रकार है—

| सामान | मात्रा | 1965 मे मूल्य | 1977 मे मूल्य |
|---|---|---|---|
| धान | 10 मन | 150 रुपये | 500 रुपय |
| धोती | एक | 10 रुपये | 20 रुपय |
| कुर्ता | एक | 7 रुपये | 15 रुपये |
| साडी | तीन | 45 रुपय | 75 रुपये |
| अय कपडे | तीन | 9 रुपये | 15 रुपय |
| नकद | — | 12 रुपये | 12 रुपय |
| योग | | 233 रुपय | 637 रुपय |

इस कज ने दो लोगो को गुलाम बना लिया।

(2) 1969 म किरात गाव के किशन गनपत कालेकर न महाजन साडी, तीन कपडे, एक कमीज और एक धोती ली थी। इन चीजो की

90 रुपये स अधिक नही थी। वह और उसकी पत्नी आठ वष तक बधुआ बन रहे। उसे यह नही पता है कि कब तक कज चुकता हागा और कब तक व गुलाम बन रहग। उन्हे काई मजदूरी नही मिलती। उन्हे महज रोज का खाना, चाय आर बीडी मिलती है। साल म उन्हे दा लँगोटी, दा जाघिय, दा ब्लाउज और दा साडी भी मिलती हैं।

(3) गावद्या गाव म काशीनाथ विटठल तुम्बादा और उसकी पत्नी 197 रुपय के ऋण के कारण 12 वष से बधुआ बन हुए है।

अमृत लदाका बउक न 400 रुपय कज लिय थे आर 13 वष से बधुआ है। रघु पाण्डुपवार 500 रुपये के ऋण के कारण 16 वष से मालिक की गुलामी कर रहा है। केवगाव म वल्वा चैत्य माइर और उसकी पत्नी न 300 रुपये के एवज म एक करारनाम पर अँगूठे का निशान लगाकर 21 साल तक गुलामी करने की पास लगा ली। 9 साल गुजर चुके हैं। अभी 12 वष और गुलाम रहना है। विटाल जानु ने 300 रुपय का कज लिया था और अपनी पत्नी के साथ 21 वष तक गुलामी करन की रजामदी दे दी। उसे यह भी पता नही है कि कितन वष बीत चुके। लौधा लख्या पाडकर न 800 रुपये अपनी शादी क समय लिये थ। वह अपनी पत्नी के साथ बधुआ मजदूर के रूप म आठ साल बिता चुका है। इस बात पर सहमति हुई थी कि उन्हे प्रतिदिन 450 ग्राम चावल और प्रतिवष 20 रुपये दिये जायँग। रुपय को कज मे चुकता किया जायेगा। इस प्रकार व चालीस साल से गुलाम है। बेचारे लौधा न श्रीमती गाधी के बीस-सूत्री कायक्रम पर यकीन कर लिया और राहत के लिए अपील की, लेकिन उसकी अपील पर काई जवाब नही आया।

(4) विश्रामपुर गाँव म रमेश बाबू माइर न 111 रुपय 75 पसे कज लिये थे। इसके बदले म उसे और उसकी बहन का बधुआ मजदूर बनना पडा। 9 महीन की गुलामी के बाद एक दिन किसी त्यौहार के अवसर पर वह काम पर नही जा सका। इससे नाराज होकर महाजन न उसे और उसक बाप को बहुत पीटा। रमेश डर गया और भाग खडा हुआ। उसक मां बाप न महाजन का 300 रुपया और 150 रुपय मूल्य का तीन मन धान दन को कहा लेकिन महाजन न यह कहकर लेन स इकार कर दिया कि उस 1,200 रुपया पाना है। 1975 से ही रमेश भाग गया है। उसन 15 नवम्बर 1976 को तहसीलदार के नाम एक अर्जी देकर राहत की माँग की। मई 1977 तक उसकी अर्जी का कोई जवाब नही आया था। रमेश अपनी जान बचान के लिए गाव स बाहर ही है।

राज्य सरकार ने थान जिले के बधुआ मजदूरा को छुडान की कोई कोशिश नही की। दिसबर 1976 म भूमि सेना न तहसीलदार के पास 120 अर्जिया दी थी। लेकिन प्रशासन न कुछ भी नही किया। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ

पुलिस भाग हुए बंधुआ मजदूरो को पकडकर पहले पीटती है फिर उन्हे उनके मालिको के हवाले कर देती है। यहाँ पुलिस जमीदारो के हितो की रक्षा म लगी रहती है।

## उडीसा

उडीसा म खासतौर मे कोरापुट कालाहंडी और गंजाम जिलो म गोठी प्रणाली देखन को मिलती है। प्रत्यक स्थान पर इसका स्वरूप भिन्न है। ऋण की राशि 50 रुपय स 200 रुपय तक है। गोठिया को प्रतिवष 10 रुपय स लेकर 50 रुपये तक मिलते ह तथा उन्ह खाना या अनाज और कपडा दिया जाता है। उन्ह बीडी खरीदन के लिए भी प्रति सप्ताह 6 से 12 पसे तक दिय जात है। उनके मालिक उन्ह ग्रामीण पुनवास कार्यो म भी लगात ह जो राज्य सरकार समय समय पर चलाती रहती है। उनके वेतन उनके मालिको की जेब म चले जात हैं। हालाकि गोठी प्रणाली काफी प्रचलित है पर यहा कडामुलिया और बारोमसिया प्रथा का भी चलन है।

केन्द्रीय आदिवासी विभाग न 1962 म कोरापुट और पराजा आदिवासिया वाले नौ गावो का सर्वेक्षण किया था। इसस पता चला कि कुल आबादी म 10 प्रतिशत गोठी हैं। गुलामी की अवधि 10, 19 और यहा तक कि 30 वष भी है। एक व्यक्ति ने 60 रुपये उधार लिय थे और उसे गोठी बनना पडा और बाद म उसके दोनो बेटे भी गोठी बने। इन्होन कुल 22 वष तक गुलामी की।

ध्यान देने की बात है कि 1948 म बने एक कानून के जरिए उडीसा म ऋण के एवज म गुलामी की प्रथा समाप्त की जा चुकी है।

इसके अलावा एक और प्रथा का चलन है। जब कभी किसी बडी परियोजना का निर्माण-काय शुरू होना है तो ठेकेदारो के एजेंट जिन्ह खानादार या सरदार कहा जाता है, 25-30 मजदूरो का एक दल बनाते है जिनम 12 13 साल की लडकिया भी होती हैं। य एजेंट इन मजदूरो की मजदूरी पहले ही ठेकेदार स ल लेत हैं, मजदूरो को पस कभी नही मिलत। इन पैसो को रोक रखा जाता है और काम खत्म होन पर देन का वादा किया जाता है। एजेंटो को यह डर रहता है कि यदि मजदूरो के हाथ म पसा आ जायेगा तो व घर लौट जायेंगे।

इन अभागे मजदूरो को डाडन मजदूर कहा जाता ह। काम की समाप्ति पर ठेकेदार एजेंटो से हिसाब करता है, न कि मजदूरो न। नतीजा यह होना है कि मजदूरो को ठेका समाप्त होन के बाद भी रुके रहना पडता है, क्योकि उनके पास घर लौटन को पस नहीं होत। अन्त मे जब भुगतान होना है तो रेलवे टिकट क अलावा उन्हें नकद के रूप म मामूली राशि ही दी जाती है। उनको दोनो तरह स घाटा होता है—पैसे के मामले म भी और बिना किसी काम क समय बरबाद

करने से। काम के दौरान उनकी सेवाएँ समाप्त किए जाने पर भी कोई मुआवजा नही मिलता।

उनके काम के घंटे भयकर होते है। वे सवेरे छह बजे से रात के बारह बजे तक काम करते हैं—बीच म एक घंटे के लिए खाने की छुट्टी मिलती है।

कोडे लगाने की घटना तो आम बात है। इस चोट से कुछ मर भी जाते है। जो भागने की कोशिश करते है उन्हे पकडे जाने पर और भी बर्बरता का सामना करना पडता है। अनेक डाडन मजदूर उडीसा से बाहर काम करते है। नुदा सब डिवीजन के पाच मजदूरो की पिटाई के कारण मृत्यु हो गयी। 1974 और 1975 म कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश म काम करते समय 15 से ज्यादा मजदूर मारे गये।

1976 म उडीसा सरकार ने डाडन मजदूरो को काम पर लेने, ठेके की शर्त तय करने और मजदूरी की दर निर्धारित करने के बारे म एक कानून पारित किया। यह कानून कभी लागू नही किया गया। डाडन प्रथा जारी है और यह सचमुच दुख की बात है कि अनेक लोगो को यह पाशविक प्रथा ही जीने का एक मात्र उपाय देती है। इसीलिए वे आज भी खातादार के आने पर उसके प्रस्तावो को खामोशी से सुनते रहते है। खातादार उन्हें तीन महीने का ठेका देने, 210 रुपया मजदूरी तथा घर लौटने के लिए रेलवे भाडा देने का वायदा करता है। उन्हे यह भी पता है कि मजदूरी के रूप म उन्हें बहुत कम पैसे दिए जायेंगे। खाना और रेलभाडा के अलावा व कोडो की भी उम्मीद करते हैं। वे जानते हैं कि उनमे से कुछ मर भी जायेंगे। जिन्होने कभी घर से बाहर कदम नही रखा व कश्मीर दिल्ली या मध्य प्रदेश म एक अजनबी मौत के शिकार बनेंगे। उन राज्यो के समाज का नगा चेहरा बारीकी से देखने की जरूरत है जहा बधुआ मजदूर प्रथा का जबरदस्त चलन है। लगातार दमन के बिना बधुआ मजदूर प्रथा का अस्तित्व नही हो सकता।

फरवरी 1976 म आयोजित नारायणगढ शिविर म इसी मसले पर विचार किया गया। सबलपुर मे स्थानीय आदिवासियो को जमीन नही मिलती। उनको कर्ज देते समय वक बेतहाशा ब्याज लेते है। यदि व भुगतान नही कर पाते है तो सरकारी सस्थाएँ उनकी जमीने जब्त कर लेती हैं और बेच देती हैं, हालाकि आदिवासियो की जमीन को खरीदना बेचना गैर-कानूनी है। वन विभाग के लिए जो आदिवासी केंदू की पत्तियाँ इकट्ठी करते हैं, उन्हे दैनिक मजदूरी के रूप म दो रुपये मिलते हैं। उडीसा म न्यूनतम मजदूरी कानून के अनुसार कम-से कम मजदूरी चार रुपय होती है।

कलकट और आस-पास के गावो म आदिवासियो की जमीन को तहसीलदार गैर-आदिवासियो म बाँटता है। इस तरह की जमीन—जिसे परपाश भूमि कहा

जाता है—आदिवासियो के लिए ही है। 14 गावो म, जहा खोमर नामक आदिवासी रहते है सारी जमीन का गर आदिवासियो ने हडप लिया है।

पुरी जिले मे पिपली थानान्तगत मगलपुर गाँव म हरिजन मजदूरो और सवण हिन्दुओ की बस्ती के बीच एक बाडा लगाया गया है। पाच मदिरो म से चार खासतौर से सवर्णों के लिए ह। सवर्णों के कुँओ से हरिजन पानी नहीं ल सकत। मजदूरो म दो वग ह—होलिया और साधारण मजदूर। होलिया वग के मजदूर बधुआ मजदूर है। किसी होलिया को भू-स्वामी 200 स 300 रुपये और डढ बीघा खेत उधार देता है। इसके एवज में उसे पूरे साल उस व्यक्ति के खेत पर काम करना पडता है। लगभग सभी भू स्वामियो के यहा होलिया मजदूर होते हैं।

पुरुष और महिला मजदूरो को प्रतिदिन क्रमश ढाई रुपय और दो रुपये मिलत है। लगभग सभी पर कज चढा होता है। ब्याज की दर 100 प्रतिशत सालाना है। आश्चय नहीं कि कज लेने वाला बधुआ बन जाता है।

(1) जोनु बेहाना नामक हरिजन किसान के परिवार म सात सदस्य हैं। उसके पास एक छोटी झोपडी और गौशाला है। उसके पास अपनी डेढ बीघा जमीन है जिसस वह लगभग एक क्विटल धान पदा कर लेता है। उसने बटाई के आधार पर भू-स्वामी से और डेढ बीघा जमीन तथा इस पर होने वाले खच के लिए 250 रुपय नकद लिये थे। फलस्वरूप उसे बिना मजदूरी दिये भू-स्वामी की जमीन पर आधा महीना काम करना पडता है और शेष दिन वह अपन खेत पर काम करता है या खेतिहर मजदूर बना रहता है। जोनु को उन तमाम कानूनो की जानकारी नहीं है जो उसके जैसे लोगो के लाभ के लिए बने है। उसे केवल यही पता है कि सहकारी सस्था के पास कज के लिए वह जब भी गया उसे निराश होकर लौटना पडा। जोनु कभी ट्रेन पर नहीं चढा। उसे केवल इतना ही पता है कि उडीसा उसकी जन्मभूमि है और इदिरा गाधी सारी दुनिया की नेता है।

वह जानता है कि सरपच और ग्रामीण स्वयसेवक का सब पर शासन है लेकिन ये गरीबो के उत्थान के रास्त की सबसे बडी रुकावट है। उसे पता है कि उसके गाव के 75 व्यक्ति ऐसे है जिनम से प्रत्येक के पास 600 बीघा जमीन है। मिट्टी का तेल, चीनी और गेहूँ बेचने वाली दुकानें भी है, पर जोनु ये चीज नहीं खरीद सकता। वह सोचता है कि अगर वह डाडन मजदूर बन जाये और घर छोड दे तो उसकी जिदगी बेहतर हो जायगी। लेकिन अपने परिवार को कैसे छोड?

अग्रजो के जमाने म देसी रजवाडो म बधुआ मजदूर प्रथा थी जिसके बेठी, बगार और बहवरा जस कई नाम थे। 1923 और 1929 म कानून के जरिए इन्हे समाप्त कर दिया गया। लेकिन इन जिलो मे अलग अलग नामो म यह प्रथा

बनी रही ।

इसके अलावा एक गुटिया प्रणाली थी जिसम गुटिया के नाम से प्रचलित जमींदार मजदूरो को कज देकर अनिश्चित समय के लिए उन्ह बधुआ मजदूर बना लेते थे। 1956 म यह प्रथा भी समाप्त कर दी गयी, पर व्यवहार म इसका कोई असर नही पडा। दूरदराज के गावो म गुटिया जमीदारो ने बेनामी जमीनें खरीद ली और प्रत्येक के पास 400 से 500 बीघा जमीन है। वे सवण हिन्दू हैं, पचायतो के नता है और बडे-बडे अफसर उनके दोस्त हैं। व हरिजनो और आदि वासियो की जमीनें हडप लेते हैं। अनक मामलो म उनके बधुआ मजदूर बगर उनकी इजाजत लिये गाव मे बाहर नही जा सकते।

(2) घाटपाडा गाँव का रसिया दीप एक आठ वर्ष का हरिजन लडका है। एक वष की उम्र स ही वह एक सवण हिन्दू के यहाँ बधुआ मजदूर है। उसकी सालाना तनख्वाह 10 रुपये है। उसे दो पैंट और एक कमीज भी मिलती है। उसे दिन मे दोनो पहर खाना मिलता है जिस पर उसक मालिक का एक रुपया से ज्यादा खच नही होता। फिर भी उस हफ्ते म दो दिन खाना नही दिया जाता। वह हर रोज 12 14 घटे काम करता है।

(3) सीमाचल पतरी एक हरिजन है। उसकी उम्र 30 वष है और वह लगीगढ ब्लॉक के एक गाव म रहता है। वह पिछले 15 वष से बधुआ मजदूर है और सवण हिन्दू है। उसकी सालाना तनख्वाह 200 रुपये है और साथ मे उसे तीन सेट कपडे भी मिलते हैं। उसे हर सप्ताह बहुत घटिया किस्म का 21 किलो धान मिलता है। इसे कूटन-बनान के बाद वह साढे दस किलो ग्राम चावल निकाल लेता है। इस तरह का चावल उधर के गाव म एक डेढ रुपये किलो मिलता है। फरवरी मे जून तक उसके पास कोई काम नही होता। इन चार महीनो म उसे धान भी नही मिलता।

परिवार के एक सदस्य को मामूली से पसे देकर पूरे परिवार को गुलाम बनाने की प्रथा का उडीसा मे काफी चलन है।

उडीसा भारत का हिस्सा है। गरीबो को गुलाम बनाने के सभी हथियार यहाँ इस्तेमाल किये जाते है।

कानूनी और सरकारी नियम यहाँ हरिजनो तथा आदिवासियो के लिए नही है।

## राजस्थान

राजस्थान के विभिन्न जिलो मे बधुआ मजदूरो की अनुमानित सख्या इस प्रकार है

| जिला | सख्या |
|---|---|
| झालवाड कोटा बूदी, सवाई माधोपुर उदयपुर, गगानगर अजमर भीलवाडा झुझुनू | 10 000 20 000 |
| नागौर शिकार टाक, चित्तोडगढ | 5,000 10,000 |
| | 500 5 000 |

कुल बधुआ मजदूरा म स 56 प्रतिशत इस प्रथा को समाप्त करने से सबधित विधयक के पारित किय जाने के तीन वप के भीतर बधुआ बनाये गये।

(1) उदयपुर ज़िले के ब्राह्मण की हुदार गावो म जीवा नामक 20 वर्षीय एक युवक रहता है जा एक सागरी है अर्थात बधुआ मजदूर है। जब वह पाच वप का था उसके पिता की मृत्यु हो गयी और उसकी मां किसी दूसरे आदमी के साथ चली गयी। जीवा क पास कुछ बीघे ज़मीन थी जिसे उसके चाचा ने जातदार रूपसिंह को 100 रुपये म बेच दिया था। फिर उसने एक ब्राह्मण जोतदार शिवराम से 80 रुपये कर्ज लिया और जीवा को उसका सागरी बना दिया। तनख्वाह की भी कुछ बात हुई थी पर जीवा को कभी कोई तनख्वाह देखन को नही मिली। उसन शिवराम क सागरी के रूप म तीन साल बिताये।

जल्दी ही उसके चाचा को और रुपया की ज़रूरत पडी। उसन कुबेरलाल नामक एक ब्राह्मण से 200 रुपये उधार लिय, शिवराम का पसा चुकता किया और जीवा को कुबेरलाल का सागरी बना दिया। उस समय जीवा आठ वप का था।

कुबेरलाल एक क्रूर व्यक्ति था। वह जीवा को पीटा करता था और दिन भर म 15 घटे काम लेता था। जीवा को दिन म दो बार थोडा खान को दिया जाता। आखिरकार जीवा स जब बरदाश्त नही हा सका ता वह भाग गया, पर कुबेरलाल के आदमिया ने उस पकडकर वापस पहुँचा दिया। उसे इतना पीटा गया कि वह बेहोश हा गया। कुबेरलाल का जब लगा कि इस लडक का रखना अपनी परेशानी बढाना है तो उसन जीवा के चाचा स कहा कि वह पसा वापस करे और जीवा का ले जाय।

फिर जीवा क चाचा न उस एक दूसरे किसान के हाथ 300 रुपय म बेच दिया और कुबेरलाल का पैसा चुका दिया।

जीवा न कुबेरलाल क साथ पाँच वप तक काम किया और फिर दूसरे मालिक क साथ काम करन लगा। इस समय वह दूसरे मालिक की गुलामी म है। उसका सालाना वतन 150 रुपय है, पर उसे कभी एक पसा भी नहीं मिला।

जब उससे कहा जाता है कि बधुआ मजदूर प्रथा समाप्त हा गयी है ता मुसकराता है और खामोश रहता है।

उसने जसे लाखा और जागा स जब यह बात कही जाती है ता व भी चुप ही रहते है।

(2) पनिया गाव म 1961 म एक भीत औरत के बारे म जानकारी मिली जो महज 25 रुपये कज के कारण 20 वष से गुलामी कर रही थी। बाद म उसके पति न और ऋण लिया। वह औरत अभी भी सागरी ह। उस अनाज पीसन के काम म लगाया गया था। उसने अपन मालिक को रुपय दन चाहे, पर मालिक न पसे लेने से इकार कर दिया। 1961 म उसने विद्रोह कर दिया और काम बद कर दिया।

1961 म सागरी प्रथा खत्म कर दी गयी। इस प्रथा के तहत कज लेने के कारण किसी हरिजन या सागरी को गुलाम बना लिया जाता था। जीवा के मामले से देखा जा सकता है कि कजदार व्यक्ति परिवार के किसी अन्य सदस्य को भी सागरी बना सकता था।

1968 69 की एक रिपोट स पता चलता है कि यह उमूलन कारगर नही हुआ है। 122 लागा स बातचीत म पता चला कि कवल 16 सागरिया को इस प्रथा के समाप्त किये जान की जानकारी थी। उनम स सबन यही कहा था कि कज चुकता करन का एकमात्र तरीका सागरी के रूप म काम करना है।

1975 मे बधुआ मजदूर प्रथा को कानून के जरिए समाप्त कर दिया गया।

इस बीच सागरिया की सख्या म वद्धि हुई है।

## तमिलनाडु

तमिलनाडु के उत्तर व दक्षिण आर्कोट जिले सचमुच बधुआ मजदूरा से भरे पडे है। यहा 40,000 स अधिक तादाद म बधुआ मजदूर है। धमपुरी जिले म ही 20,000 से अधिक बधुआ मजदूर हैं।

चगलपेट, मदुर, तजौर त्रिचनापल्ली और तिरुनेलवेलि जिला म से प्रत्येक म दस से बीस हजार तक की तादाद म बधुआ मजदूर ह। कोयम्बतूर म पाँच म लेकर दस हजार तक, रामनाथपुर और सेलम म पाच सौ से लेकर पाच हजार तक की तादाद म बधुआ मजदूर ह। 1967 म प्रकाशित एक आधिकारिक रिपोट के अनुसार यह पद्धति नीलगिरि म भी चालू है यद्यपि 1969 70 म प्रकाशित एक अन्य रिपोट म यह दावा किया गया कि तमिलनाडु म यह पद्धति प्रचलित नही है। 1971 72 तथा 1972 73 म प्रकाशित दो अन्य रिपोर्टों म यह बताया गया कि नीलगिरि जिल के गुडालूर तालुक म शट्टी रयतवारा न पनिया और कटटुयावना जो दोना ही जनजातियाँ है, क लोगा को ठेके पर खेती म लगा रखा है। राज्य सरकार न यह दावा किया कि जनजातियो के य लोग अपनी मर्जी

से ही काम करते ह और उन्ह अपनी तनख्वाह के अलावा खाना और कपडा भी मिलता है। इन दावा की सत्यता के प्रति सदेह व्यक्त किया गया है। 1979 म अरमुगम की कहानी प्रकाश म आयी। वह अनुसूचित जाति का एक गरीब आदमी था। आठ वष की उम्र म उसे एक सवण हिन्दू न पडियाल के तौर पर काम पर रख लिया। 1979 म उसे सत्रह साल काम करते हुए हो गये थे। तब उसकी उम्र पच्चीस वष थी।

उसके पिता न 100 रुपय उधार लिये थे और उसे पडियाल बनवा दिया था। उसके मालिक ने उसे प्रति वष 300 किलो धान देन का वादा किया था। इसके बावजूद उसने सिफ 60 किलो धान और 37 पैसे प्रतिदिन दिये। अरमुगम सवेर 6 बजे स रात के 9 बजे तक काम करता था। उसके मालिक के पास 27 एकड जमीन कई खेत जोतने वाले पशु, बीस गायें और 6 बधुआ मजदूर थ। किसी न अरुमुगम को बताया कि पडियाल पद्धति को खत्म कर दिया गया है। वह अपन मालिक के पास गया और उसने यह माग की कि उसका वेतन बढाकर एक रुपया प्रतिदिन कर दिया जाये। उसने यह भी कहा कि पुरान ऋण को चुकता माना जाये। उसन स्वतत्र किय जान की माग की।

उसका मालिक गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा कि 500 रुपय अब भी पानना बाकी है। उसे आजाद करने का कोई सवाल ही नही उठता।

अरमुगम भाग गया। उसके मालिक न सोचा कि इस मामल को एक मिसाल बना देना चाहिए अन्यथा दूसरे पडियाल भी सिर उठान लगेंग। उसने अपन चालीस गुडो की एक टोली का भेजा और अरुमुगम को पकड मँगाया। उन्होंने एक बिजली के खम्भे स बाधकर नृशमतापूवक पीटा। भोजन और पानी के बिना उस चिलचिलाती धूप म बिजली के खम्भे से बधा रहने दिया गया। उसकी जमीन का टुकडा भी छीन लिया गया और उसका वेतन घटाकर 30 पैसे प्रतिदिन कर दिया गया।

1979 म तमिलनाडु मे सभवत 2,50,000 पडियाल थे। अरमुगम को अभी तक उनम ही गिना जा रहा है।

(2) 1976 म पनियान आदिवासियो की दुख-दुदशा की बातें सुनी गयीं। शेट्टी जाति के महाजनों न उन्ह खाद्य-वस्तुएँ खरीदने के लिए कज दिय। बदले म पनियानो न बिना वेतन के उनके खेतो म काम किया। कार्तिकेयन कमेटी न उनकी दुख दुदशा के बारे मे जाँच-पडताल की। पता चला कि कज लेते वक्त पनियानो न एक सादे कागज पर अँगूठे के निशान लगाय थे। इस प्रकार व बधन मे बध गये। एक महाजन न एक पनियान को 900 रुपय कज दिया था और एक वष बाद मूल-सूद समेत उससे 10,000 रुपये की माँग की। अभागे पनियान के पास बधुआ मजदूर बनन के सिवा कोई चारा न था।

तमिलनाडु म ऐसे हालात की मौजूदगी बिलकुल स्वाभाविक है क्योंकि तमाम राज्यो की तरह तमिलनाडु पर भी सवण हिंदुओ का शासन है। जब कामराज मुख्यमंत्री थे तो रामनाड जिले म सवण हिंदुओ द्वारा हरिजनो का कत्ले आम किया गया था। बाद मे, 1968 म जब अन्नादुर मुख्य मत्री थे तो किलवेनमणी के सवण हिन्दुओ न कम से कम चौवालीस हरिजन मद, औरतो और बच्चो को झोपडियो म बद कर आग लगा दी और उन्ह जिदा जला दिया। मुख्य मंत्री अपराधियो को कानून के कठघरे तक लाने म नाकामयाब रहे।

तमिलनाडु के सवण हिन्दुओ को इस बात पर अटूट विश्वास है कि उन पर कोई आँच नही आ सकती। 1978 म विल्लुपुरम के एक व्यापारी ने एक हरिजन युवती के सामन एक अश्लील प्रस्ताव रखा और उस मुहल्ले, जिसे पेरिया कहते है के हरिजन युवको ने 23 माच 1978 को प्रतिवाद किया। उस धनी व्यापारी ने उनके मुहल्ले पर 24 25 और 26 तारीख को हमले किये और उनकी झोपडिया जला डाली। 12 वष के लडके और 35 वर्षीया महिला समेत बारह लोगो को पीट पीटकर मार डाला गया। यह घटना 27 जुलाई 1978 को हुई। इसके पहले, तीन दिन के अग्निकाडो म जले हुए सत्तर व्यक्तियो को सरकारी अस्पताल मे भर्ती किया जा चुका था। प्रशासन और पुलिस विभाग निष्क्रिय बठे रहे।

27 तारीख की घटना के बाद अचानक एक मत्री एक पुलिस दल को साथ लेकर विल्लुपुरम मे शाति कायम करने के लिए पधारे। पर इसके एक हफ्ते पहले ही हरिजनो के पेरिया म श्मशान की शाति छा चुकी थी।

(3) जनवरी 1978 म पाडिचेरी के निकट पुरानसिंग पालयम के हरिजनो ने पौराणिक राजा हरिश्चन्द्र की एक वेदी बनाने की कोशिश की। श्मशान भूमि म उनके लिए नियत क्षेत्र म यह वेदी बनायी जा रही थी। सवण हिन्दू उसी स्थान पर अपन दाह-सस्कार की बात सपने मे भी नही सोच सकते। उन्ह हरिजनो की गुस्ताखी अखर गयी और उन्होने उनके घर ढा दिये। दूकानदारो न हरिजनो को खाने पीने की चीजें देने से इकार कर दिया, और हरिजनो को खेतो पर भी काम करने से रोक दिया गया।

सरकार मजबूर थी।

(4) रजति नामक एक हरिजन युवती की मत्यु दिसबर 1978 म हुई और यह घटना 20 माच 1979 को सामने आयी जब उसके पिता ने तीन महीने तक न्याय पाने के लिए निष्फल दौड धूप करने के बाद सच्ची घटना प्रकट कर दी।

रजति नल्लिपालयम के पेरियन्ना गोंडार की गाये चराती थी। 19 दिसबर 1978 को प्यासी रजति ने पशुओ की नाँद से पानी निकालकर पी लिया। उसे निदयतापूर्वक पीटा गया, क्योकि नाँद पवित्र गायो के लिए रखी गयी थी, अपवित्र हरिजन के लिए नही।

उस शाम वह घर नही लौटी और बाद म उसकी मृतदेह गोडार के कुए म मिली। शव परीक्षण म पता चला कि उसे जबरदस्ती डुबो दिया गया था। सेलम के पुलिस अधीक्षक ने इस मृत्यु को आत्महत्या करार कर दिया। गोडार ने रजित के पिता को रुपया देना चाहा, पर यह हत्या का प्रमाण न था।

1979 की एक आधिकारिक रिपोर्ट म बताया गया कि तमिलनाडु म हरिजना पर अत्याचार बढ रहे ह। विभिन्न पार्टियो के शासन म यह हमेशा एक मजेदार चीज रही है। यह तसवीर कामराज, अन्नादुरै और जनता पार्टी के शासनवालो म एक सी रही।

हमने यह पहले ही बताया है कि बधुआ मजदूरी और हरिजनो पर अत्याचार, दोना की जड मे एक ही मनोवृत्ति है।

## उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के बलिया, हमीरपुर, हरदोई, खेरी सीतापुर, बिजनौर और बरेली जिलो म बीस हजार से अधिक बधुआ मजदूर है।

एटा, झाँसी, मिर्जापुर, सहारनपुर, बस्ती, बुलन्दशहर, मुरादाबाद, मुजफ्फर नगर, रायबरेली, शाहजहाँपुर सुलतानपुर मेरठ, वाराणसी और देवरिया जिला म दस हजार से बीस हजार के बीच की तादाद मे बधुआ मजदूर ह।

बादा, बदायू इटावा, जालौन, गाजीपुर, मथुरा पीलीभीत उन्नाव और नैनीताल जिला म पाच हजार स दस हजार के बीच की तादाद म बधुआ मजदूर है।

आगरा, अलीगढ, इलाहाबाद, बहराइच, बाराबकी, लखनऊ, मनपुरी और गोडा जिलो मे पाँच सौ से पाँच हजार के बीच की तादाद म बधुआ मजदूर हैं।

देहरादून, पौडी गढवाल, चमोली, टिहरी गढवाल उत्तरकाशी, रामपुर और फैजाबाद जिलो के बारे मे कोई जानकारी सुलभ नहीं है या प्राप्त नही की जा सकी।

कानून की 386वी धारा के अनुसार बधुआ मजदूर नियुक्त करना दडनीय अपराध है।

देहरादून जिले के जौनसार-बाबर क्षेत्र म कोल्टा और बाजगी लोग बधुआ मजदूर हैं। वे हरिजन हैं। उनके मालिक राजपूत हैं। यहाँ जिन रिवाजो का चलन है उन्ह 'भाट' 'खडित मडित' और 'सजयेत' कहत हैं। उन्नाव जिले म इस 'लाग-बाँध' कहा जाता है।

जौनसार-बावर म कोल्टा और डोम-कोल्टा लोगो को पचायतो द्वारा 'घुमरी' नामक पद्धति के सहारे वश मे रखा जाता है।

नीचे कुछ मिसालें दी जा रही हैं।

लेते है। बाद म इस कज को चुकता करने म असमथ होने पर उह ऋणदाताओ द्वारा चलाये जा रहे वेश्यालयो मे अपनी पत्निया को अपित कर देना पडता है। चद वर्षो म ऋण की रकम दिन दूनी रात चौगुनी हो जाती है और लडकी की हैसियत वदिनी की हो जाती है। यह जघय व्यापार चलाने मे भूस्वामियो को ग्राम पटवारिया और सरकारी अधिकारियो म मदद मिलती है।

इस सामाजिक पृष्ठभूमि म दौलती की करुणकथा को अच्छी तरह समझा जा सकता है।

(1) जौनसार बाबर के करीब सभी कोल्टा परिवार वधुआ मजदूर हैं। कमला उफ दौलती धीरा गांव की एक औरत थी। उसके पिता न अनाज खरीदने और अपनी सबसे बडी लडकी की शादी करन के लिए 1,200 रुपय का ऋण लिया था।

जब दौलती की उम्र 16 वप थी तब उसी गाव के एक ब्राह्मण न उसके पिता के साम ने यह प्रस्ताव रखा कि वह उसका समचा ऋण चुका दन का तयार है बशर्ते दौलती को उसके सुपुद कर दिया जाय। उसन कहा कि उसका उद्देश्य मर्यादापूण है, क्याकि वह दौलती से शादी करना चाहता है।

यह ध्यान रहे कि इस पहाडी अचल की औरतें बडी खूबसूरत होती ह और यहा की स्थानीय कहावत है कि लडकी के जीवन के पहले दस वप हँसी खुशी भर रहते है और उसके बाद आंसू बहान की शुरुआत होती है।

दौलती का पिता राजी हो गया। उसका कज चुका दिया गया और दौलती का मेरठ ले आया गया तथा एक वश्यालय म रख दिया गया।

दस वर्षों तक उसने एक वेश्या का काम किया और ब्राह्मण उसकी समूची आमदनी को ऋण के भुगतान स्वरूप लता रहा। वह उसकी वधुआ मजदूरिन बन गयी। जब वह तीस वप की उम्र के निकट पहुँची तो उसका सौदय चुकने लगा और उसका रेट घट गया क्योकि शहर के ग्राहका का ताजी देह चाहिए। तब उसे वापस धीरा ले आया गया, जहाँ वह पैदा हुई और बडी हुई थी, और वहाँ उसन अपनी टूटी देह स ग्रामीण ग्राहका की सेवा करनी शुरू की।

उस ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उसके लडक न उसकी जिम्मेदारी सभाली और उसकी आमदनी हथियाना शुरू किया। उसके लिए एक छोटी-सी झोपडी बना दी गयी जहाँ उसन अपना व्यापार जारी रखा।

दौलती यह नहीं जानती कि बीस वर्षों की वेश्यावृत्ति म उसका कज चुक पाया कि नही, अथवा उसका कज कभी चुक पायेगा या नही। वह अभी भी जिन्दा है, अपना धधा चलाती है, और अपनी आमदनी मालिक को दे देती है।

(2) जौनसार बाबर क्षेत्र देहरादून और उत्तरकाशी दोनो अचल अलग आता है। हम दूसर अचल की एक रिपोट पश कर रह है

| ग्राम | ऋणी | ऋणदाता | कारण | राशि | बधन की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|
| सटटा | मीनू | कुन्नीलाल | अनाज | 500 रु० | 17 वप |
| सटटा | मीनू | लालसिंह | अनाज | 300 रु० | 17 वप |
| सटटा | मुखा | हुक्मा | शादी | 300 रु० | 18 वप |
| सटटा | सुखा | ठाकुर | भेड खरीदना | 35 रु० | 5 वप |
| सटटा | सुखा | सुल्कू | लडकी का बक्सा खरीदना | 20 रु० | 10 वप |
| मटटा | नन्दा | दर्वासिह | अनाज | 100 रु० | 12 वप |

तीना ऋणी हरिजन हैं और ऋणदाता राजपूत है। सभी समझौत मौखिक रूप स हुए हैं।

(3) उत्तरकाशी के पुरोला प्रखड म जीप के अलावा अ य किसी वाहन का जाना सभव नही है। पुराला के बाद सकडा मील तक पहाडिया हैं। यहाँ ग्राम पटवारी टक्स-तहसीलदार और पुलिस दोना की भूमिकाएँ साथ साथ निभाता है। व सवशक्तिमान है। यहा से औसतन पचास लडकिया हर साल अपन पिताओं, भाइया और पतिया को ऋण स छुटकारा दिलाने क लिए मदानी इलाका के वश्यालया को जाती हैं।

कुआ ग्राम जो डमटा-नौगाँव सडक पर स्थित है, के ब्राह्मण सरपच माया राम न 1961 स पानू नामक एक हरिजन युवती को विभिन वेश्यालया के हाथा चार बार बचा है। हर बार वह किसी दलाल स शादी के लिए दी जान वाली रकम ग्रहण करन की रस्म अदा करता है और शादी की रस्म का मुआयना कर लेन के बाद उसे उसके हाथा बच देता है। जब वह कुछ समय वहा काम कर चुकी होती है तो फिर वह उस खरीद लेता है केवल दुबारा बेचन क लिए।

(4) 27 जुलाई 1974 को पुरोला गवनमेट इटर कॉलेज के प्रोफेसर प्रेमदत्त शर्मा न श्यामा दवी नामक एक हरिजन लडकी को दिल्ली और देहरादून के वेश्यालया के हाथा बेच दिया।

एसी सभी घटनाओ म ग्राम पटवारी शामिल रहत है। एक पटवारी ऐसी औरत से आमदनी बटोरन के लिए दिल्ली आता रहता है।

जानकी नामक एक लडकी का बयान निम्नलिखित है

पुराला की औरतो के लिए वश्यावत्ति का कही अत नही है। पुलिस और सरकार ता केवल तमाशा ही करते ह।

'हमारे आदमियो को ऋण से मुक्ति दिलाओ। उह जमीन दो। केवल पुरोला के खेतो म आजाद आदमिया के हाथा उपजायी गयी हरी भरी फसलें ही औरतो को मुक्ति दिला सकती हैं।

"और कोई उपाय नहीं है।"

## पश्चिम बंगाल

हम 1975 के बंधित श्रम पद्धति उत्सादन अध्यादेश के शब्द 'मुनीश पद्धति' नोट कर लेना चाहिए। ये दो शब्द पश्चिम बंगाल में बंधुआ मजदूरों का अस्तित्व जाहिर कर देते हैं क्योंकि आधिकारिक रूप से इसका अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जाता। लेकिन अन्य रूपों में यह निश्चय ही मौजूद है। ये रूप हैं— भालुआ, माहिंदार, बारामासिया और मुनीश पद्धति जिसमें ऋण देकर अथवा ठेके पर बंधुआ मजदूर नियुक्त किये जाते हैं।

1976 में कुछ अधिकारियों ने एक रिपोर्ट में कड़वा सत्य कह डाला है। देहाती क्षेत्रों में क्रमशः बढ़ती तादाद में लोग अपनी जमीन खो बैठ रहे थे और इसका शुद्ध परिणाम था खेत मजदूरों की तादाद में वृद्धि होना। पूर्ति मांग को पीछे छोड़ रही थी और परिणामस्वरूप तनख्वाह घट रही थी। खेत मजदूर के लिए तय की गयी न्यूनतम मजदूरी के नियमों के अनुसार कोई भूस्वामी वेतन नहीं दे रहा था। पश्चिम बंगाल में जोतदार ही महाजन थे। उन्होंने मजदूरों को अल्प वेतन के साथ खाना भी देकर बंधुआ बना लिया।

1961 से 1971 के बीच मिदनापुर में भूमिहीन मजदूरों की तादाद 23 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत हो गयी। पूरे पश्चिम बंगाल के आधार पर ये आंकड़े 15 प्रतिशत और 25 प्रतिशत हैं। इन दस वर्षों में कामगरों की तादाद घट गयी। जोतदार लोग पूरी भूमि को हड़प ले रहे थे। यह स्वाभाविक था कि खेत मजदूरों को उनके द्वारा बंधुआ मजदूर बना लिया जाता।

सूखे के इलाके बांकुड़ा, पुरुलिया और मिदनापुर जिलों में, जहां साल में केवल एक ही फसल होती है मजदूर साल भर में आठ महीने जोतदारों महाजनों से मिलने वाले कर्ज पर जिन्दा रहते हैं। इन तीन जिलों में मजदूर कम सेर धान जोतदार के खेतों में बुआई, रोपाई और कटाई के दौरान काम करने की मौखिक शर्तों में बंध जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि वे उस धान बिना बदले के काम करते हैं जब उनकी आमदनी हो सकती थी। बांकुड़ा और पुरुलिया के गरीब, पिछड़े जिलों में मजदूर साल भर तक जोतदारों के लिए भालुआ अथवा बारामासिया के तौर पर काम करते हैं। वर्ष की समाप्ति पर हर मजदूर को उसकी उम्र के अनुसार पांच से लेकर बारह मन तक धान मिलता है। जोतदार के ही घर में रहने वाले मजदूर को खाना-कपड़ा मिलता है।

पुरुलिया के सिस्सा और बाघमुंडी में एक दूसरी पद्धति है। महाजन स्थानीय 5 रुपए प्रति बीघा की दर पर आदिवासियों से जमीन पट्टे पर लेते हैं। वे उन्हें बीज और खाद भी देते हैं। आदिवासी लोग उसमें मेहनत

और फसल होने पर व्यापारी उसे लेकर वेच देते है।

पश्चिम बगाल मे बधुआ मजदूरी की पद्धति का प्रचलित रिवाजा के सदभ म समझना होगा। जहा मजदूर राजनीतिक रूप से सचेत है, वेतन थाडा अधिक है। भातुआ आर बारोमासिया लोग थोडी अच्छी हालत म है। लेकिन यह दृष्टात विरल है। कहा जाता है कि पश्चिम बगाल म राजनीतिक चेतना अधिक सजीव है। पर यही पर ता बधुआ मजदूरी की पद्धति का सबस शानदार तरकीबा मे जारी रखा गया है।

(1) बीरभूम जिले क इलाम वाजार थाने म भादुरबुनी गाव म गनी मडल नामक एक जोतदार है। वह 200 बीघा जमीन एक बडी परचून की दूकान और आटा पिसाइ की मशीन का मालिक है। इलाम वाजार म उसके दो पक्के मकान ह। उसने पशुओ के व्यापार म दो लाख रुपय और सूदखोरी म 6 लाख रुपय लगा रख है। वह पाच माहिन्दार रखता ह।

उनम से एक का नाम इरफान शेख है। उसके पास चार बीघा जमीन है। उसक परिवार म आठ सदस्य थे। उसने एक बार गनी से थोडा धान कज पर लिया था। गनी का नियम था कि अगर एक मन उधार लिया जाय तो दो मन वापस करना होगा। इस ऋण के कारण इरफान का अपनी जमीन गनी को सौपनी पडी और तीस वष की उम्र म वह गनी का माहिन्दार बन गया। बारह वष बाद उसकी मत्यु हो गयी और कज चुकाने का भार उसके लडके रहमान के कधो पर आया। उसे गनी स प्रतिदिन एक बार का भोजन मिलता था और प्रतिमाह 37 किलो चावल। पाच वष तक माहिन्दार रहने के बाद रहमान के पेट म अलसर हो गया। वह काम नही कर पाया और गनी ने उसका मकान भी ले लिया।

रहमान भाग गया। बाद म वह वापस लौटा और उसन शादी कर ली। गनी न उसस उसकी पत्नी को छीन लिया जिसने बाद म गनी के बच्चे का जन्म दिया। रहमान न प्रतिवाद किया। उसके खिलाफ अपराध का एक फर्जी मुकदमा खडा किया गया। वह मुकदमा अभी तक चल रहा है।

रहमान अभी तक मजदूरी करता है। पिता और पुत्र न मिलकर मजदूरी के सत्रह साल पूरे कर दिये। अब भूत, जो इरफान का दूसरा लडका है गनी का माहिन्दार बन गया है। दो वष तक काम करने के बाद, उसन एक बार गनी द्वारा एक नौकरानी पर बलात्कार करने के खिलाफ प्रतिवाद किया था। गनी ने उस निकाल बाहर किया।

(2) उसी गाव म एक और जोतदार है जिसका नाम इरफान शेख है। उसके पास 65 बीघा जमीन है और उसन सूदखोरी म एक लाख रुपये लगा रख है। उसके पास तीन माहिन्दार हैं। उनम से एक शमसुल हसन है। कभी उसके पास

डेढ बीघा जमीन थी। एक बार इरफान न शमसुल के पिता को दो मन धान उधार दिया था। उसन ऋण के एवज मे शमसुल के परिवार का अपना माहिन्दार बना लिया। वह परिवार के केवल एक सदस्य को भोजन देता था और हर सदस्य से काम कराता था। दरअसल, उसके पास तीन माहिन्दार नाम मात्र के लिए थे। वह सिफ एक को वतन देता था और दूसरो से उसने मुफ्त म ही काम कराया। शमसुल के पिता और बरदाश्त न कर सके और वे भाग गये। शमसुल और उसका परिवार अभी तक बधा हुआ है। जब इरफान के अपन खेतो मे काम नही रहता तो वह उन्ह दूसरे के खेता म काम करने भेजता है और उनकी आमदनी खुद हथिया लेता है। ऋण देन पर वह 240 प्रतिशत सूद लेता है।

(२) इलाम बाजार थाने के नाचनशा गाव के रामकृष्ण बद्योपाध्याय स मिलिये। वह कोई साधारण आदमी नही ह। वह फारवड ब्लाक (मार्क्सवादी) पार्टी का नता है और बिलाती गाव की पचायत का उपप्रधान है। ऐसा सुना जाता है कि 1980 के मई महीन म कभी फामरो न पचायत कायालय को घेर लिया था और कायालय के अधिकारियो से पचायत के काप की राशि 90 000 रुपये का हिसाब मागा था। सभी अधिकारियो ने कबूल कर लिया कि रामकृष्ण के जिम्मे गबन की राशि थी 5,700 रुपय।

वह 60 बीघा जमीन का मालिक है। उसका कोई बगदार (बटाई पर जमीन जोतन वाला) नही है और तीनो माहिन्दार बीस बीस बीघा जमीन जोतते हैं।

घुमू लोहार उन माहिन्दारो म स एक है। वह 28 वष का है। खाना, 200 रुपय, दो लुगिया, तीन धोतिया, सालाना एक बनियाइन और एक दिन म पाच बीडिया—यही उसका वेतन है। वह भोर चार बजे मे लेकर शाम के सात बजे तक खेत म या घर पर काम करता है।

जब रामकृष्ण पचायत का उपप्रधान बन गया तो उसने माहिन्दार और नौकरानियो को वतन देना बद कर दिया। इसके बजाय वह उन्ह पचायत की 'काम के बदल अनाज' योजना के अतगत मिले भडार से गेहूँ देता है।

बीरभूम म प्रचलित वतन दर के अनुसार घुमू लोहार के काम का वेतन 11 रुपये प्रतिदिन होना चाहिए। जिले का वतन दर आधिकारिक सरकारी दर से बहुत कम है। घुमू के परिवार म लगभग सात सदस्य है। उनम से सिफ उसका ही खाना मिलता है। अपने परिवार को खिलान के लिए उसे रामकृष्ण स उधार लेना पडता है।

इस प्रकार उसके कज का पहाड बढता जाता है।

यह अतिम दृश्य सच्चे मायनो म पश्चिम बगाल की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। यह वही राज्य है जहाँ हर जिल म हजारो तथाकथित व लोग प्रश्नहीन रूप से जमीन के मालिक हैं। व फर्जी नामो से इस जमीन

कब्जा जमाय रखते है जो तय की हुई सीमा से अधिक होती है।

पचायत बन जान से उनके हाथों म बेशुमार शक्तिया आ गयी है। वे प्रखड विकास पदाधिकारिया, अनुमडल दडाधिकारिया ओर पुलिस अधिकारिया जसे पिट्ठुओ पर हुक्म चलात है। वे भातुआ, माहिदार बारोमासिया तथा मुनीश पद्धतिया को जिलाय रखते है। व बधुआ मजदूरा के पसीने से मुनाफा कमाते है। उनकी भूमि मे उत्पन्न अनाज के बगदारी के अनुसार बँटवार का दज नही किया जाता। राज्य सरकार के ग्रामीण दस्तो म निलज्ज रक्तशाषक शामिल हैं। सरकार ने इन लोगा पर गाव के निवासिया का भाग्य सुधारन की जिम्मे दारी सौंप रखी है। अन्य राज्या म जैसा होता ह वसा ही यहा भी होता है। उनकी शक्तिया असीमित हैं। आधिकारिक पुस्तिकाआ म वणित पश्चिम बगाल का कही अस्तित्व नही है।

जो लोग सत्ताधारी पार्टी का पक्षपासक बनन को तयार हैं उन्ह सत्ता भी मिलेगी सुयोग भी।

जितने आकडे मिल सके हमने प्रस्तुत किय है। अब यह ज्ञात हो चुका है कि बधुआ मजदूर प्रणाली चारा ओर फली हुई है। निम्नलिखित सात अचलो की स्थिति खास तौर पर निकृष्ट है

1 उत्तरी तमिलनाडु—धमपुरी उत्तर व दक्षिण आर्कोट, चेंगलपेट।
2 आध्र प्रदेश—तेलगाना, हैदराबाद, आदिलाबाद मडक, करीमनगर महबूबनगर नालगाडा, निजामलड वारगल।
3 गुजरात और महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र—गुजरात म वलसाड सूरत, बडौदा, पचमहल। महाराष्ट्र म नासिक, धुलिया और तालगाव।
4 मध्य गुजरात—मेहसना, सुरेन्द्रनगर, काठिया मे लेकर राजकोट तक।
5 समूचा उत्तरी मध्य प्रदश—महाकोशल, राजगढ, रतलाम विदिशा, गुना, मुरना, सागर, छतरपुर सतना, रीवा, शहडाल मरगुजा रायगढ, बस्तर।
6 पश्चिमी उत्तर प्रदेश—बिजनौर, मुजफ्फर नगर, मेरठ, मुरादाबाद, बरली, खेरी, सीतापुर।
7 उत्तर प्रदेश और विहार का उत्तरी सीमात क्षत्र—उत्तर प्रदेश म वलिया और देवरिया। बिहार म चम्पारन और सारन।

निम्नोक्त प्रत्येक जिले म 40,000 स अधिक बधुआ मजदूर है—तमिलनाडु म उत्तर व दक्षिण आर्कोट, आध्र प्रदश म नालगाडा और करीमनगर कर्नाटक म शिवमागा, महाराष्ट्र म अहमदनगर गुजरात मे बडौदा, मध्य प्रदश म सतना,

शहडाल और बस्तर, बिहार में पलामू और उत्तर प्रदेश में देवरिया।

बंधुआ मजदूर प्रणाली का पूरा बयान करना असंभव है। यह बिहार में हलवाह के छदमवेश में छिपी रहती है, तो पश्चिम बंगाल में भातुआ-माहिन्दार-बारोमासिया के छद्मवेश में। कौन जानता है कि अन्य छद्मवेश कौन-से हैं?

स्वतंत्र किये गये बंधुआ मजदूर और अन्य आदिवासियों को ठेकेदारों द्वारा 'पुराने' मजदूरों के तौर पर नियुक्त किया जा रहा है और उन्हें औद्योगिक क्षेत्रों, परियोजनाओं, कोयला खानों और चाय बागानों में काम पर लगाया जा रहा है। उन पर अभी तक जुल्म ढाये जा रहे हैं। इस तरह पुरानी पद्धति ने एक नया लबादा ओढ़ लिया है। इस परिदृश्य पर अब तक कोई रिपोर्ट नहीं तैयार की गयी है।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और देवरिया जिलों में चमार हलवाहों को 'गोबरी' पद्धति के तहत भोजन दिया जाता है। ऐसे मजदूरों को आमतौर पर खाना मिल जाता है। मगर यहाँ सवर्ण हिन्दू मजदूरों को खाना नहीं देते।

धान झाड़ने के दौरान पशु दाना भूसा खाता है और जो अंश पचता नहीं वह गोबर के रूप में बाहर निकल आता है। हलवाहे उसे साफ करते हैं, सुखाते हैं और उसे पीसकर अपना भोजन तैयार करते हैं। पर इस खाद्य का भी मूल्य आंका जाता है और इसे उनके वेतन से घटा लिया जाता है। पाँच या छह बैलों के गोबर से एक मन अनाज या दाना निकल आता है।

जब तक बहुसंख्यक लोगों को अल्पसंख्यकों की व्यवस्थाओं जैसे 'गोबरी' पर निर्भर करना पड़ता है, तब तक बंधुआ मजदूरी की पद्धति मौजूद रहेगी।

हम अब भी यह नहीं जानते कि देश के तमाम हिस्सों में क्या हो रहा है? हमारे सामने महज आंशिक तसवीर है। जब तक उत्पीड़ित लोग आवाज नहीं उठाते तब तक हम नहीं जान सकेंगे।

वे आवाज उठा पायें, इसके लिए काफी कुछ करना बाकी है।

# 4

28 अक्तूबर, 1975 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय फखरुद्दीन अली अहमद न बधुआ मजदूर प्रणाली को समाप्त करने से सबधित 'बधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम पर हस्ताक्षर किय। इस अधिनियम का परिशिष्ट मे प्रस्तुत किया गया है। उस वप जुलाई म श्रम मन्त्रियो की बठक म इस विषय म विस्तार से विचार विमश किया गया। उनके अनुसार 22 राज्यो म से 18 राज्या म इस प्रथा का काफी चलन था। उत्तर प्रदश, आध्र प्रदेश, केरल, उडीसा बिहार, महाराष्ट और कर्नाटक की राज्य सरकारो ने इस प्रथा को समाप्त करन के लिए कानून पारित किय।

राष्टपति के अध्यादेश म कहा गया था कि

1 इस अध्यादश के जरिए देश म विद्यमान बधित श्रम के सभी रूपा को समाप्त किया जाता है। य रूप हैं आदियामार, बारोमासिया, बसहया, बधू भगेला, चेरुमार, गारुगल्लू हाली, हारी हरवइ हालया, जावा, जीता, कमिया खुडित मुडित, कुथिया, लेखेरी, मुझी, मट, मुनीश पद्धति नित मजूर पलेर पडियाल, पनाइलाल सागडी सजी, सजावत सेवक सेवकिया सरी वटटी। इसके जरिए अब से सभी बधुआ मजदूर स्वतत्र किय जाते है। पेशगी रकम दकर अब कोई किसी को गुलाम नही बना सकता।

2 उन ऋणा को रद्द किया जाता है जिनकी वजह स ब धुआ मजदूरा को काम के लिए मजबूर किया जाता था।

3 मुक्त किय गय मजदूरा का जमीन से हटाया नही जा सकता।

4 यदि काई जमीन किसी महाजन के पास बधक रखी गयी हो तो यह जमीन मुक्त हुए बधुआ मजदूर को वापस कर दी जायेगी, जिसका इस जमीन पर पूरा अधिकार होगा।

5 अब स कोई भी महाजन पुरान बकाया कज के आधार पर जमीन पर अपना दावा नही कर सकता। यदि इस तरह के दाव किय जाते है ता उक्त महाजन पर 2,000 रुपय तक का जुर्माना अथवा तीन वप की जल या दाना

सजाएँ दी जा सकती ह।

एक सतर्कता समिति का गठन किया जाना था जो यह देखेगी कि अध्यादेश के सभी प्रावधानो को लागू किया जा रहा है। इसका काम मुक्त किये गये बधुआ मजदूरा के आर्थिक पुनर्वास की भी देखरेख करना था।

इस मामले म भी कानून और इसे लागू किये जाने के बीच काफी बडा अतर था। बडे-बडे सामता के निहित स्वार्थ कानून को चलन नही दे सकते थे क्योकि इससे उन्ह आर्थिक हानि होती थी। इसलिए जानबूझ कर इन कानूनो म कोई-न-कोई खामी छोड दी गयी ताकि इन्ह आसानी से न पाटा जा सके। राज्य सरकारो न अध्यादश की उपेक्षा की। उन्होन जानबूझ कर मौजूदा बधुआ मजदूरा की सख्या को कम करके दिखाया और समय-समय पर बडी हठधर्मिता के साथ कहा कि उनके राज्य मे एक भी बधुआ मजदूर नही है। इसीलिए उनके द्वारा प्रदर्शित आकडो के अनुसार यह तादाद महज 1,20,000 थी।

लेकिन राष्ट्रीय श्रम सस्थान ने अपने सर्वेक्षण म यह साबित कर दिया कि देश मे लगभग 23 लाख बधुआ मजदूर हैं। पश्चिम बगाल सरकार न दावा किया कि उसके राज्य मे एक भी बधुआ मजदूर नही है। हमे पता है कि बारोमसिया, माहिन्दार, भतुआ आदि के नाम से ज्ञात बधुआ मजदूर इस राज्य म है और हर वष उनकी सख्या म वद्धि होती जा रही है। बधुआ मजदूरो का अस्तित्व बना हुआ है, पर पश्चिम बगाल सरकार अपनी खामोशी के जरिए और अपने उपेक्षा पूण रुख के द्वारा इस प्रणाली के प्रसार म मदद पहुँचा रही है।

कोइ भी व्यक्ति इसके लिए राज्य सरकार की उदासीनता, अफसरा की अक्षमता आदि का दोषी ठहरा सकता है। सचाई यह है कि सरकार घरलू और विदेशी दोना सामतो तथा पजीपतिया के हिता पर ध्यान देकर ही शासन चलाती है। सरकार ऐसे कानूनो को लागू कर ही नही सकती जा इनके आर्थिक हितो को नुक्सान पहुँचायें। लेकिन कानूना का पारित किया जाना जरूरी था वरना किसान लोग विद्रोह कर देते। सरकार जानती है कि ये कानून निरथक हैं और इनसे उन किसानो का कोई भला नही हागा जा गरीब हैं और दूसरे पर आश्रित ह। अदालत मे जाने का मतलब ह बेहद खच। साथ ही किसान उन महाजनो और जोतदारा का नाराज करना भी नही चाहते जो खेत म काम न होने के दिनो म भी उन्ह कज देते है और इस तरह के कर्जो पर किसान आश्रित रहत है। यदि वे नाराज हो जायेंगे तो भविष्य म कज नही मिल सकेगा। इसका दुखद पहलू यह है कि एसे ही कर्जों को लेकर उन्ह बधुआ मजदूर बनना पडता है। वे कोट-कचहरी म जा नही सकते। अगर वे अदालत का सहारा लेते है ता भविष्य म क्या वे फिर कज ले सकेंगे?

सरकारी विभाग भी पयाप्त रूप से सक्रिय नही हैं और उनमें स ज्यादातर

ग्रामीण क्षेत्रो म महाजना तथा जोतदारा के प्रभाव मे ह ।

सर्वेक्षण से पता चलता है कि जिन बधुआ मजदूरा को मुक्त कराया गया था, वे फिर महाजना के चगुल म पड गये ।

नवम्बर 1977 म रक्षामत्री श्री जगजीवनराम न बधुआ मजदूर प्रणाली पर आयोजित तीन दिन की कायशाला म अपन लिखित भाषण म बताया कि इस समस्या की जड म आर्थिक स्थितियाँ ह। हजारा लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिताते है और ऐस ऋण लेन के लिए मजबूर हाते ह जिनके कारण उन्ह बधुआ मजदूर बनना पडता है। यह नही भूलना चाहिए कि उन्ह साधारण मजदूर स बहुत कम मजदूरी दी जाती है और उन्ह अपनी इच्छा के विपरीत काम करना पडता है। उन्हान कहा कि कानून बना देना ही काफी नही है। लोगा की चेतना को विकसित करना और व्यवस्था के खिलाफ उन्ह खडा होने म मदद देना भी जरूरी है।

1975 म अध्यादेश पारित हुआ और 1976 म ससद म बताया गया कि आध्र प्रदेश म 14 और बिहार म 581 बधुआ मजदूरा को मुक्त कराया गया।

क्या किसी को विश्वास होगा कि इन दोना राज्यो म बधुआ मजदूरो की सख्या बस यही थी ? श्री जगजीवनराम न कहा कि जब तक सामाजिक तौर पर स्वीकृत वर्ण-व्यवस्था को दूर नही किया जाता, भयकर गरीबी दरिद्रता और खेतिहर मजदूर प्रथा को नही समाप्त किया जा सकता। वर्ण व्यवस्था का असर गरीबी म भी है। इसकी वजह से ही वे निम्नतम मजदूरी पर काम करने को विवश होते ह। उनकी गरीबी न उन्ह बधुआ मजदूर का दुर्भाग्यपूर्ण जीवन बिताने को विवश किया।

एक उदाहरण प्रस्तुत है

8 अक्तूबर, 1977 को बिहार सरकार के श्रम सचिव न सभी जिला मजिस्ट्रेटो के नाम एक सकुलर (स० ए ए सी 10140 एल० इ० 813) भेजा। इस सकुलर के जरिए जिलाधिकारियो को निर्देश दिया गया था कि जहा व यह महसूस कर रहे हो कि जमीदार और रैयत एक दूसरे के खिलाफ ह और उनके बीच मुठभेड की आशका है, वे न्यूनतम वतन कानून न लागू करें। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कुछ जमीदार और जोतदार न्यूनतम मजदूरी देन के बारे म अनिच्छुक थे।

जुलाई 1975 म उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मत्री श्री हेमवतीनदन बहुगुणा न बधुआ मजदूर प्रणाली समाप्त करन से सम्बधित विधेयक को विधान सभा म पेश करते हुए कहा था कि बधुआ मजदूरी कराने वाला के खिलाफ मीसा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तत्कालीन श्रममत्री श्री राजमगल पाडेय न कहा था कि इस बिल से इस बात की गारटी होगी कि एक एकड वाले छोटे किसाना

से लकर बधुआ मजदूरी करन वाल सभी लोगा को स्वतन कर दिया जायेगा। वास्तविकता यह है कि कुछ भी नही हुआ और साल दर-साल बधुआ मजदूरा की सख्या बढती ही गयी। ऐसा कोई प्रमाण नही है कि बधुआ मजदूरी कराने वाला के खिलाफ मीसा का इस्तमाल किया गया हो। अक्तूबर म राष्ट्रपति के अध्यादेश के बाद भी स्थिति म काई परिवतन नही हुआ।

जून 1976 की एक सरकारी रिपाट म बडे गव के साथ दावा किया गया कि आठ राज्या म 48 636 बधुआ मजदूरो का स्वतन कराया गया और अयो का मुक्त कराने की कोशिश की जा रही है। जिनको मुक्त कराया गया है, उ ह जमीन दकर या पशुपालन, मुर्गीपालन, ग्रामीण कला व शिल्प आदि म लगाकर फिर स बसाया जा रहा है। सरकारी विभाग, राष्टीयकृत बैंक ग्रामीण बैंक और सामाजिक कायकर्त्ता—सभी उनकी जरूरतो पर ध्यान दे रह है। उनकी आर्थिक अवस्था पर विचार किया जा रहा है। मुक्त किये गये मजदूरा मे से 14 आध्र प्रदेश स 581 बिहार स 27195 कनाटक मे 19000 उत्तर प्रदेश से, 10112 राजस्थान से 481 तमिलनाडु से 243 मध्यप्रदेश से और 10 उडीसा स थे।

उस वष सितम्बर माह म केन्द्रीय समीक्षा समिति की रिपोट म बताया गया कि आठ राज्या म 75,000 बधुआ मजदूरा का पता चला है। उनम से 5५,000 को मुक्त करा दिया गया है। इन मुक्त कराये गये लोगो मे से तीन हजार मजदूरा का फिर से बसाया गया है।

बिहार सरकार न भी ब धुआ मजदूरा का पता लगान उ ह मुक्त कराने और उनक पुनर्वास के लिए सतकता समितिया और कायकारी मजिस्ट्रेटा की नियुक्ति की। कानून का उल्लघन करन के लिए दा व्यक्तिया को सजा दी गयी और उ ह एक वष के लिए जेल भेज दिया गया। आध्र प्रदेश म भी ऐसी ही व्यवस्था की गयी जहाँ बधुआ मजदूरा को स्वतत्र कराया गया और खेती करन तथा रहन के लिए उ ह जमीन दी गयी। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उडीसा और राजस्थान मे भी यही हुआ। उपराक्त सभी मामलो म औरखासतौर से आदिवासी इलाका म कानून को अमल म लान म ढिलाइ देखी जा सकती है। फलस्वरूप मुक्त कराये गय बधुआ मजदूर सरकारी मन्द के लिए अनिश्चित काल तक इतजार नही कर सकते थे। साथ ही अध्यादश क आ जान स जोतदारा महाजना तथा मजदूरा के बीच सबध कटु हो गय थे। इस बात की सभावना नही रह गयी थी कि मुक्त कराये गये बधुआ मजदूरा का मालिको के खेत पर फिर काम मिल सकेगा। इसका नतीजा यह हुआ कि मुक्त कराय गये मजदूर एक बार फिर बधुआ बनन के लिए मजबूर हो गये।

1978 के आकडा स पता चलता है कि 56 प्रतिशत बधुआ मजदूर पिछले

तीन वर्षों म और 33 प्रतिशत पिछन एक वप म बधुआ बनाय गय।

अनक राज्य सरकारें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणा स इस प्रथा के उमूलन को अपन यहाँ स्वीकार नहीं कर सकी। जो भी कदम उहोंने उठाये वे महज केन्द्र सरकार के दबाव के कारण थे। जस ही श्रीमती गाधी चनाव हार गयी और जनता पार्टी सत्ता म आयी, उहान अपन सार प्रयास छाड दिय। हजारा मजदूरा का जिह मुक्त कराया गया था, भूखे भेडिया के सामन फाक दिया गया। राजस्थान का दष्टात उल्लेखनीय है। यहाँ काश्तकारी कानून और जागीरदारी प्रथा के समाप्त हान के बाद जबरन मजूरी प्रणाली समाप्त हा गयी थी। लेकिन बधुआ मजदूरा (जिह सागरी कहा जाता था) का अस्तित्व बना रहा। छोटे छाटे कर्जों क कारण हजारा खेतिहर मजदूरा को गुलामी के लिए मजबूर किया गया। श्रीमती गाधी के शासन-काल म 5,384 बधुआ मजदूरा को मुक्त किया गया। उनके पुनर्वास का जिस समय प्रयास किया जा रहा था जनता पार्टी सत्ता म आ गयी और राजस्थान म हरिदेव जाशी की सरकार ने जोतदारो और महाजना के खिलाफ जा भी मामल थे, वापस ले लिय। इसक बाद यहा की सरकार का पतन हो गया और राज्य म राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और तब तत्कालीन राज्यपाल न पिछली सरकार द्वारा लिये गय फसला का पालन करन का फसला किया। सागरी मजदूरा के 693 मालिको के खिलाफ मुकदमा चलाया गया जिनम से 77 को सजा हुई और सबूत के अभाव म 77 को रिहा कर दिया गया। अपन खिलाफ मामले वापस ले लिये जान के बाद इन सभी न एक बार फिर नये जाश के साथ अपनी नापाक हरकतें शुरू कर दी।

मध्य प्रदेश का उदाहरण लें। यहा राज्य सरकार बधुआ मजदूरा का पता नही लगा सकी बल्कि यह कहना ठीक हागा कि इसन बधुआ मजदूरा का पता नही लगाया। इसलिए उनको मुक्त करान और उनको फिर स बसाने के सिलसिल म भी कुछ नही किया जा सका। केन्द्र सरकार द्वारा दिय गय दा कराड रुपय का कोई इस्तमाल नही हुआ और वह तिजारी म पडा रहा। 1978 म राष्ट्रीय श्रम सस्थान न एक रिपाट प्रकाशित की जिसम कहा गया था कि राज्य म बधुआ मजदूरो की सख्या 5 लाख है। 42 जिलो के 172 गावों म बधुआ मजदूरा की मौजूदगी बतायी गयी थी जिनमे अधिकाश हरिजन तथा आदिवासी थे। इनम से विशेष रूप से उल्लेखनीय जिले है—बिलासपुर, शहडोल, सरगुजा, विदिशा सतना, रायगढ और बस्तर। इनम स प्रत्यक जिले म 20,000 से अधिक बधुआ मजदूर थे। इसके बाद बालाघाट छतरपुर, माडला राजगढ सागर, रीवा गुना और मुरना का स्थान ह। इनम स प्रत्येक म 10 000 स 20 000 बधुआ मजदूर थ। इसके बाद तीसरे स्थान पर है—धार इन्दौर रायसन रतलाम सेहोर शाजापुर खडगोन, उज्जन, ग्वालियर और शिवपुरी। इनम से प्रत्यक म

5,000 म 10,000 बधुआ मजदूर थे। अनुसूचित जातिया और जनजातियों के आयुक्त की विभिन्न रिपोर्टों तथा मध्य प्रदश हरिजन सेवक सघ द्वारा किये गये प्रयासा के जरिए भी इन आकडो की पुष्टि की जा सकती है। फिर भी राज्य सरकार इन बधुआ मजदूरो की शिनाख्त नही कर सकी—बेशक आपातकाल के दौरान इसने महज यह स्वीकार किया कि राज्य म बधुआ मजदूर हैं। बडी आसानी स यह निष्कप निकाला जा सकता है कि इसके पीछे कोई गहरी चाल थी। बाद म, जिन बधुआ मजदूरो को आजाद कराया गया था वे एक बार फिर बधुआ बन गय, क्योकि उन्हे कोई मदद नही दी गयी।

इस अध्यादश का महाराष्ट्र की स्थिति पर भी कोई प्रभाव नही पडा। राज्य सरकार न यह मानन से इकार किया कि उसके यहा बधुआ मजदूर है। जाहिर है कि ऐसी स्थिति म अध्यादश का लागू करन का सवाल ही नही पदा हुआ और मामला के हित बरकरार है।

फिर भी सर्वेक्षणा से पता चला कि यहा बधुआ मजदूरा की सख्या उल्लखनीय थी। इस सन्दभ म कुख्यात जिले थ—थान, कालाबा, नासिक, धुलिया और चद्रपुर। 1976 म अगस्त से अक्तूबर के बीच भूमि-सेनाओ न पालघाट तालुक के 190 गावा मे से 20 का सर्वेक्षण किया जहा आदिवासिया की सख्या काफी थी। केवल 20 गावा म इन्हान 261 बधुआ मजदूरा का पता लगाया। इन सबस मिल पाना सभव नही था और इनम से अधिकाश मजदूर साहूकारा और महाजना से इतन भयभीत थे कि जुबान भी नही खोलत थ। लगभग सौ लोगा स बातचीत की गयी और बातचीत के दौरान पता चला कि इनम स 50 प्रतिशत लोगा को इसलिए बधुआ बनना पडा था, क्योकि इन्हान कज लिया था और कज की यह राशि 600 रुपय स कम ही थी। शप लोग 600 रुपय म 1500 क रुपय के बीच की राशि कज के रूप मे लेन के कारण बधुआ बन थे। लगभग 33 प्रतिशत लोग छह वप स भी कम समय से बधुआ के रूप म काम कर रह थ। शेप 6 वप से लकर 21 वप से बधुआ बने हुए थे। जिन 100 लोगा मे बातचीत की गयी उनम मे 35 लागा का यह याद भी नहा था कि उन्होंने कितन रुपये कज के रूप म लिय थ। 87 लागों को इस बात की कोई जानकारी नही थी कि उनक ऊपर अभी कितना कज बाकी है। 70 लागा का अपन कज की व्याज दर का पता नही था।

100 मजदूर एसे थे जो प्रतिदिन 11 घटे काम करत थे। 21 लाग अपन बचपन स ही बधुआ थ और शादी के बाद भी उसकी यही स्थिति बनी रही। 79 लोग ऐसे थे जिन्ह शादी के बाद इस दुभाग्य का शिकार होना पडा। इन 100 म से एक मजदूर ऐसा भी था जिसे नकद या अन्य रूप म कोइ वतन नहीं मिलता था—उसे बस दोनो वक्त खाना मिलता था। दो मजदूर एम थ जिन्ह प्रतिदिन

दो रुपय मिलते थ। 97 मजदूरा का वतन के रूप म अनाज दिया जाता था। 71 मजदूर ऐसे थ जिन्ह प्रतिदिन 1 प्याली (600 ग्राम) चावल मिलता था। 26 लागा का हर महीने 20 प्याली वतन के रूप म मिलते थे—इन्ह अतिरिक्त रूप से 20 प्याली और दिया जाता था जिसस इनका कज बराबर होता था। महिला मजदूरा का प्रतिदिन एक प्याली चावल मिलता था। इन सौ लोगा म स 13 मजदूर अकेले थे और 43 दम्पति थ।

हिमाचल प्रदेश सरकार न भी अपन राज्य म बधुआ मजदूरों की मौजूदगी से इकार किया। फिर भी अक्तूबर 1975 म हरिजन सेवक सघ न सिरमार जिले के पुण्टु तालुक म 12 गाँवा का सर्वेक्षण किया और 63 बधुआ मजदूरा का पता लगाया। य काली और डाम जाति क थ—दोना जातियाँ हरिजन ह। इन पर सौ रुपये स लेकर तीन हजार रुपय का कज था। इन्ह अपनी गुलामी के बदले म थोडा सा चावल और पुरान कपड मिलत थ। अनुमान लगाया जा सकता है कि अन्य जिला म भी यह प्रथा प्रचलित थी।

सरकार न चूकि इस प्रथा के अस्तित्व से ही इकार किया था इसीलिए इसक उन्मूलन का सवाल भी नही पदा हुआ। इस प्रकार निहित स्वार्थी तत्वा न इससे सबद्ध अध्यादेश का नाकाम कर दिया।

सितम्बर 1976 म नयी दिल्ली के सूत्रा से पता चला कि 73,909 बधुआ मजदूरा की शिनाख्त की गयी थी। इनम से 55 555 का मुक्त कराया गया और 3,039 का फिर स बसाया गया। बधुआ मजदूरा के बार म सरकारी तौर पर जो आकडे एकत्रित किय गये थ इनम आध्र प्रदश म 826, बिहार म 581, उडीसा म 285, मध्य प्रदेश म 243 राजस्थान म 4,974 तमिलनाडु म 2,416, कर्नाटक म 33,584, और उत्तर प्रदेश म 39,000 थे।

उस वष राष्ट्रीय प्रतिचयन सर्वेक्षण के 27वें चक्र म जो सर्वेक्षण हुआ, उससे एक अलग ही तसवीर उभर कर आयी। रिपोट म कहा गया था कि नियमित वतन पान वाल कमचारिया और वतन भोगी मजदूरा म भी बधुआ मजदूर थे। इनका प्रतिशत हिमाचल प्रदश बिहार तथा अन्य राज्या म क्रमश 0 74 5 और 2 3 था। देश म कुल कामकाजी लोगो की सख्या 24 करोड थी जिसम म 70 लाख वेतनभोगी कमचारी और मजदूर थे। इन आँकडा का रिजव बक ऑफ इडिया तथा अनुसूचित जातिया और जनजातिया के आयुक्त ने भी समथन किया था।

सरकारी आकडो और सर्वेक्षणो से प्राप्त आकडा म इतना ज्यादा अतर क्या था ? ऐसा इसलिए हुआ क्याकि महाजना और जोतदारा के हिता की रक्षा के लिए राज्य सरकार ने बधुआ मजदूरो के अस्तित्व से ही इकार किया था। यदि व इनके अस्तित्व को स्वीकार कर लेती तो इन मजदूरा का मुक्त करान के

लिए कानूनी क़दम उठाने का भी सवाल पदा होता। इससे निहित स्वार्थी तत्वा का चाट पहुँचती जा मौजूदा सामाजिक स्थिति म सभव नही था। इसी कारण न्यूनतम मजदूरी कानून भी लागू नहीं हुआ और खेतिहर मजदूर कम मजदूरी पर काम करते रहे।

बधुआ मजदूर निरक्षर थे और उन्ह अपने अधिकारा की जानकारी नही थी। इनम से अनेक को आज भी यह नही पता है कि कानून की निगाह म व एक स्वतत्र नागरिक ह। अपनी अज्ञानता के कारण व अपने वाजिब हक के लिए एकजुट नहीं हो सके।। अक्तूबर 1975 के अध्यादेश के जरिए व मुक्त नहीं हो सके। यदि एसा होता तो वे उन महाजना और जोतदारा क खिलाफ आन्दोलन सगठित करते जिन्होने उन्ह अभी भी बधुआ बना रखा था। राजनीतिक दला न भी चुप्पी साध रखी थी क्योकि किसाना और खेतिहर मजदूरा की तुलना म जोतदारा और महाजना के साथ उनके ज्यादा पारस्परिक सबध थ।

ध्यान देने की बात है कि राजस्थान तमिलनाडु और उडीसा न सविधान क अतगत इस व्यवस्था को गैर-कानूनी घोषित कर दिया था और अपने-अपने राज्या म क्रमश 1956 1940 और 1920 म इसका उन्मूलन कर दिया था। फिर भी बधुआ मजदूरा को इसकी कोई जानकारी नहीं थी और न अपने अधिकारा के लिए किसी तरह क दावे नही कर सकते थे। यदि उन्ह उचित मजदूरी मिलती तो व शायद इतना कर्ज न लेते जिससे उन्ह बधुआ बनना पडा। चूकि व अपढ थे, इसलिए यह नही समझ सके कि अदायगी किये जाने के बावजूद महाजन के खाते में कस उनका कर्ज बढता रहा।

वेंकटस्वामी की ही मिसाल ले जिसने 25 प्रतिशत ब्याज पर दो वर्ष क लिए 270 रुपया कर्ज लिया था। इसके एवज म वह 730 दिन तक काम करने के लिए राजी हुआ था। इस ठके की अवधि क अत के समय उस पर 405 रुपय चढ चुके थे। यदि उसे 4 50 रुपये प्रतिदिन की दर से न्यूनतम मजदूरी मिली होती तो उसके हिस्से म 3,285 रुपय आते। अपना कर्ज चुकता करने के बाद भी उसके पास 2,880 रुपय होते। कहने की जरूरत नहीं कि उसे कुछ भी नहीं मिला। मुक्त कराय गये बधुआ मजदूरा क पुनर्वास के बार म सरकारी स्तर पर धुआँधार प्रचार किया गया। इस सिलसिले म कुछ राज्या की भूमिका का उल्लेख किया जाना चाहिए।

आकडा के अनुसार आध्र प्रदेश म सितम्बर 1976 तक 926 बधुआ मजदूरा का पता लगाया गया था। इनम से 698 को फिर म बसाने का दावा किया गया। सरकार न कलेक्टरा तथा हरिजना एव पिछडी जातिया क निदेशका को निर्देश दिये थे कि व मुक्त कराये गये बधुआ मजदूरा को खेती-बाडी और आवास के लिए जमीन की व्यवस्था करे। जमीन का ठीक करने तथा खेती-योग्य

बनाने के लिए कम ब्याज पर ऋण दिय जान की अपक्षा की जाती थी। राजस्थान म मुक्त कराय गये 1,328 बधुआ मजदूरा म स प्रत्येक का 500 रुपये का भुगतान किया गया। कुछ को तो काम दिये जान की भी बात कही गयी। बिहार म 581 बधुआ मजदूरा को स्वतत्र किया गया और 376 को बल, धान के बीज तथा उवरक प्रदान किया गया।

तमिलनाडु सरकार ने तहसीलदारो की नियुक्ति की ताकि अध्यादेश को कारगर बनाने की गारटी रहे। जिन पनियाआ को स्वतत्र किया गया उन्ह पहाडी क्षेत्रा की विकास योजनाआ म लगा दिया गया। छाटे किसाना को राष्ट्रीय कृत बक की मदद से कहायन पहाडी क्षेत्र म छाटे किसाना के विकास स सबधित कार्यों म लगा दिया गया। उत्तर प्रदेश म 31,000 बधुआ मजदूरा का पता लगाया गया और इनम से 19,177 को मुक्त कराया गया। 1976 म सितम्बर माह तक यह योजना बनायी जा रही थी कि 16,000 मुक्त मजदूरा को फिर स बसाया जाये।

अनक राज्य सरकारा न बधुआ मजदूरा के अस्तित्व से ही इकार कर दिया और कइया न अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड लिया। जिन्हाने बधुआ मजदूरा का पता लगाने और उन्ह फिर से बसान की दिशा म सक्रियता दिखायी थी, व इससे ज्यादा कुछ नही करत जा रहे थे। जिस तरह की याजनाएँ और कायक्रम वे बना रहे थे उससे पता चलता था कि न तो वे काइ सुनियाजित योजना ही बना रहे थे और न ऐसा करने की उनकी इच्छा ही थी। कोई अनुभव हीन व्यक्ति भी यह आसानी से समझ सकता था कि पुनर्वास के लिए आवश्यक चीजें हैं—खेती-योग्य जमीन, जातन के लिए मवेशी, खेती के उपकरण, बीज, उवरक और सिंचाई व्यवस्था। फसल तयार होने तक खाने पीन के लिए पास म पसा होना भी जरूरी था।

सचाई यह थी कि इस तरह की महायता नही दी गयी और पुनर्वास का काम शून्य ही रहा। इसका नतीजा भी वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। जिन्ह जमीन मिली भी, उन्हाने उसे महाजन को वापस लौटा दी और फिर अपन कधा पर गुलामी का जुआ लाद लिया। जिन्ह हल बैल दिया गया उन्हाने अपना पट भरा के लिए हल बल बेच दिया और एक बार फिर वे बधुआ मजदूर बन गय। जिन्ह नकद राशि मिली थी, उन्हाने उसे खच कर दिया और किसी का गुलाम बनकर वे फिर खेना म काम करन लगे। देश भर म यही स्थिति देखन को मिली। अध्यादेश के बाद बधुआ मजदूरा की कतार म 52 6 प्रतिशत एस लोग आ गय थ जो हाल म बधुआ बन थे।

केन्द्रीय श्रम मत्रालय और राज्य सरकारा के बीच भी एक लडाई है। दरअसल इस बात पर ध्यान नही दिया जाता कि बधुआ मजदूर महज बेजान

आकडे नही है बल्कि वे भी हाड मास के आदमी हैं जिन्ह जोतदारो और महाजनो का शोषण बरदाश्त करना पडता है। राष्ट्रीय श्रम संस्थान के अनुसार बधुआ मजदूरो की सख्या 23 लाख थी। राज्य सरकारो ने इससे इकार किया और इस सख्या को 1 लाख 20 हजार बताया। केन्द्र सरकार का दावा है कि यह सख्या 2 लाख से कुछ अधिक है। इसने राज्य सरकारो से सर्वेक्षण करने के लिए कहा। राज्य सरकारो और केन्द्र के बीच पत्राचार जारी है। कुछ राज्यो ने तो केन्द्र सरकार को जवाब देने की भी जरूरत नही समझी।

पुनर्वास के लिए पैसे की कोई कमी नही है। केन्द्र ने कुल खर्च का आधा हिस्सा देने पर सहमति व्यक्त की है। छठी योजना म इस काय के लिए 25 करोड रुपये का प्रावधान है। फिर भी कुछ नही किया गया। जब तक सरकारी व्यवस्था और भूमि व्यवस्था मे आमूल परिवतन नही होता, निहित स्वार्थों का ही बोलबाला रहेगा।

हर तरह विचार विमश और तरह-तरह की योजनाओ के बावजूद 10 प्रतिशत भी उपलब्ध किये जाने म शक है। केन्द्र के नेक इरादो को साबित किया जा सकता है। श्रीमती गाधी ने इस मसले को अपनी 20-सूत्री योजना म शामिल किया और इस सिलसिले म अध्यादेश जारी किया गया। लेकिन सचाई यह है कि कुछ भी नही बदला। सरकार बधुआ मजदूरो का पता नही लगा सकी और सरकारी तथा गैर सरकारी सगठनो द्वारा पेश किय गय आकडो को भी इसने मान्यता नही दी। पुनर्वास का काम खटाई म पडा रहा और बधुआ मजदूरो का शोषण जारी रहा।

सही तसवीर पाने के लिए जब सर्वेक्षण शुरू हुआ तब केवल 10 राज्यो ने बधुआ मजदूरो के अस्तित्व को स्वीकार किया। अन्य राज्यो ने बधुआ मजदूरो के अस्तित्व से इकार करके पहले से चली आ रही व्यवस्था की ही रक्षा की। क्या जिन राज्यो ने इनकी मौजूदगी को स्वीकार किया, वे सचमुच इस प्रथा को समाप्त करना चाहते थे? ऐसा करने का मतलब सामती प्रभुओ को कमजोर बनाना होता जो सरकार की रीढ हैं। इन राज्यो ने केवल राजनीतिक बाजीगरी दिखायी। आखिर किस तरह गुजरात म केवल 42 और उडीसा म महज 311 बधुआ मजदूरो के होने की बात कही गयी? आखिर कैसे दस सत्यवादी राज्यों म इनकी सख्या केवल 1 लाख 20 हजार बतायी गयी? तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की सरकारें किस तरह यह दावा कर सकी कि उनके राज्यो म न केवल बधुआ मजदूरो का पता लगा लिया गया है और उन्ह मुक्त करा दिया गया है बल्कि उन्हें फिर से बसा भी दिया गया है? फिर भी इडियन इन्स्टीटयूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चार सदस्यो ने उत्तर प्रदेश का सर्वेक्षण किया और बताया कि बधुआ मजदूरो के पता लगाने का काम बहुत कठिन है क्योकि वे महाजनो और

अपने मालिको स इतन भयभीत है कि कुछ भी बोलन म घब
यदि सचमुच मदद करती तो यह काम कठिन नही होता ।

इस मसल पर बेशुमार धन खच किया जा चुका है, हालांकि
की हालत पहले जैसी ही बनी रही। 1978 79 म कर्नाटक न
378 बधुआ मजदूरो के पुनर्वास के लिए 5 07 लाख रुपये खच
388 मजदूरो के पुनर्वास पर 2 69 लाख रुपय मध्य प्रदेश न
पुनर्वास पर 2 37 लाख रुपये, उडीसा न 308 लोगो के पुनवास
रुपये राजस्थान ने 700 मजदूरो के पुनर्वास पर 14 लाख रुपय
न 495 मजदूरो के पुनवास पर 10 लाख रुपय खच किय।

तमिलनाडु सरकार के अनुसार बधुआ मजदूरो की सख्या 2
1977 78 म 517 मजदूरो को फिर से बसाया गया। 19
द्वारा इसी काम के लिए दिय गय 5 32 लाख रुपय यह खच
आध्र प्रदेश न 1978 79 म मुक्त कराय गय 2,920 बधुआ मज
पर 18 01 लाख रुपय खच किये।

1978 79 म मुक्त कराय गय बधुआ मजदूरो के पुनवास
97 64 लाख रुपय प्रदान किय। बताया जाता है कि 5,420 मज
पर राज्यो ने इसम स 55 92 लाख रुपय खच किय।

1979 80 म 53 62 लाख रुपय दिय गय थे। इस धन को (
के पुनवास म व्यय किया जाना था। चालू वष के लिए 3 क
प्रावधान है। यह पसा बेकार पडा हुआ है, क्योकि कर्नाटक और
छोडकर दूसर किसी राज्य न कोई योजना नही पेश की।

यदि काम की प्रगति इसी रफ्तार म होती रही तो पुनवास
चला जायेगा। छठी योजना म 25 करोड रुपय का जो प्रावधान
इस्तमाल नही हो सकेगा।

यह मान लेना कठिन है कि महज इस पसे के खच किय जा
कराये गय मजदूरो को समाज म उचित स्थान प्राप्त हो जायगा।
देख लिया है कि पुनर्वास की योजना एक ढोग है। हम यह नही
भावी योजनाएँ इससे कुछ बेहतर होगी।

जब तक बधुआ मजदूरो म चेतना नही पदा होती और वे
खडे नही हो जाते, कोई भी उन्ह आजाद जिन्दगी बिताने का हक नह

करने के काम म या जगला म दैनिक मजदूरी पर काम करें। इस तरह के काम न तो हमेशा उपलब्ध रहत ह और न सबको दिये जा सकते ह। भूख और गरीबी न एक बार फिर उन्ह बधुआ बनने के लिए मजबूर कर दिया।

मजदूरो की ठेकेदारी करन वालो को इसी मौके का इतजार था। जनता सरकार के शासन काल मे ठेकेदारो न बिहार और उत्तर प्रदश म मुक्त कराये गये इन मजदूरो को गुजरात, पजाब और महाराष्ट्र म काम करने के लिए भेज दिया।

1979 के अकाल न इस प्रक्रिया मे तेजी ला दी। भूख और गरीबी का अब ज्यादा जोर था। सरकार की तरफ म किसी तरह की राहत नही मिली जो अस्थायी तौर पर इन लोगा को मदद पहुँचा सकती। इसलिए उनके दल के दल अपक्षाकृत समृद्ध राज्या म भेज दिये गय जहा उद्योगो तथा बडे बडे कृषि फार्मों म काम करने के लिए सस्ते मजदूरा की जरूरत थी। कोटा से दूसरे राज्य म स्थानातरित एक मजदूर न बताया कि किस प्रकार अकुशल मजदूरो का महाराष्ट भेजा गया। ये सभी मुक्त कराये गय बधुआ मजदूर थे। पजाब के धनी किसानो न भी ठेकेदारो के जरिए कई हजार एसे मजदूरा का आयात किया जिन्हें बधुआ जिंदगी से मुक्त कराया गया था।

महाराष्ट और पजाब म इन मजदूरो का जो अत्याचार झेलना पडता है उसकी जानकारी किसी को भी उत्तर प्रदेश म हा सकती है। ठेकेदारा न अच्छी तनख्वाह, अच्छा भोजन और आरामदेह मकान का लालच देकर इन मजदूरो को महाराष्ट्र पहुचा दिया। लेकिन सचाई यह थी कि उन्ह इतने पैसे भी नही मिलत थे जिससे वे दिन म एक बार भी अपना पट भर सकें और रहन के लिए उनके पास काइ जगह भी नही थी।

जा पजाब गय उनकी हालत भी बदतर थी। उन्ह न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही थी। काम के घटे बहुत ज्यादा थे। उनकी हालत पहले जसी ही थी— बस, अब मालिक बदल गये थे।

इसका सारा दाप पुनवास क काम म सरकार की उपक्षा का दिया जाना चाहिए। बधुआ जिंदगी स आजाद इन मजदूरा न अपन का और भी बुरी हालत म पाया, क्योकि सरकार ने अपन उस कत्तव्य का पालन नही किया था जो इनका मुक्त कराय जाने के बाद उसे करना चाहिए था।

मुक्त कराये गये मजदूर महाजनो और जोतदारा के पास नही जा सक, क्योकि कानूनी कदम उठाने के कारण इनसे उनके सबध कटु हो चुके थ। साथ ही सरकार न बैंका तथा इस तरह की सस्था का गठन नही किया था जिसम ऋण के रूप म मजदरा का कुछ सहायता मिल सके।

दरअसल ऐसी कोई सस्था नही है जिसे सरकार गाव के महाजना के स्थान

तरह के कानूना से किसको ज्यादा खुशी होती ?

अध्यादश म वर्णित रूपो के अतिरिक्त और भी कई तरह के बधुआ मजदूर है। व कानून के दायर म नही आत। उनके राज्या न इनक अस्तित्व स ही इकार करके इस प्रथा का बनाय रखन म मदद पहुँचायी है। तो भी राष्ट्रीय श्रम सस्थान न साबित कर दिया है कि बधुआ मजदूरो का अस्तित्व है और इनकी सख्या बढती जा रही है।

मुक्त कराये गय बधुआ मजदूरा का दी गयी जमीन खेती योग्य नही थी और फसल तयार हान तक उनक भरण पोषण का कोइ इतजाम नही किया गया था। कुछ का हल मिला तो बल नही और कुछ को बल मिला तो हल नही। कुछ को खाद बल और हल मिला तो जमीन नदारद। गजब की थी यह पुनवास योजना !

यह एक सुनियोजित तमाशा था। इस तमाश स आकर्षित न होन वाला म दिना दिन बढती तादाद म मुक्त कराय जा रहे व बधुआ मजदूर थे जिनके कधा पर एक नयी तरह की गुलामी का जुआ रखा जा रहा था।

परिशिष्ट

# बधित श्रम-पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976

**(1976 का अधिनियम सख्याक 19)**

*(9 फरवरी, 1976)*

जनता के दुबल वर्गों के आर्थिक और शारीरिक शोपण का निवारण करन के उद्देश्य से बधित श्रम-पद्धति के उत्सादन का और उससे सबधित या उसके आनुषगिक विपयो का उपबध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छब्बीसवे वष म ससद द्वारा निम्नलिखित रूप मे यह अधिनियमित हो—

## अध्याय 1

## प्रारभिक

**सक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारभ**

1 (1) इस अधिनियम का सक्षिप्त नाम बधित श्रम पद्धति (उत्सादन) नियम, 1976 है।

(2) इसका विस्तार सपूण भारत पर है।

(3) यह 1975 के अक्तूबर के पच्चीसवें दिन को प्रवत्त हुआ समझा जायगा।

परिभाषाएँ

2 इस अधिनियम म, जब तक कि सन्भ स अ यथा अपेक्षित न हो—

(क) 'अग्रिम' से, चाहे नक्द या वस्तु रूप म अथवा भागत नकद या भागत वस्तु रूप म ऐसा अग्रिम अभिप्रेत है जो एक व्यक्ति द्वारा (जिसे इसम इसक पश्चात ऋणी कहा है) दिया जाता है

(ख) 'करार' से ऋणी और लनदार के बीच करार (चाहे वह लिखित रूप म हो या मौखिक अथवा भागत लिखित रूप मे हो और भागत मौखिक) अभिप्रेत है और इसके अन्तगत कोइ एसा करार भी है जिसम ऐस बलात श्रम का उपबन्ध किया गया है जिसके अस्तित्व की उपधारणा सबधित परिक्षेत्र म प्रचलित किसी सामाजिक रूढि के अधीन की जाती है।

स्पष्टीकरण—ऋणी और लेनदार क बीच करार के अस्तित्व की उपधारणा सामाजिक रूढि के अधीन निम्नलिखित प्रकार के बलात श्रम के सबध न की जाती है, अर्थात

आदियामार बारामासिया बसहया बेथू, भगेला, चेरूमार, गारूगल्लू हाली, हारी हरवइ, हालया, जाना, जीता, कामिया, खुडित मुडित, कुथिया लखरा मुची, मेट, मुनीश पद्धति नित मजूर पलरू पडियाल पनाईलाल मागडी, सजी सजावत सवक सेवकिया, सेरी, वट्टी

(ग) मातप्रधान समाज क व्यक्ति के सबध म पूवपुरुष या वशज' म वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो उस समाज म प्रवत्त उत्तराधिकार की विधि के अनुसार एसी अभिव्यक्ति के समरूप है,

(घ) 'बधित ऋण' स ऐसा अग्रिम अभिप्रत है जो बधित श्रम-पद्धति क अधीन या उसके अनुसरण म बधित श्रमिक द्वारा अभिप्राप्त किया जाता है या जिसक बारे म यह उपधारणा की जाती है कि वह एस अभिप्राप्त किया गया है,

(ङ) 'बधित श्रम' स बधित श्रम पद्धति के अधीन किया गया कोइ श्रम या की गयी कोई सवा अभिप्रेत है

(च) बधित श्रमिक स ऐसा श्रमिक अभिप्रेत है जो बधित ऋण उ करता है या जिसने उपगत किया है या जिसके बार म यह उप की जाती है कि उसने वह उपगत किया है

(छ) 'बधित श्रम पद्धति से बलात श्रम या भागत बलात श्रम की अभिप्रेत है जिसके अधीन ऋणी लेनदार स इस आशय का करार क है या जिसन ऐसा करार किया है या जिसके बार म यह उपधारणा

परिशिष्ट

# वधित श्रम-पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976

**(1976 का अधिनियम सख्याक 19)**

*(9 फरवरी, 1976)*

जनता के दुवल वर्गो के आर्थिक और शारीरिक शोपण का निवारण करन के उद्देश्य से वधित श्रम-पद्धति के उत्सादन का और उससे सबधित या उसके आनुषगिक विपयो का उपवध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छब्बीसवे वप म ससद द्वारा निम्नलिखित रूप म यह अधिनियमित हो—

**अध्याय 1**

प्रारभिक

**सक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारभ**

1 (1) इस अधिनियम का सक्षिप्त नाम वधित श्रम पद्धति (उत्सादन) नियम, 1976 है।

(2) इसका विस्तार सपूण भारत पर है।

(3) यह 1975 के अक्तूबर के पच्चीसवे दिन को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

**परिभाषाएँ**

2 इस अधिनियम म, जब तक कि सदभ स अयथा अपेक्षित न हो—

(क) 'अग्रिम' स, चाहे नक्द या वस्तु रूप म अथवा भागत नकद या भागत वस्तु रूप म, ऐसा अग्रिम अभिप्रेत है जो एक व्यक्ति द्वारा (जिसे इसम इसक पश्चात ऋणी कहा है) दिया जाना है,

(ख) 'करार' म ऋणी और लेनदार क बीच करार (चाह वह लिखित रूप म हो या मौखिक अथवा भागत लिखित रूप म हो और भागत मौखिक) अभिप्रेत है और इसक अन्तगत कोइ एसा करार भी है जिसम एस बलात श्रम का उपबन्ध किया गया है जिसक अस्तित्व की उपधारणा सबधित परिक्षेत्र म प्रचलित किसी सामाजिक रूढि क अधीन की जाती है।

**स्पष्टीकरण**—ऋणी और लेनदार क बीच करार क अस्तित्व की उपधारणा सामाजिक रूढि के अधीन निम्नलिखित प्रकार के बलात श्रम के सबध म की जाती है, अथात

आदियामार बारामासिया बसहया बधू भगेला, चेरूमार गारगल्लू हाली, हारी हरवई हालया, जाना जीता कामिया खुदित मुडित कुथिया लेखेरी, मुझी मेट, मुनीश पद्धति नित मजूर पलेर पडियाल पनाईलाल, मागडी, मजी, मजावन, सेवक सवक्यिा सेरी वेट्टी,

(ग) मातप्रधान समाज के व्यक्ति क सबध म 'पूवपुरुष या वशज' स वह व्यक्ति अभिप्रेत है जा उस समाज म प्रवत्त उत्तराधिकार की विधि के अनुसार एसी अभिव्यक्ति के समरूप हे

(घ) 'बधित ऋण' स एसा अग्रिम अभिप्रेत है जा बधित श्रम-पद्धति के अधीन या उसक अनुसरण म बधित श्रमिक द्वारा अभिप्राप्त किया जाना ह या जिसक बार म यह उपधारणा की जाती ह कि वह एस अभिप्राप्त किया गया है

(ङ) 'बधित श्रम स बधित श्रम-पद्धति क अधीन किया गया कोई श्रम या की गयी कोई सवा अभिप्रेत है

(च) बधित श्रमिक स एसा श्रमिक अभिप्रेत है जा बधित ऋण उपगत करता ह या जिसन उपगत किया ह या जिसक बार म यह उपधारणा की जाती है कि उसन वह उपगत किया है

(छ) 'बधित श्रम पद्धति से बलात श्रम या भागत बलात श्रम की पद्धति अभिप्रेत है जिसके अधीन ऋणी लेनदार स इस आशय का करार करता है या जिसन एसा करार किया है या जिसके बार म यह उपधारणा की

जाती है कि उसने ऐसा करार किया है कि—

(1) उसके द्वारा या उसके पारम्परिक पूवपुरषा या वशजो म से किसी के द्वारा अभिप्राप्त उधार के प्रतिफल म (चाहे एसा अग्रिम किसी दस्तावेज द्वारा साक्ष्यित है या नही) और एसे अग्रिम पर देय ब्याज के, यदि कोई हो, प्रतिफल म अथवा

(2) किसी रुढिगत या सामाजिक बाध्यता के अनुसरण म, अथवा

(3) किसी ऐसी बाध्यता के अनुसरण मे जो उत्तराधिकार द्वारा उसको यागत हुई है अथवा

(4) उसके द्वारा या उसके पारम्परिक पूवपुरपा या वशजो म से किसी के द्वारा प्राप्त किसी आर्थिक प्रतिफल के लिए, अथवा

(5) किसी विशप जाति या समुदाय म उसके ज म लेन के कारण,

वह—

(i) स्वय या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के माध्यम स या अपन पर आश्रित किसी व्यक्ति के माध्यम से लेनदार का, या देनदार के फायदे के लिए श्रम या सेवा, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या अविनिर्दिष्ट अवधि के लिए या तो मजदूरी के बिना या नाममात्र की मजदूरी पर करेगा, अथवा

(ii) अपन नियोजन या अपनी जीविका के अय साधना की स्वतनता विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या अविनिर्दिष्ट अवधि के लिए खा देगा अथवा

(iii) भारत राज्य क्षेत्र म सवत्र अबाध सचरण का अपना अधिकार खा दगा अथवा

(iv) अपनी किसी सम्पत्ति या अपन श्रम क या अपन कुटुम्ब के किसी सदस्य या अपन पर आश्रित किसी व्यक्ति के श्रम के उत्पाद को विनियोजित करन या उसे बाजार मूल्य पर विक्रय करन का अपना अधिकार खा देगा,

और इसके अ तगत बलात श्रम या भागत बलात श्रम की वह पद्धति भी है जिसके अधीन ऋणी प्रतिभू लनदार के साथ इस आशय का करार करता है या जिसन एसा करार किया है या जिसके बार म यह उपधारणा की जाती है कि उसन एसा करार किया है कि ऋणी द्वारा ऋण का प्रतिसदाय करन म असफल रहन की दशा म वह ऋणी की ओर से बधित श्रम करेगा

(ज) किसी व्यक्ति क सबध म कुटुम्ब के अ तगत उस व्यक्ति का पूवपुरुष और वशज भी है,

(थ) किमी श्रम क सबध म 'नाममात्र की मजदूरी' स वह मजदूरी अभिप्रेत है जो—

(क) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसी श्रम या उसी प्रकृति के श्रम के सबध म सरकार द्वारा नियत निम्नतम मजदूरी से कम है और

(ख) जहा किसी प्रकार क श्रम के सबध म ऐसी यूनतम मजदूरी नियत नहीं की गयी है वहा, उसी परिक्षेत्र म काम करने वाले श्रमिको को उसी श्रम या उसी प्रकृति के श्रम के लिए प्रसामान्यत सदत्त मजदूरी स कम है

(ञ) 'विहित' से इस अधिनियम के अधीन बनाय गय नियमो द्वारा विहित अभिप्रेत है।

**अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव**

3 इस अधिनियम के उपबन्ध, इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति म या इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति क आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत म उनस असगत किसी बात क होते हुए भी प्रभावी होंग।

## अध्याय 2

## बधित श्रम-पद्धति का उत्सादन

4 (1) इस अधिनियम क प्रारभ पर बधित श्रम-पद्धति का उत्सादन हो जायगा और एस प्रारभ पर प्रत्यक बधित श्रमिक, बधित श्रम करन की किसी भी बाध्यता स मुक्त और उन्मोचित हो जायगा।

(2) इस अधिनियम क प्रारभ क पश्चात कोई व्यक्ति —

(क) बधित श्रम-पद्धति क अधीन या उसक अनुसरण म कोई अग्रिम नही दगा, अथवा

(ख) किसी व्यक्ति को कोइ बधित श्रम या किसी अन्य प्रकार का बलात श्रम करने के लिए विवश नहा करगा।

**करार, रूढि, आदि का शून्य होना**

5 इस अधिनियम क प्रारभ पर कोई एसी रूढि या परम्परा या कोइ सविदा, करार या अय लिखत (चाह वह इस अधिनियम के प्रारभ क पूर्व या उसक

पश्चात की गयी हो या निष्पादित की गयी हो) जिसके आधार पर किसी व्यक्ति स या उस व्यक्ति क कुटुम्ब के किसी सदस्य स या उस व्यक्ति के आश्रित स बधित श्रमिक के रूप म काई काम करन या सेवा करन की अपेक्षा की जाती है, शूय और अप्रवतनशील होगी।

## अध्याय 3

## बधित ऋण का प्रतिसदाय करने के दायित्व की समाप्ति

6 (1) इस अधिनियम के प्रारभ पर किसी बधित ऋण का प्रतिसदाय करन या एस प्रारभ क ठीक पूव चुकता न किय गय किसी बधित ऋण के किसी भाग का प्रतिसदाय करन के लिए बधित श्रमिक का प्रत्यक दायित्व समाप्त हुआ समझा जायेगा।

(2) इस अधिनियम के प्रारभ के पश्चात किसी बधित ऋण या उसके किसी भाग की वसूली के लिए काइ वाद या अय कायवाही किसी सिविल यायालय म या किसी अय प्राधिकारी के समक्ष नही होगी।

(3) बधित ऋण की वसूली के लिए प्रत्यक डिक्री या आदेश, जो इस अधिनियम क प्रारभ क पूव पारित किया गया हो और ऐस प्रारम्भ के पूव पूणतया चुकता न किया गया हो एस प्रारम्भ पर पूणतया चुकता किया गया समझा जायेगा।

(4) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूव किसी बधित ऋण की वसूली के लिए की गयी प्रत्यक कुर्की एस प्रारम्भ पर समाप्त हो जायगी और जहा ऐसी कुर्की के अनुसरण म बधित श्रमिक की काइ जगम सम्पत्ति अभिगृहीत हो गयी थी और उसकी अभिरक्षा स हटा ली गयी थी और उसर विक्रय के लम्बित रहन के दौरान किसी यायालय या अय प्राधिकारी की अभिरक्षा म रखी गयी थी वहा एसी जगम सम्पत्ति का कब्जा एस प्रारम्भ के पश्चात यथासाध्य शीघ्रता स, बधित श्रमिक को वापस कर दिया जायगा।

(5) जहा इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूव बधित श्रमिक की या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य या अय आश्रित की किसी सम्पत्ति का कब्जा किसी बधित ऋण की वसूली के लिए किसी लेनदार द्वारा बलपूवक ले लिया गया था वहा एसी सम्पत्ति का कब्जा एस प्रारम्भ के पश्चात यथासाध्य शीघ्रता स उस व्यक्ति को वापस कर दिया जायगा जिससे वह अभिगृहीत की गयी थी।

(6) यदि उपधारा (4) या उपधारा (5) म निर्दिष्ट किसी सम्पत्ति का कब्जा इस अधिनियम क प्रारम्भ स तीस दिन क भीतर वापस नही किया जाता है तो व्यथित व्यक्ति एसी सम्पत्ति क कब्ज की वापसी के लिए विहित प्राधिकारी

को ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाय, आवेदन कर सकेगा और विहित प्राधिकारी लेनदार का सुनवाइ का उचित अवसर देने के पश्चात, लेनदार को यह निर्देश दे सकेगा कि वह आवदक को सम्बन्धित सम्पत्ति का कब्जा ऐस समय के भीतर जो आदश म विनिर्दिष्ट किया जाय, वापस कर दे।

(7) विहित प्राधिकारी द्वारा उपधारा (6) के अधीन किया गया आदश सिविल यायालय द्वारा किया गया आदश समझा जायगा और धन सम्बन्धी निम्नतम धिकारिता वाले एस यायालय द्वारा निष्पादित किया जा सकेगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओ के भीतर लेनदार स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार चलाता है या अभिलाभ के लिए स्वय काम करता है।

(8) शकाओ को दूर करन लिए यह घोषित किया जाता है कि जहा कुर्क की गयी किसी सम्पत्ति का विक्रय किसी बधित ऋण का वसूली के लिए किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन म इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूव किया गया था वहा ऐसे विक्रय पर इस अधिनियम के किसी उपबध का प्रभाव नही पडेगा

परन्तु बधित श्रमिक या उसक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अभिकर्ता एसे प्रारम्भ स पाच वष क भीतर किसी समय एस विक्रय का अपास्त करन के लिए आवेदन तब कर सकेगा जब वह उस विक्रय की उदघोषणा म विनिर्दिष्ट उस रकम को जिसकी वसूली के लिए विक्रय का आदश किया गया था उसम म उतनी रकम और अन्त कालीन लाभ जो विक्रय की एसी उदघोषणा की तारीख से डिक्रीदार द्वारा प्राप्त किय गय हो, कम करक डिक्रीदार का सदत्त करन के लिए न्यायालय म जमा कर दे।

(9) जहा बधित श्रम पद्धति के अधीन किसी बाध्यता क प्रवतन क लिए कोइ वाद या कायवाही जिसक अन्तगत बधित श्रमिक का दिय गय किसी उधार का वसूली के लिए वाद या कायवाही भी है, इस अधिनियम क प्रारम्भ पर लम्बित हो वहा ऐसा वाद या अन्य कायवाही एसे प्रारम्भ पर खारिज हो जायगी।

(10) इस अधिनियम के प्रारम्भ पर प्रत्येक बधित श्रमिक जो निणय क पूव या उसके पश्चात सिविल कारागार म निरुद्ध किया गया है, एस निरोध स तत्काल छोड दिया जायगा।

**बधित श्रमिक की सम्पत्ति का बधक आदि से मुक्त किया जाना**

7 (1) बधित श्रमिक म निहित सभी सम्पत्ति जो इस अधिनियम क प्रारम्भ के ठीक पूव किसी बधित ऋण के सम्बन्ध म किसी बधक, भार धारणाधिकार या अन्य विल्लगमा के अधीन थी जहाँ तक उसका सम्बन्ध बधित ऋण म है वहा तक एस बधक भार धारणाधिकार या अन्य विल्लगमा स मुक्त और उन्मोचित हो जायगी और जहाँ एसी सम्पत्ति इस अधिनियम क प्रारम्भ क ठीक

पूव वधकदार के कब्जे म थी या भार, धारणाधिकार या विल्लगम क धारक क कब्जे म थी वहा एसी सम्पत्ति का कब्जा (उस दशा वे सिवाय जब वह किसी अय भार के अधीन थी) एस प्रारम्भ पर बधित श्रमिक को वापस कर दिया जायगा।

(2) यदि उपधारा (1) म निर्दिष्ट किसी सम्पत्ति का क़ब्ज़ा बधित श्रमिक को वापस करन म काई विलम्ब किया जाता है तो ऐसा श्रमिक एस प्रारम्भ की तारीख स ही वधकार म या भार धारणाधिकार या विल्लगम क धारक से ऐस अत कालीन लाभ वसूल करन का हकदार हागा जा धन-सम्बधी निम्नतम अधिकारिता वाले एस सिविल यायालय द्वारा अवधारित किय जायें जिसकी स्थानीय सीमाआ की अधिकारिता के भीतर ऐसी सम्पत्ति स्थित है।

**मुक्त किये गये बधित श्रमिक का वासस्थान, आदि से बेदखल न किया जाना**

8 (1) ऐस किसी व्यक्ति का जो बधित श्रम करन क किसी दायित्व स इस अधिनियम के अधीन मुक्त और उन्मोचित किया गया है, किसी वासस्थान या अय निवास परिसर स जिसका अधिभाग वह इस अधिनियम के प्रारम्भ स ठीक पूव बधित श्रम के प्रतिफल क भागरूप कर रहा था, बदखल नही किया जायगा।

(2) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ क पश्चात एसा कोई व्यक्ति लेनदार द्वारा उपधारा (1) म निर्दिष्ट किसी वासस्थान या अय निवास परिसर स बदखल किया जाता है तो उस उपखड का, जिसम ऐसा वासस्थान या निवास-परिसर स्थित है कायपालक मजिस्ट्रेट बधित श्रमिक को ऐसे वासस्थान या अय निवास परिसर का कब्जा, यथासाध्य शीघ्रता से वापस करेगा।

**समाप्त ऋण के लिए लेनदार द्वारा सदाय का स्वीकार न किया जाना**

9 (1) काई लेनदार किसी एस बधित ऋण के लिए जो इस अधिनियम क उपबधा के आधार पर समाप्त हो गया है या समाप्त हुआ समझा गया है या पूणतया चुकता कर दिया गया समझा गया है, कोई सदाय स्वीकार नही करेगा।

(2) जो कोई उपधारा (1) के उपबधा का उल्लघन करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वष तक की हो सकेगी और जुर्माने स भी दडनीय होगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराने वाला यायालय उस व्यक्ति को निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसी शास्तियो के अतिरिक्त जो उस उपधारा के अधीन अधिरोपित की जायें, यायालय म वह रकम जो उपधारा(1) क उपबधा के उल्लघन म स्वीकार की जाती है एसी अवधि के भीतर जा आदेश म विनिर्दिष्ट की जाय बधित श्रमिक को वापस किय जान के लिए जमा करे।

## अध्याय 4

# कार्यान्वियन प्राधिकार

**वे प्राधिकारी जो इस अधिनियम के उपबधा को कार्यान्वित करने के लिए विनिर्दिष्ट किये जायें**

10 राज्य सरकार जिला मजिस्टट को एसी शक्तिया प्रदान कर सकेगी और उस पर ऐस कतव्य अधिरोपित कर सकेगी जा यह सुनिश्चित करन के लिए आवश्यक हो कि इस अधिनियम क उपबध समुचित रूप से कार्यान्वित किय जा रहे है और जिला मजिस्टेट अपना ऐसा अधीनस्थ अधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगा जो इस प्रकार प्रदत्त सभी या किन्ही शक्तिया का प्रयाग और इस प्रकार अधिरोपित सभी या किन्ही कतव्या का पालन करेगा और उन स्थानीय सीमाआ को विनिर्दिष्ट करेगा जिनके भीतर ऐसी शक्तिया का प्रयोग या ऐसे कतव्या का पालन इस प्रकार विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा किया जायगा।

**ऋण सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियो का कत्तव्य**

11 धारा 10 के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत जिला मजिस्ट्रेट और उस धारा के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी वधित श्रमिक क आर्थिक हिता को सुनिश्चित करके और सरंक्षण देकर ऐसे वधित श्रमिक के कल्याण की अभिवद्धि करन का प्रयत्न करगा जिसस कि उस वधित श्रमिक का कोइ और वधित ऋण लन के लिए सविदा करन का कोई अवसर या हेतुक न हो।

**जिला मजिस्ट्रेट का और उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियो का कत्तव्य**

12 प्रत्यक जिला मजिस्ट्रट का और धारा 10 क अधीन उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी का यह कत्तव्य हागा कि वह यह जाच करे कि इस अधिनियम क प्रारभ के पश्चात किसी वधित श्रम पद्धति या किसी अन्य प्रकार के बलात श्रम का उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाआ के भीतर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से प्रवतन किया जा रहा है या नहीं और यदि एसी जाच क परिणामस्वरूप कोई व्यक्ति वधित श्रम पद्धति या बलात श्रम की किसी अन्य पद्धति का प्रवतन करता पाया जाता है ता वह तत्काल एसी कायवाही करगा जो एस बलात श्रम क प्रवतन का उन्मूलन करन के लिए आवश्यक है।

### अध्याय 5

## सतकता समितिया

13 (1) प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र म अधिसूचना द्वारा प्रत्यक जिले और प्रत्यक उपखड म उतनी सतकता समितिया गठित करेगी जितनी वह ठीक समझे।

(2) किसी जिले के लिए गठित प्रत्यक सतकता समिति म निम्नलिखित सदस्य होग अर्थात—

(क) जिला मजिस्टेट या उसक द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति जो अध्यक्ष होगा

(ख) तीन व्यक्ति जो अनुसूचित जातिया या अनुसूचित जनजातिया के हो और जिले म निवास कर रह हा, जो जिला मजिस्टेट द्वारा नाम-निर्देशित किय जायेग,

(ग) दो सामाजिक कायकर्ता जो जिले म निवासी हा, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देशित किय जायग,

(घ) जिले म ग्रामीण विकास से सबधित शासकीय या अशासकीय अभिकरणा का प्रतिनिधित्व करन के लिए अधिक म अधिक तीन व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किय जायगे

(ङ) जिले म वित्तीय और प्रत्यय सस्थाओ का प्रतिनिधित्व करन के लिए एक व्यक्ति जो जिला मजिस्टेट द्वारा नाम निर्देशित किया जायगा।

(3) किसी उपखड के लिए गठित प्रत्यक सतकता समिति म निम्नलिखित सदस्य होग अर्थात—

(क) उपखड मजिस्टेट या उसके द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति, जो अध्यक्ष होगा

(ख) तीन व्यक्ति, जो अनुसूचित जातिया या अनुसूचित जनजातिया के हो और उपखड म निवास कर रहे हा, जो उपखड मजिस्टेट द्वारा नाम निर्देशित किये जायेग

(ग) दो सामाजिक कायकर्ता जो उपखड म निवासी हा, जो उपखड मजिस्टेट द्वारा नाम निर्देशित किय जायेग

(घ) उपखड म ग्रामीण विकास स सबधित शासकीय या अशासकीय अभिकरणो का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिक से अधिक तीन व्यक्ति जो जिला मजिस्टेट द्वारा नाम निर्देशित किय जायग,

(ङ) उपखड म वित्तीय और प्रत्यय सस्थाओ का प्रतिनिधित्व करन

के लिए एक व्यक्ति, जो उपखड मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देशित किया जायेगा,

(च) एक अधिकारी जो धारा 10 क अधीन विनिर्दिष्ट है और उपखड म काय कर रहा है।

(4) प्रत्यक सतकता समिति अपनी प्रक्रिया स्वय विनियमित करगी और उस—

(क) जिल क लिए गठित सतकता समिति की दशा म जिला मजिस्ट्रट द्वारा,

(ख) उपखड के लिए गठित सतकता समिति की दशा म उपखड मजिस्ट्रट द्वारा

ऐसी अनुसचिवीय सहायता दी जायगी जो आवश्यक हो।

(5) समतकता समिति की कोइ कायवाही सतकता समिति क गठन या कायवाहिया म किसी त्रुटि के कारण ही अविधिमान्य नही होगा।

सतकता समितियो क कृत्य

14 (1) प्रत्यक सतकता समिति क निम्नलिखित कृत्य होग, अर्थात—

(क) यह सुनिश्चित करन क लिए इस अधिनियम क या इसक अधीन बनाय किसी नियम के उपबधो का समुचित रूप म क्रियान्वयन हो, किय गय प्रयत्न और की गयी कारवाइ क बार म जिला मजिस्ट्रट या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को सलाह देना

(ख) मुक्त किय गय बधित श्रमिको क आर्थिक और सामाजिक पुनवास क लिए व्यवस्था करना

(ग) मुक्त किय गय बधित श्रमिको क लिए पर्याप्त प्रत्यय की व्यवस्था करन क उद्देश्य स ग्रामीण बैंको और सहकारी सोसाइटियो क कृत्यो का समन्वय करना

(घ) उन अपराधो की सख्या पर नजर रखना जिनका सज्ञान इस अधिनियम क अधीन किया गया है

(ङ) यह सर्वेक्षण करना कि क्या कोइ ऐसा अपराध किया गया है जिसका सज्ञान इस अधिनियम क अधीन किया जाना चाहिए था

(च) मुक्त किय गय बधित श्रमिक या उसक कुटुम्ब क सदस्य या उस पर आश्रित व्यक्ति क विरुद्ध संस्थित किसी वाद की प्रतिरक्षा करना जो किसी बधित ऋण या किसी ऐसे अन्य ऋण क सम्पूर्ण या उसक किसी भाग की वसूली क लिए हो जिसका ऐसे व

ऋण के रूप म ऐस व्यक्ति द्वारा किया जाता है।

(2) सतक्ता समिति अपन सदस्या म स किसी एक सदस्य का इस वाद के लिए प्राधिकृत कर सकेगी कि वह मुक्त किय गय बधित श्रमिक के विरुद्ध वाद की प्रतिरक्षा करे और इस प्रकार प्राधिकृत सदस्य मुक्त किय गय बधित श्रमिक का, ऐस वाद क प्रयाजन क लिए प्राधिकृत अभिकर्ता समझा जायगा।

### सबूत का भार

15 जब कभी किसी बधित श्रमिक या सतक्ता समिति द्वारा किसी ऋण के बारे म यह दावा किया जाता है कि वह बधित ऋण है ता ऐस ऋण क बधित ऋण न हान के सबूत का भार लनदार पर हागा।

## अध्याय 6

## अपराध और विचारण के लिए प्रक्रिया

### बधित श्रम के प्रवतन के लिए दड

16 जो काई इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात किसी व्यक्ति को कोई बधित श्रम करन क लिए विवश करगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वप तक की हो सकेगी और जुर्मान स भी, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दडनीय होगा।

### बधित ऋण क दिये जाने के लिए दड

17 जो काई इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात कोई बधित ऋण देगा वह कारावास स जिसकी अवधि तीन वप तक की हो सकेगी और जुर्माने म भी, जा दो हजार रुपये तक का हो सकेगा दडनीय हागा।

### बधित श्रम-पद्धति के अधीन बधित श्रम कराने के लिए दड

18 जो कोई इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात किसी एसी रूढि परम्परा, सविदा, करार या अन्य लिखत का प्रवतन करेगा, जिसके आधार पर किसी व्यक्ति या ऐस व्यक्ति के कुटुम्ब के किसी सदस्य या एसे व्यक्ति पर आश्रित किसी व्यक्ति मे अपक्षा की जाती है कि वह बधित श्रम पद्धति क अधीन कोई सवा करे ता वह कारावास मे जिसकी अवधि तीन वप तक की हा सकेगी और जुर्माने मे भी जा दो हजार रुपये तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा और यदि जुर्माना

वसूल किया जाता है तो उसम से बधित श्रमिक को ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिस दिन उसस बधित श्रम कराया गया था पाच रुपये की दर स सदाय किया जायगा।

**बधित श्रमिको को सम्पत्ति का कब्जा वापस करने म लोप या असफलता के लिए दड**

19 एसा कोई व्यक्ति जिससे इस अधिनियम द्वारा यह अपेक्षा हो जाती है कि वह किसी सम्पत्ति का कब्जा किसी बधित श्रमिक को वापस करे इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीस दिन की अवधि क भीतर ऐसा करन म लोप करेगा या असफल रहेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि एक वष तक की हो सकगी या जुर्मान स, जो एक हजार रुपय तक का हो सकेगा या दोना स दडनीय होगा और यदि जुमाना वसूल किया जाता है तो उसम स बधित श्रमिक को एस प्रत्यक दिन के लिए जिसके दौरान सम्पत्ति का कब्जा उसे वापस नही किया गया था पाच रुपय की दर से सदाय किया जायगा।

**दुष्प्रेरण का एक अपराध होना**

20 जो कोइ इस अधिनियम के अधीन दडनीय अपराध का दुष्प्रेरण करगा, चाहे दुष्प्रेरित अपराध किया गया हो या नही वह उसी दड से दडनीय हागा जो उस अपराध के लिए उपबधित है जिसका दुष्प्रेरण किया गया है।

**स्पष्टीकरण**—इस अधिनियम के प्रयोजनो क लिए 'दुष्प्ररण' का वही अथ है जो उसका भारतीय दडसहिता (1860 का 45) म है।

**अपराधो का कायपालक मजिस्ट्रेटो द्वारा विचारण किया जाना**

21 (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपराधा के विचारण के लिए कायपालक मजिस्ट्रेट का प्रथम वग यायिक मजिस्ट्रेट या द्वितीय वग यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तिया प्रदान कर सकेगी और ऐसी शक्तिया के प्रदान किय जाने पर उस कायपालक मजिस्ट्रट को, जिसे इस प्रकार शक्तिया प्रदान की गयी है दड प्रक्रिया सहिता 1973 के प्रयोजना क लिए यथास्थिति प्रथम वग यायिक मजिस्ट्रेट या द्वितीय वग यायिक मजिस्ट्रट समझा जायेगा।

(2) इस अधिनियम क अधीन अपराध का विचारण मजिस्ट्रट द्वारा स ंपत किया जायगा।

**अपराधो का सज्ञान**

22 इस अधिनियम के अधीन प्रत्यक अपराध सज्ञेय और जमानतीय होगा।

**कम्पनियो द्वारा अपराध**

23 (1) यदि इस अधिनियम क अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है तो प्रत्यक व्यक्ति जो उस अपराध क किए जान क समय उस कम्पनी क कारबार क सचालन क लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसक प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी ऐस अपराध क दोषी समझे जायग और तदनुसार अपन विरुद्ध कायवाही किय जान और दडित किय जान क भागी होग।

(2) उपधारा (1) म किसी बात क होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है तथा यह साबित होता है कि वह अपराध कम्पनी क किसी निदशक प्रबन्धक सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मनानुकूलता स किया गया ह या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदशक, प्रबन्धक सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तद्नुसार अपन विरुद्ध कारवाई किय जान और दण्डित किय जान का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा क प्रयाजनो क लिए—

(क) कम्पनी स कोई निगमित निकाय अभिप्रेत ह और इसके अन्तगत फम या व्यष्टियो का अन्य सगम भी है तथा

(ख) फम क सम्बन्ध म निदशक स उस फम का भागीदार अभिप्रेत है।

## अध्याय 7

## प्रकीर्ण

**सदभावपूवक की गयी कारवाई क लिए सरक्षण**

24 इस अधिनियम के अधीन सदभावपूवक की गयी या की जान क लिए आशयित किसी बात क लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कायवाही राज्य सरकार के अथवा राज्य सरकार क किसी अधिकारी क या सतकता समिति क किसी सदस्य के विरुद्ध न होगी।

**सिविल न्यायालयो की अधिकारिता का वजन**

25 किसी भी सिविल न्यायालय का किसी एसे विषय के बारे म अधिकारिता नहीं होगी जिस अधिनियम का कोई उपबन्ध लागू होता है और किसी

सिविल न्यायालय द्वारा किसी एसी वात के बारे म काइ व्यादेश नही न्दिया जायगा जा इम अधिनियम के अधीन की गयी है या की जान के लिए आशयित है।

**नियम वनाने की शक्ति**

26 (1) केन्द्रीय मरकार इस अधिनियम के प्रयाजना को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र म अधिसूचना द्वारा वना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूवगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल विना एस नियम निम्नलिखित सभी या कि ही विपया क लिए उपवध कर 'कग अथात—

(क) वह प्राधिकारी जिसको धारा 6 की उपधारा (4) या उपधारा (5) म निन्दिष्ट सम्पत्ति के कब्ज की वापसी के लिए उस धारा की उपधारा (6) क अनुसरण म आवदन न्दिया जाना है

(ख) वह समय जिसके भीतर सम्पत्ति क कब्ज की वापसी क लिए धारा 6 की उपधारा (6) के अधीन आवेदन विहित प्राधिकारी को किया जाना है

(ग) इम अधिनियम या इसके अधीन वनाय गय किसी नियम के उपवधा का न्दिया वयन सुनिश्चित करन के लिए मतक्ता समितिया द्वारा धारा 14 की उपधारा (1) के खड (क) के अधीन उठाये जान वात कन्म

(घ) काइ अ य विपय जा विहित न्दिया जाना है या न्दिया जा मक्ता है।

(3) इस अधिनियम क अधीन कन्द्राय सरकार द्वारा वनाया गया प्रत्यक नियम वनाय जान क पश्चात यथाशीघ्र ससद क प्रत्यक सदन के समक्ष जब वह सत्र म हा तीस न्दिन की अवधि क लिए रखा जायगा। यह अवधि एक सत्र म अथवा दा या अधिक आनुक्रमिक सत्रा म पूरी हो सकगी। यदि इस सत्र क या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रा क ठीक वाद क सत्र क अवमान क पूव दाना सदन उस नियम म काई परिवतन करन के लिए सहमत हा जाये तो तत्पश्चात वह एम परिवर्तित रूप म ही प्रभावी हागा। यदि उक्त अवमान क पूव दोना मदन सहमत हा जाये कि वह नियम नहीं वनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह निष्प्रभावी हो जायगा। किन्तु नियम के एम परिवर्तित या निष्प्रभावी हान स उसके अधीन पहल की गयी किमी वात की विधिमा यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहा पडगा।

**निरसन और व्यावृत्ति**

27 (1) बंधित श्रम-पद्धति (उत्सादन) अध्यादेश, 1975 (1975 का 17) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी यह है कि उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात या कारवाई (जिसके अंतर्गत कोई प्रकाशित अधिसूचना, किया गया कोई निर्देश या नामनिर्देशन, प्रदत्त शक्ति अधिरोपित कर्तव्य या विनिर्दिष्ट अधिकारी भी है) इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गयी समझी जायगी।